



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-30082024-256769
CG-GJ-E-30082024-256769

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 675]
No. 675]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 29, 2024/भाद्र 7, 1946
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 29, 2024/BHADRA 7, 1946

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 20 अगस्त 2024

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (सूचीबद्धता) विनियम, 2024

आईएफएससीए/जीएन/2024/006.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 12 की उपधारा (1) और धारा 13 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (1) के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30, धारा 11क और धारा 28ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

अध्याय I: प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- इन विनियमों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (सूचीबद्धता) विनियम, 2024 कहा जाएगा।
- ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. उद्देश्य

ये विनियम भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर निर्दिष्ट प्रतिभूतियों, ऋण प्रतिभूतियों, निक्षेपागार रसीदों और अन्य अनुमत वित्तीय उत्पादों की सूचीबद्धता के लिए नियामक ढांचा प्रदान करते हैं।

3. परिभाषाएँ

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यहाँ परिभाषित शब्दों का अभिप्राय: वही होगा जैसा नीचे दिया गया है, और उनके समानार्थी शब्दों और विविधताओं का अभिप्राय: तदनुसार लगाया जाएगा, -

- (क) "अधिनियम" अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) से अभिप्रेत है;
- (ख) "बैंकिंग इकाई" अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) विनियम, 2020 के अधीन अनुमेय कार्यकलापों को करने के लिए प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस प्राप्त या अनुमति प्राप्त इकाई से अभिप्रेत है;
- (ग) "व्यावसायिक संयोजन" विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनी द्वारा व्यवसाय संचालन वाली एक या अधिक कंपनियों के शेयरों या परिसंपत्तियों का या समामेलन या अधिग्रहण से अभिप्रेत है;
- (घ) "जमा प्रमाणपत्र" एक परक्राम्य, असुरक्षित मुद्रा बाजार लिखत से अभिप्रेत है, जो एक बैंकिंग इकाई में जमा की गई निधियों के विरुद्ध एक वर्ष तक की परिपक्वता अवधि के लिए अमूर्त रूप में या यूसेंस प्रॉमिसरी नोट के रूप में जारी किया जाता है;
- (ङ) "वाणिज्यिक पत्र" एक असुरक्षित मुद्रा बाजार लिखत से अभिप्रेत है, जो प्रॉमिसरी नोट के रूप में जारी किया जाता है;
- (च) "नियंत्रण" में निदेशकों के बहुमत को नियुक्त करने या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से या मिलकर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उनके शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारक समझौतों या मतदान समझौतों या किसी अन्य तरीके से प्रयोग किए जाने वाले प्रबंधन या नीति निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा;
- (छ) "नियंत्रक शेयरधारक" में ऐसा व्यक्ति शामिल होगा जिसका जारीकर्ता के मामलों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण हो, चाहे वह शेयरधारक, निदेशक या अन्यथा हो;
- (ज) "परिवर्तनीय ऋण लिखत" एक लिखत से अभिप्रेत है, जो ऋणग्रस्तता सृजित या स्वीकार करता है और लिखत के धारक के विकल्प के साथ या उसके बिना बाद की तारीख में जारीकर्ता के इच्छिटी शेयरों में परिवर्तनीय है, चाहे वह जारीकर्ता की परिसंपत्तियों पर प्रभार का निर्माण करता हो या नहीं;
- (झ) "परिवर्तनीय वरीयता शेयर" वरीयता शेयर से अभिप्रेत है जिन्हें आमतौर पर एक निर्दिष्ट तारीख के बाद या कुछ घटनाओं के घटित होने पर साधारण शेयरों की पूर्व निर्धारित संख्या में परिवर्तित किया जा सकता है;
- (ञ) "परिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ" ऐसी प्रतिभूतियों से अभिप्रेत है, जो बाद की तारीख में जारीकर्ता के इच्छिटी शेयरों में परिवर्तनीय हैं या उनके साथ विनियम योग्य हैं, ऐसी प्रतिभूतियों के धारक के विकल्प के साथ या उसके बिना और इसमें परिवर्तनीय ऋण लिखत और परिवर्तनीय वरीयता शेयर शामिल हैं;
- (ट) "ऋण प्रतिभूतियाँ" गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों से अभिप्रेत हैं जो ऋणग्रस्तता का सृजन करती हैं या स्वीकार करती हैं और इनमें डिबेंचर, नोट और बांड शामिल हैं;
- (ठ) "निक्षेपागार रसीद (डीआर)" ऐसे परक्राम्य वित्तीय लिखत से अभिप्रेत है जो किसी अन्य क्षेत्राधिकार में जारीकर्ता की अंतर्निहित प्रतिभूतियों का प्रतिनिधित्व करता है;
- (ड) "नामोनिदेशित स्टॉक एक्सचेंज" जारीकर्ता द्वारा चुने गए मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से अभिप्रेत है, जिस पर प्रतिभूतियाँ या कोई अन्य अनुमत वित्तीय उत्पाद सूचीबद्ध है या इन विनियमों के अधीन प्रतिभूतियों या वित्तीय उत्पाद के किसी विशेष इश्यू के उद्देश्य से सूचीबद्ध किए जाने का पेशकश है;

(ढ) "विदेशी क्षेत्राधिकार" भारत को छोड़कर, किसी ऐसे देश से अभिप्रेत है, जिसका प्रतिभूति बाजार नियामक अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग के बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षरकर्ता है या प्राधिकरण के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षरकर्ता है, और जिसे वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के सार्वजनिक बयान में इस रूप में चिह्नित नहीं किया गया है:

- (i) ऐसा क्षेत्राधिकार जिसमें कार्यनीतिक धन शोधन विरोधी या आतंकवाद के वित्तपोषण प्रतिषेध करने के संबंध में कुछ कमियां हैं, जिन पर प्रतिरोधी उपाय लागू होते हैं; या
- (ii) ऐसा क्षेत्राधिकार जिसने कमियों को दूर करने में पर्याप्त प्रगति नहीं की है या कमियों को दूर करने के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के साथ विकसित की गई कार्य योजना के लिए प्रतिबद्ध नहीं है;

ण. "अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश (एफपीओ)" या "आगामी सार्वजनिक पेशकश" किसी सूचीबद्ध एंटीटी द्वारा सदस्यता के लिए जनता को निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की पेशकश से अभिप्रेत है और इसमें किसी सूचीबद्ध जारीकर्ता में ऐसी निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के किसी विद्यमान धारक द्वारा जनता को निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए पेशकश शामिल है;

प. "ग्रीन शू ऑप्शन" सूचीबद्धता-पश्च मूल्य स्थिरीकरण तंत्र के रूप में सार्वजनिक इश्यू में पेश किए गए निर्दिष्ट शेयरों से अधिक निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को आवंटित करने का विकल्प से अभिप्रेत है;

फ. "समूह एंटीटी" किसी व्यवसाय समूह की एंटीटी से अभिप्रेत है जिसमें मूल कंपनी या किसी अन्य प्रकार का कानूनी व्यक्ति शामिल है जो शाखाओं और/या सहायक कंपनियों के साथ समूह के बाकी हिस्सों पर नियंत्रण रखता है;

ब. "आईएफएससीए" या "प्राधिकरण" अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से अभिप्रेत है;

भ. "सूचना ज्ञापन" ऐसे दस्तावेज से अभिप्रेत है जो निवेशकों को प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता के लिए आवेदन के संबंध में जारीकर्ता और प्रतिभूतियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है और इसमें पेशकश ज्ञापन या पेशकश परिपत्र शामिल है;

म. "आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ)" गैर-सूचीबद्ध जारीकर्ता द्वारा जनता को सदस्यता के लिए निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की पेशकश से अभिप्रेत है और इसमें गैर-सूचीबद्ध जारीकर्ता में ऐसी निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के किसी भी विद्यमान धारक द्वारा जनता को निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए पेशकश शामिल है;

य. "जारीकर्ता" ऐसी एंटीटी से अभिप्रेत है जो निर्दिष्ट प्रतिभूतियों या ऋण प्रतिभूतियों या निक्षेपागार रसीदों या वाणिज्यिक पत्र या जमा प्रमाणपत्रों या किसी अन्य अनुमत वित्तीय उत्पादों का इश्यू करती है या करने का पेशकश करती है या कर चुकी है और इन विनियमों के अधीन मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने की मंशा रखती है;

र. "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी)" का वही अभिप्राय: होगा जो अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ज) के अधीन इसे सौंपा गया है; (w) भारत में निगमित किसी कंपनी के संबंध में "मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक" का वही अभिप्राय: होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (51) के अंतर्गत निर्दिष्ट है, तथा भारत के बाहर निगमित किसी कंपनी के संबंध में इसका अभिप्राय: निम्नांकित होगा:

- (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक;
- (ii) कंपनी सचिव या कारपोरेट सचिव;
- (iii) पूर्णकालिक निदेशक;
- (iv) मुख्य वित्तीय अधिकारी; तथा

- (v) ऐसा अन्य अधिकारी जिसे कंपनी के बोर्ड द्वारा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में नामित किया जाएगा;
- (प) "मुख्य प्रबंधक" प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रीकृत निवेश बैंकर से अभिप्रेत है जिसे इश्यू का प्रबंधन करने के लिए जारीकर्ता द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा बुक बिल्ट इश्यू के मामले में, जारीकर्ता द्वारा नियुक्त मुख्य प्रबंधक वही निर्माण के प्रयोजनों के लिए वही लेखन मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्य करेगा;
- (फ) "सूचीबद्ध एंटीटी" एक ऐसी एंटीटी से अभिप्रेत है जिसकी निर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ या ऋण प्रतिभूतियाँ या निक्षेपागार रसीदें या कोई अन्य अनुमत वित्तीय उत्पाद इन विनियमों के अंतर्गत किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं;
- (ब) "पेशकश" में रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस, शेल्फ प्रॉस्पेक्टस, पेशकश पत्र, ट्रैंच प्रॉस्पेक्टस, प्लेसमेंट ज्ञापन, जो भी शामिल हो, शामिल हैं;
- (कक) "प्रवर्तक" का वही अभिप्रायः होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (69) के अधीन निर्दिष्ट किया गया है:
स्पष्टीकरण: इन विनियमों के अधीन "प्रवर्तक" के संदर्भ केवल कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित कंपनियों के संबंध में लागू होंगे;
- (खख) "योग्य संस्थानों का प्लेसमेंट" निजी प्लेसमेंट के आधार पर योग्य संस्थागत खरीदारों को निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का इश्यू से अभिप्रेत है और इसमें निजी प्लेसमेंट के आधार पर प्रवर्तकों या नियंत्रित शेयरधारकों द्वारा निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए पेशकश शामिल है;
- (गग) "मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज" प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से अभिप्रेत है;
- (घघ) "प्रतिभूतियां", इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित निर्दिष्ट प्रतिभूतियां, ऋण प्रतिभूतियां और निक्षेपागार रसीदें होंगी;
- (ङङ) "विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनी (एसपीएसी)" एक ऐसी कंपनी से अभिप्रेत है जिसका कोई परिचालन व्यवसाय नहीं है और जिसका गठन व्यवसाय संयोजन को प्रभावित करने के प्राथमिक उद्देश्य से किया गया है;
- (चच) "विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां" का अर्थ है इक्विटी शेयर और परिवर्तनीय प्रतिभूतियां;
- (छछ) "सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर" या "एसआर इक्विटी शेयर" किसी जारीकर्ता के इक्विटी शेयरों के ऐसे वर्ग से अभिप्रेत है जो अपने धारकों को उस जारीकर्ता द्वारा जारी किए गए साधारण इक्विटी शेयरों से बेहतर मतदान अधिकार प्रदान करता है;
- (जज) "अंडरराइटर" ऐसे व्यक्ति से अभिप्रेत है जो किसी निगमित निकाय की प्रतिभूतियों के इश्यू के हामीदारी के व्यवसाय में कार्यरत है।
- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त तथा परिभाषित नहीं किए गए लेकिन अधिनियम, कंपनी अधिनियम, 2013, प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992, निक्षेपागार अधिनियम, 1996, या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम या विनियमन में परिभाषित किए गए शब्द तथा अभिव्यक्तियों का अभिप्रायः वही होगा, जो उन्हें क्रमशः उन अधिनियमों, नियमों या विनियमों या उनके किसी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन, जैसा भी मामला हो, में दिया गया है।

4. प्रयोज्यता

ये विनियमन निम्नलिखित पर लागू होंगे:

- (क) किसी गैर-सूचीबद्ध एंटीटी द्वारा निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का आरंभिक सार्वजनिक पेशकश;
- (ख) किसी सूचीबद्ध एंटीटी द्वारा निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश;

- (ग) किसी विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनी द्वारा निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का आरंभिक सार्वजनिक पेशकश;
- (घ) किसी सूचीबद्ध एंटीटी द्वारा निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का अधिकार इश्यू या अधिमान्य इश्यू या योग्य संस्थाओं द्वारा इश्यू;
- (ङ) किसी एंटीटी द्वारा निक्षेपागार रसीदें जारी और सूचीबद्ध किया जाना;
- (च) किसी एंटीटी द्वारा ऋण प्रतिभूतियों को जारी करना और सूचीबद्ध करना;
- (छ) किसी एंटीटी द्वारा प्रतिभूतियों की द्वितीयक सूची;
- (ज) प्राधिकरण द्वारा अनुमत वाणिज्यिक पत्र या जमा प्रमाणपत्र या अन्य वित्तीय उत्पादों की सूची।

अध्याय II: सामान्य शर्तें

5. सामान्य सिद्धांत

मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) पर अपनी प्रतिभूतियों या किसी अन्य अनुमत वित्तीय उत्पाद को सूचीबद्ध करने का पेशकश करने वाले जारीकर्ता के लिए अंतर्निहित सिद्धांत निम्नानुसार हैं:

- (क) निवेशकों को सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए पेशकश दस्तावेज में महत्वपूर्ण जानकारी का सही, विशुद्ध और पर्याप्त प्रकटीकरण होना चाहिए।
- (ख) वित्तीय परिणामों, जोखिम और अन्य गैर-वित्तीय जानकारी का पूर्ण, सटीक और समय पर प्रकटीकरण होना चाहिए जो निवेशकों के लिए सूचित निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है;
- (ग) सभी धारकों के साथ निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से व्यवहार किया जाएगा;
- (घ) किसी जारीकर्ता के निदेशक सभी हितधारकों के सर्वोत्तम हित में कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।

6. सामान्य पात्रता मानदंड

(1) कोई जारीकर्ता निम्नलिखित शर्तों के अधीन किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी प्रतिभूतियों या किसी अन्य अनुमत वित्तीय उत्पाद को सूचीबद्ध करने के लिए पात्र होगा:

- (क) जारीकर्ता को आईएफएससी या भारत में या किसी विदेशी क्षेत्राधिकार में अपने गृह क्षेत्राधिकार के प्रासंगिक कानूनों के अनुसार निगमित या स्थापित किया गया हो;
- (ख) जारीकर्ता अपने संविधान के अनुरूप कार्य करता हो; और
- (ग) जारीकर्ता ऐसी प्रतिभूतियों या अन्य वित्तीय उत्पादों, जिन्हें मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने का पेशकश है, को अपने गृह क्षेत्राधिकार के प्रासंगिक कानूनों के अनुरूप जारी करने के लिए पात्र हो।

बशर्ते कि कोई सार्वजनिक भारतीय कंपनी जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर अपने इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करने का पेशकश करती है, उसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 की अनुसूची XI और कंपनी (अनुमेय क्षेत्राधिकार में इक्विटी शेयरों की सूची) नियम, 2024 के अधीन प्रदान की गई पात्रता मानदंडों को पूरा करना भी आवश्यक होगा।

स्पष्टीकरण: निम्नलिखित एंटीटी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी ऋण प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने के लिए पात्र होंगी:

- (क) कोई अधिराष्ट्रीय या कोई बहुपक्षीय या कोई वैधानिक संस्था;
- (ख) कोई नगर पालिका या कोई समान निकाय; और
- (ग) कोई एंटीटी जो सार्वभौमिक ऋण प्रतिभूतियों की पेशकश करती है या पेशकश का प्रस्ताव करती है।

(2) कोई जारीकर्ता अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि जारीकर्ता या उसके किसी प्रवर्तक या नियंत्रक शेयरधारक या निदेशक या इश्यू में शेयर की पेशकश करने वाले विद्यमान शेयरधारक -

- (क) पूंजी बाजार तक पहुंच से वंचित किए गए हैं; या
- (ख) कोई जानबूझकर चूककर्ता है; या
- (ग) कोई भगोडा आर्थिक अपराधी है।

स्पष्टीकरण: इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, 'जानबूझकर चूककर्ता' या 'भगोडा आर्थिक अपराधी', चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, ऐसे व्यक्ति से अभिप्रेत है जिसे उसके गृह क्षेत्राधिकार के प्रासंगिक कानूनों के अनुसार इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है।

7. अमूर्तिकृत रूप

किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध या सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियाँ और अन्य अनुमत वित्तीय उत्पाद स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय होंगे और अमूर्तिकृत रूप में रखे जाएंगे:

बशर्ते कि ऋण प्रतिभूतियाँ और ऐसे अन्य वित्तीय उत्पाद किसी अंतरराष्ट्रीय केंद्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार के पास भी रखे जाएंगे।

8. मुद्रा

प्रतिभूतियाँ और अन्य अनुमत वित्तीय उत्पाद किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध और व्यापार करने के लिए निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित किए जाएंगे:

स्पष्टीकरण 1: इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) विनियम, 2020 की पहली अनुसूची या प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किसी अन्य विनियमन में निर्दिष्ट मुद्रा से अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण 2: इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, यूएसडी के संदर्भ का अर्थ उस मुद्रा में समतुल्य राशि होगी जिसमें ऐसी प्रतिभूतियाँ जारी की जाती हैं।

अध्याय III: निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ और एफपीओ)

भाग क: आरंभिक सार्वजनिक पेशकश

9. पात्रता मानदंड

कोई जारीकर्ता निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश करने के लिए तभी पात्र होगा, यदि:

- (क) जारीकर्ता के पास समेकित लेखापरीक्षित खातों के आधार पर, पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम बीस मिलियन अमरीकी डॉलर या पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत परिचालन राजस्व हो; या
- (ख) जारीकर्ता के पास समेकित लेखापरीक्षित खातों के आधार पर, पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम एक मिलियन अमरीकी डॉलर या पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत कर-पूर्व लाभ हो; या
- (ग) जारीकर्ता के पास कम से कम पच्चीस मिलियन अमरीकी डॉलर का इश्यू पश्चात बाजार पूंजीकरण हो; या
- (घ) यह प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य पात्रता मानदंड के अधीन योग्य हो।

स्पष्टीकरण: इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए "वित्तीय वर्ष" का अर्थ जारीकर्ता द्वारा अपने गृह क्षेत्राधिकार के लागू कानूनों के अनुसार अपनाए गए वित्तीय वर्ष से होगा।

10. एसआर इक्विटी शेयर

एसआर इक्विटी शेयर जारी करने वाले जारीकर्ता को किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने के लिए अपने साधारण शेयरों का आरंभिक सार्वजनिक पेशकश करने की अनुमति होगी, बशर्ते कि:

- (क) एसआर इक्विटी शेयरों के इश्यू को जारीकर्ता के शेयरधारकों की एक आम बैठक में पारित पेशकश द्वारा अधिकृत किया गया हो; और
- (ख) एसआर इक्विटी शेयरों को मसौदा पेशकश दस्तावेज दाखिल करने से कम से कम तीन माह पहले तक रखा गया हो।

11. बिक्री के लिए पेशकश

- (1) बिक्री के लिए पेशकश के मामले में, निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को विद्यमान धारकों द्वारा मसौदा पेशकश दस्तावेज दाखिल करने की तारीख से कम से कम एक वर्ष पहले तक रखा जाना चाहिए:

बशर्ते कि यदि रूपांतरण पर प्राप्त इक्विटी शेयरों को बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जा रहा हो, तो परिवर्तनीय प्रतिभूतियों या निक्षेपागार रसीदों, जैसा भी मामला हो, की होल्डिंग अवधि और परिणामी इक्विटी शेयरों की होल्डिंग अवधि पर विचार, एक वर्ष की अवधि की गणना के उद्देश्य से किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: जहां रूपांतरण से उत्पन्न इक्विटी शेयरों को बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है, ऐसा रूपांतरण पेशकश दस्तावेज दाखिल करने से पहले पूरा किया जाना चाहिए और रूपांतरण की शर्तों का पूरा प्रकटीकरण मसौदा पेशकश दस्तावेज में किया जाना चाहिए।

- (2) उप-विनियम (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी, एक वर्ष की अवधि के लिए इक्विटी शेयर धारण करने की आवश्यकता निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी:

(क) जहां बिक्री के लिए प्रस्तावित इक्विटी शेयर किसी विलय या समामेलन की योजना के अनुसरण में व्यवसाय और निवेशित पूंजी के बदले में अर्जित किए गए थे, जो ऐसी योजना के अनुमोदन से पहले एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अस्तित्व में थे; या

(ख) जहां बिक्री के लिए प्रस्तावित इक्विटी शेयर प्राधिकरण के साथ मसौदा पेशकश दस्तावेज दाखिल करने से कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए धारित प्रतिभूतियों पर बोनस इश्यू के अधीन जारी किए गए थे, और निम्नलिखित के अधीन भी: (i) ऐसे इक्विटी शेयर, जिस वित्तीय वर्ष में मसौदा पेशकश दस्तावेज प्राधिकरण के साथ दाखिल किया गया है, उससे पहले के वित्तीय वर्ष के अंत में लेखा बहियों में विद्यमान मुक्त आरक्षित निधियों और शेयर प्रीमियम से जारी किए जा रहे हैं; और (ii) ऐसे इक्विटी शेयर, जो पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों या जारीकर्ता के अप्राप्त लाभों के उपयोग से जारी नहीं किए जा रहे हैं।

12. लीड मैनेजर

जारीकर्ता लीड मैनेजर(रों) के परामर्श से इश्यू के लिए लीड मैनेजर(रों) और अन्य मध्यस्थों की नियुक्ति करेगा।

13. मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) से सैद्धांतिक अनुमोदन

- (1) जारीकर्ता निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में आवेदन फाइल करेगा:

बशर्ते कि जहां आवेदन एक से अधिक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में किया जाएगा, वहां जारीकर्ता उनमें से किसी एक को नामित स्टॉक एक्सचेंज के रूप में चुनेगा।

- (2) मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जारीकर्ता से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर सैद्धांतिक अनुमोदन देगा या आवेदन को अस्वीकार कर देगा।

14. पेशकश दस्तावेज दाखिल करना

- (1) जहां प्रस्तावित इश्यू का आकार पचास मिलियन अमेरिकी डॉलर या उससे कम है,

(क) जारीकर्ता, लीड मैनेजर(रों) के माध्यम से, प्राधिकरण के पास लागू शुल्क सहित मसौदा पेशकश दस्तावेज दाखिल करेगा;

(ख) लीड मैनेजर(रों) को मसौदा पेशकश दस्तावेज सहित उचित परिश्रम प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा;

- (ग) मसौदा पेशकश दस्तावेज प्राधिकरण, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) जहां निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने का पेशकश है, जारीकर्ता और इश्यू के प्रमुख प्रबंधक(कों) की वेबसाइटों पर होस्ट किया जाएगा।
- (2) जहां प्रस्तावित इश्यू का आकार पचास मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है,
- (क) जारीकर्ता, प्रमुख प्रबंधक(कों) के माध्यम से प्राधिकरण के पास लागू शुल्क के साथ मसौदा पेशकश दस्तावेज दाखिल करेगा;
- (ख) प्रमुख प्रबंधक (प्रबंधक) मसौदा पेशकश दस्तावेज के साथ उचित परिश्रम प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करेंगे;
- (ग) मसौदा पेशकश दस्तावेज प्राधिकरण, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) जहां निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने का पेशकश है, जारीकर्ता और प्रमुख प्रबंधक(कों) की वेबसाइटों पर सात कार्य दिवसों के लिए होस्ट किया जाएगा, जिसमें जनता से टिप्पणियां आमंत्रित की जाएंगी;
- (घ) प्रमुख प्रबंधक प्राधिकरण के समक्ष मसौदा पेशकश दस्तावेज पर ऐसी अवधि के दौरान जनता से उनके या जारीकर्ता द्वारा प्राप्त सामग्री टिप्पणियों का ब्यौरा दाखिल करेंगे तथा मसौदा पेशकश दस्तावेज में इसके अनुसरण में किए जाने वाले परिणामी परिवर्तन, यदि कोई हों, का ब्यौरा दाखिल करेंगे;
- (ङ) प्राधिकरण निम्नलिखित तारीखों में से बाद वाली तारीख से इक्कीस कार्य दिवसों के भीतर मसौदा पेशकश दस्तावेज पर टिप्पणियां, यदि कोई हों, जारी कर सकता है:
- (i) मसौदा पेशकश दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख; या
- (ii) जारीकर्ता और/या प्रमुख प्रबंधक(कों) से संतोषजनक उत्तर प्राप्त होने की तारीख, जहां प्राधिकरण ने उनसे कोई स्पष्टीकरण या अतिरिक्त जानकारी मांगी है; या
- प. किसी विनियामक या एजेंसी से स्पष्टीकरण या जानकारी प्राप्त होने की तारीख, जहां प्राधिकरण ने ऐसे विनियामक या अभिकरण से कोई स्पष्टीकरण या जानकारी मांगी है; या
- (iv) मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) द्वारा दिए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की प्रति प्राप्त होने की तारीख।
- (च) जारीकर्ता मसौदा पेशकश दस्तावेज में प्राधिकरण द्वारा सलाह दिए गए परिवर्तन, यदि कोई हों, करेगा;
- (छ) जारीकर्ता प्रमुख प्रबंधक(कों) के माध्यम से, इश्यू को आगे बढ़ाने से पहले प्राधिकरण और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) के पास अद्यतन पेशकश दस्तावेज दाखिल करेगा।

15. पेशकश का समय

जारीकर्ता द्वारा पेशकश प्राधिकरण द्वारा अवलोकन जारी करने की तारीख से बारह माह से अधिक की अवधि के भीतर की जाएगी:

बशर्ते कि यदि इश्यू का प्रस्तावित आकार पचास मिलियन अमेरिकी डॉलर या उससे कम है, तो बारह माह की अवधि प्राधिकरण द्वारा पेशकश दस्तावेज प्राप्त होने की तारीख से होगी:

बशर्ते यह भी कि यदि निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर पेशकश नहीं किया जाएगी, तो प्राधिकरण और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) के साथ एक नया मसौदा पेशकश दस्तावेज दाखिल किया जाएगा।

16. पेशकश दस्तावेज में प्रकटीकरण

- (1) पेशकश दस्तावेज में सभी महत्वपूर्ण प्रकटीकरण शामिल होंगे जो निवेशकों को सूचित निवेश निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए सत्य, सही और पर्याप्त हैं।

- (2) इस विनियमन के अधीन प्रकटीकरण की 'महत्वपूर्णता' के उद्देश्य से, जारीकर्ता पेशकश दस्तावेज में अपनी 'महत्वपूर्णता नीति' का विवरण प्रदान करेगा, जहाँ भी लागू हो, और पेशकश दस्तावेज दाखिल करने के बाद और सूचीबद्धता से पहले सभी महत्वपूर्ण जानकारी का प्रकटीकरण सुनिश्चित करेगा।
- (3) मुख्य प्रबंधक उचित परिश्रम करेंगे तथा पेशकश दस्तावेज में प्रकटीकरण की भौतिकता, सत्यता तथा पर्याप्तता सहित इश्यू के सभी पहलुओं के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेंगे।
- (4) पेशकश दस्तावेज में सार्वजनिक पेशकश से संबंधित अपेक्षित प्रकटीकरण शामिल होंगे, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- (क) पेशकश दस्तावेज सारांश;
- (ख) जोखिम कारक;
- (ग) पेशकश विवरण का संक्षिप्त अवलोकन प्रदान करने वाला परिचय;
- (घ) सामान्य जानकारी;
- (ङ) पूंजी संरचना;

स्पष्टीकरण: पूंजी संरचना में इश्यू-पूर्व प्रदत्त पूंजी का पांच प्रतिशत या उससे अधिक रखने वाले सभी शेयरधारकों का विवरण शामिल होगा।

(च) इश्यू का विवरण:

- i. इश्यू के उद्देश्य;
- ii. निधियों की आवश्यकता;
- iii. वित्तपोषण योजना;
- iv. व्यवसाय/परियोजना मूल्यांकन, यदि कोई हो;
- v. निधियों का परिनियोजन;
- vi. इश्यू मूल्य का आधार;

(छ) हामीदारी;

(ज) निवेशकों के लिए कर निहितार्थ;

(झ) जारीकर्ता के बारे में:

- i. उद्योग विवरण;
- ii. व्यवसाय विवरण;
- iii. संगठनात्मक संरचना, प्रबंधन, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और पारिश्रमिक;
- iv. शेयरधारकों के समझौते और अन्य महत्वपूर्ण समझौते;
- v. लाभांश नीति;

(ञ) वित्तीय विवरण;

(ट) महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन;

(ठ) कानूनी और अन्य जानकारी:

- i. लंबित महत्वपूर्ण मुकदमे और महत्वपूर्ण घटनाक्रम;

- ii. लंबित महत्वपूर्ण सरकारी/नियामक अनुमोदन;
- (ड) उनके व्यवसाय सहित प्रमुख समूह एंटिटियों का विवरण;
- (ढ) अन्य नियामक और वैधानिक प्रकटीकरण;
- (ण) कोई अन्य महत्वपूर्ण प्रकटीकरण।
- (5) अस्वीकरण: पेशकश दस्तावेज में मोटे अक्षरों में निम्नलिखित अस्वीकरण शामिल होना चाहिए:
- "यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि आईएफएससीए के साथ पेशकश दस्तावेज दाखिल करना रिकॉर्ड के उद्देश्य से है और किसी भी तरह से यह नहीं माना जाना चाहिए या यह नहीं माना जाना चाहिए कि आईएफएससीए द्वारा इसे स्वीकृति दे दी गई है या अनुमोदित किया गया है। आईएफएससीए जारीकर्ता की वित्तीय सुदृढ़ता या पेशकश दस्तावेज में दिए गए कथनों या व्यक्त विचारों की शुद्धता के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। जारीकर्ता और प्रमुख प्रबंधक (प्रबंधकों) ने प्रमाणित किया है कि पेशकश दस्तावेज में किए गए प्रकटीकरण सत्य, सही और पर्याप्त हैं और आईएफएससीए (सूचीबद्धता) विनियम, 2024 के अनुरूप हैं। यह आवश्यकता निवेशकों को निवेश करने के लिए संसूचित निर्णय लेना सुकर बनाने के लिए है। जारीकर्ता हर समय पेशकश दस्तावेज में सभी प्रासंगिक जानकारी की शुद्धता, पर्याप्तता और प्रकटीकरण के लिए उत्तरदायी होगा।"*
- (6) जारीकर्ता की कम से कम पिछले तीन वित्तीय वर्षों की लेखापरीक्षित वित्तीय जानकारी पेशकश दस्तावेज में प्रकट की जाएगी:
- बशर्ते कि जहां जारीकर्ता तीन वर्षों से कम समय से अस्तित्व में है, वहां अस्तित्व की ऐसी अवधि के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय जानकारी प्रदान की जाएगी:
- बशर्ते यह भी कि जहां वित्तीय जानकारी किसी वित्तीय वर्ष के किसी भाग के लिए प्रदान की जाएगी, ऐसी वित्तीय जानकारी की सीमित समीक्षा की जा सकती है।
- (7) उप-विनियमन (6) के होते हुए भी, यदि जारीकर्ता एक वर्ष से कम समय से अस्तित्व में है, तो प्रदान की गई वित्तीय जानकारी का लेखापरीक्षा की जाएगी।
- (8) पेशकश दस्तावेज में प्रदान की गई वित्तीय जानकारी एक सौ पैंतीस दिनों से अधिक पुरानी नहीं होगी।
- (9) जारीकर्ता अपने वित्तीय विवरण अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों ('आईएफआरएस') या अमेरिका में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (यूएसजीएपी) या भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) या अन्य लेखा मानकों जो उसके गृह क्षेत्राधिकार में लागू हो सकते हैं, के अनुसार तैयार करेगा:
- बशर्ते कि अपने गृह क्षेत्राधिकार (आईएफआरएस, यूएस जीएपी और इंड एस को छोड़कर) के लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने वाले जारीकर्ता के लिए आईएफआरएस के साथ इसका मिलान करना आवश्यक होगा।
- 17. आरक्षण**
- जारीकर्ता निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों के पक्ष में इश्यू आकार में आरक्षण करने का विकल्प चुन सकता है और इसे पेशकश दस्तावेज में उचित रूप से प्रकट किया जाएगा:
- (क) कर्मचारी;
- (ख) निदेशक; और
- (ग) सूचीबद्ध समूह संस्थाओं के शेयरधारक (नियंत्रक शेयरधारकों के अलावा)।
- 18. मूल्य निर्धारण**
- जारीकर्ता लीड मैनेजर(रों) के परामर्श से, या तो निश्चित मूल्य या बही निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से मूल्य निर्धारण निर्धारित करेगा और पेशकश दस्तावेज में उचित रूप से इसका प्रकटीकरण करेगा:

बशर्ते कि किसी सार्वजनिक भारतीय कंपनी द्वारा इक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता के मामले में, जारीकर्ता विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 की अनुसूची XI के अधीन निर्धारित अपेक्षाओं का भी अनुपालन करेगा।

19. पेशकश अवधि

प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश कम से कम एक कार्य दिवस और अधिकतम दस कार्य दिवसों के लिए खुली रखी जाएगी:

बशर्ते कि यदि जारीकर्ता ने किसी अन्य क्षेत्राधिकार में एक साथ पेशकश की है, तो पेशकश अवधि वही अवधि होगी जो अन्य क्षेत्राधिकार में लागू है।

20. न्यूनतम सार्वजनिक पेशकश

- (1) जहां जारीकर्ता आईएफएससी सहित भारत में निगमित कोई कंपनी है, ऐसे जारीकर्ता को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के अधीन निर्धारित न्यूनतम सार्वजनिक पेशकश और आबंटन का और न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता का अनुपालन करेगा।
- (2) जहां जारीकर्ता भारत से बाहर निगमित कोई कंपनी है, तो वह आम जनता को इश्यू पश्च पूंजी का कम से कम 10% न्यूनतम पेशकश और आबंटन करेगा और ऐसा जारीकर्ता इश्यू पश्च पूंजी की कम से कम 10% न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता को सतत आधार पर बनाए रखेगा।

21. न्यूनतम अभिदान

किसी पेशकश को तभी सफल माना जाएगा जब पेशकश दस्तावेज में बताई गई न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त हो जाए:

बशर्ते कि न्यूनतम अभिदान की अवधारणा केवल निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के नए इश्यू पर लागू होगी, न कि सार्वजनिक पेशकश के विक्री के लिए पेशकश घटक पर।

22. एंकर निवेशक

जारीकर्ता, एंकर निवेशक के विवरण, एंकर निवेशक को आबंटन की प्रस्तावित अधिकतम सीमा, लॉकअप (यदि कोई हो), मूल्य निर्धारण आदि जैसे प्रासंगिक प्रकटीकरण करके, एंकर निवेशक द्वारा अभिदान के लिए इश्यू आकार का एक अंश पेश कर सकता है।

23. हामीदारी

निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के सार्वजनिक इश्यू को हामीदार द्वारा हामीदारी की जा सकती है और ऐसे मामले में, हामीदारी व्यवस्था के बारे में पर्याप्त प्रकटीकरण पेशकश दस्तावेज में प्रकट किए जाएंगे।

24. अनुश्रवण अभिकरण

- (1) जारीकर्ता, इश्यू से प्राप्त राशि के उपयोग के अनुश्रवण के लिए अनुश्रवण अभिकरण के रूप में प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी या भारत में किसी विनियामक या किसी विदेशी क्षेत्राधिकार में किसी विनियामक के साथ रजिस्ट्रीकृत वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को नियुक्त करने के लिए उसका चयन कर सकता है।
- (2) जहां अनुश्रवण अभिकरण नियुक्त किया गया है, वहां जारीकर्ता प्रत्येक तिमाही के अंत से पैंतालीस दिनों के भीतर अनुश्रवण अभिकरण की रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करके सार्वजनिक रूप से प्रसारित करेगा और साथ ही उसे मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों), जिस पर उसकी निर्दिष्ट प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं, में प्रस्तुत करेगा।

25. आवंटन

- (1) निवेशकों को आवंटन आनुपातिक आधार या विवेकाधीन आधार पर होगा, जैसा कि जारीकर्ता द्वारा लीड मैनेजर (रॉ) के परामर्श से तय किया जाएगा और पेशकश दस्तावेज में इसका प्रकटीकरण किया जाएगा।

- (2) जारीकर्ता और लीड मैनेजर यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का आवंटन हो और भुगतान और रिनिधि इश्यू के समापन की तारीख से पांच कार्य दिवसों के भीतर पूरा हो जाए।

26. सूचीबद्धता

जारीकर्ता अपनी निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचीबद्ध करेगा:

बशर्ते कि यदि जारीकर्ता ने किसी अन्य क्षेत्राधिकार में एक साथ पेशकश दिया है, तो निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को उसी तारीख को सूचीबद्ध किया जाएगा।

27. इश्यू के बाद की रिपोर्ट

जारीकर्ता, प्रमुख प्रबंधक(कों) के माध्यम से, इश्यू के समापन की तारीख से दस कार्य दिवसों के भीतर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) के साथ एक इश्यू के बाद की रिपोर्ट दाखिल करेगा, जिसमें प्राप्त सभी आवेदनों की संख्या, मूल्य और प्रतिशत, किए गए आवंटन, आवंटन का आधार, सदस्यता, निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के क्रेडिट का विवरण, भुगतान और धनवापसी से संबंधित विवरण और सूचीबद्धता आवेदन फ़ाइल करने की तारीख से संबंधित विवरण शामिल होंगे।

28. ग्रीन शू विकल्प के माध्यम से मूल्य स्थिरीकरण

- (1) कोई जारीकर्ता अपनी निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के सूचीबद्ध होने के बाद के मूल्य को स्थिर करने के लिए ग्रीन शू विकल्प प्रदान कर सकता है, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:
- (क) मसौदा पेशकश दस्तावेज में ग्रीन शू विकल्प के बारे में सभी महत्वपूर्ण प्रकटीकरण शामिल हैं;
- (ख) जारीकर्ता ने स्थिरीकरण एजेंट के रूप में प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रीकृत निवेश बैंकर या ब्रोकर डीलर को नियुक्त किया है, जो मूल्य स्थिरीकरण प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होगा;
- (ग) निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के आवंटन या आवंटन के उद्देश्य से पूर्व-इश्यू शेयरधारकों से उधार ली जा सकने वाली निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की अधिकतम संख्या कुल इश्यू आकार के 15% से अधिक नहीं होगी।
- (2) मूल्य स्थिरीकरण प्रक्रिया सार्वजनिक इश्यू में आवंटित निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के संबंध में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) से ट्रेडिंग अनुमति प्राप्त करने की तारीख से नब्बे दिनों से अधिक की अवधि के लिए उपलब्ध होगी।
- (3) स्थिरीकरण एजेंट, आवेदकों से प्राप्त धनराशि को ओवर-अलॉटमेंट के समक्ष जमा करने के लिए बैंकिंग इकाई के साथ इश्यू खाते से अलग एक विशेष खाता खोलेगा तथा विशेष बैंक खाते में जमा धनराशि में से स्थिरीकरण अवधि के दौरान बाजार से खरीदी जाने वाली निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को जमा करने के लिए निक्षेपागार प्रतिभागी के साथ विशेष खाता खोलेगा।
- (4) बाजार से खरीदी गई निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को इश्यू-पूर्व शेयरधारकों को शीघ्रता से तथा स्थिरीकरण अवधि की समाप्ति के दो कार्य दिवसों के भीतर वापस कर दिया जाएगा।
- (5) स्थिरीकरण अवधि की समाप्ति पर, यदि स्थिरीकरण एजेंट बाजार से निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को खरीदने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी प्रतिभूतियों को अधिक आवंटित किया गया है, तो जारीकर्ता स्थिरीकरण अवधि के समापन के पांच कार्य दिवसों के भीतर कमी की सीमा तक इश्यू मूल्य पर निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को आवंटित करेगा और ऐसी निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को स्थिरीकरण एजेंट द्वारा पूर्व-इश्यू शेयरधारकों को उनसे उधार ली गई निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के बदले में वापस कर दिया जाएगा और उसके बाद निक्षेपागार प्रतिभागी के पास डीमैट खाता बंद कर दिया जाएगा।
- (6) जारीकर्ता उप-विनियमन (5) के अधीन आवंटित आगे निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के संबंध में सभी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को सूचीबद्धता आवेदन करेगा, जहां सार्वजनिक इश्यू में आवंटित निर्दिष्ट प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं।

- (7) जारीकर्ता को धनराशि प्रेषित करने तथा स्थिरीकरण प्रक्रिया के लिए स्थिरीकरण एजेंट द्वारा किए गए व्यय की कटौती के पश्चात विशेष बैंक खाते में बची हुई धनराशि उन पूर्व-इश्यू शेयरधारकों को हस्तांतरित कर दी जाएगी, जिन्होंने ग्रीन शू विकल्प के लिए अपनी निर्दिष्ट प्रतिभूतियां उधार दी थीं, तथा उसके तुरंत बाद विशेष बैंक खाता बंद कर दिया जाएगा।

29. प्रतिभूतियों का लॉकअप

- (1) जारीकर्ता के प्रवर्तकों तथा नियंत्रक शेयरधारकों की पूर्व-इश्यू शेयरधारिता आरंभिक सार्वजनिक पेशकश दस्तावेज में आवंटन की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के लिए लॉक-अप रहेगी:
- बशर्ते कि ग्रीन शू विकल्प के प्रयोजन के लिए स्थिरीकरण एजेंट को उधार दी गई ऐसी निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के उधार देने की तारीख से आरंभ होकर उस तारीख तक, जिस तारीख को वे ऋणदाता को वापस की जाती हैं, निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के संबंध में लॉकअप उपबंध लागू नहीं होंगे।
- (2) एसआर इक्विटी शेयरों की शेयरधारिता आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के पश्चात, निम्नांकित की तारीख तक लॉक-अप रहेगी:
- क) उनका साधारण शेयरों में रूपांतरण; और
- ख) आरंभिक सार्वजनिक पेशकश दस्तावेज में आवंटन की तारीख से एक वर्ष।
- (3) लॉक-अप की गई निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखा जा सकता है:
- बशर्ते कि इस तरह का लॉक-अप गिरवी के आह्वान के अनुसरण में जारी रहेगा और हस्तांतरिती इन विनियमों में निर्धारित लॉक-अप अवधि समाप्त होने तक निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को स्थानांतरित करने का पात्र नहीं होगा।

30. प्रमुख प्रबंधक के अन्य उत्तरदायित्व

- (1) प्रमुख प्रबंधक एक अनुसूची तैयार करेंगे, जिसमें इश्यू से संबंधित उत्तरदायित्वों के गतिविधि-वार आवंटन को सूचीबद्ध किया जाएगा, कार्यकलापों या उप-कार्यकलापों के प्रत्येक सेट के लिए उत्तरदायित्व प्रमुख प्रबंधक (प्रबंधकों) का नाम होगा, और पेशकश दस्तावेज में इसका प्रकटीकरण किया जाएगा।
- (2) प्राधिकरण के साथ समन्वय के लिए प्रमुख प्रबंधक को नामित किया जाएगा तथा वह यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि सभी मध्यस्थ जारीकर्ता के साथ अपने समझौतों में निर्दिष्ट अपने दायित्वों और कार्यों को पूरा करें।
- (3) प्रमुख प्रबंधक(कों) उत्तरदायित्व इश्यू से संबंधित सभी इश्यू-पूर्व और इश्यू-पश्च कार्यकलापों के लिए जारी रहेंगे।

31. प्रोत्साहनों के भुगतान पर प्रतिबंध

इश्यू से जुड़ा कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक पेशकश दस्तावेज में आवेदन करने के लिए किसी भी व्यक्ति को सिवाय इश्यू के संबंध में प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क या कमीशन के, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, नकद राशि या वस्तु या सेवाओं या अन्यथा, किसी भी तरह से कोई प्रोत्साहन नहीं देगा और न ही प्राप्त करेगा।

भाग ख : अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश

32. प्रयोज्यता

सूचीबद्ध एंटीटी इन विनियमों में दिए गए तरीके से निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश कर सकती है।

33. बिक्री के लिए पेशकश

- (1) बिक्री के लिए पेशकश के मामले में, निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को विद्यमान धारकों द्वारा मसौदा पेशकश दस्तावेज दाखिल करने की तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए रखा जाना चाहिए:

बशर्ते कि यदि रूपांतरण पर प्राप्त इक्विटी शेयरों को बिक्री के लिए पेश किया जा रहा है, तो परिवर्तनीय प्रतिभूतियों या निक्षेपागार रसीदों की होल्डिंग अवधि, जैसा भी मामला हो, और परिणामी इक्विटी शेयरों की होल्डिंग अवधि को एक वर्ष की अवधि की गणना के उद्देश्य से माना जाएगा।

स्पष्टीकरण: जहां रूपांतरण से उत्पन्न इक्विटी शेयरों को बिक्री के लिए पेश किया जा रहा है, ऐसे रूपांतरण को पेशकश दस्तावेज दाखिल करने से पहले पूरा किया जाना चाहिए और रूपांतरण की शर्तों का पूरा प्रकटीकरण मसौदा पेशकश दस्तावेज में किया जाना चाहिए।

(2) उप-विनियम (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी, एक वर्ष की अवधि के लिए इक्विटी शेयर रखने की आवश्यकता लागू नहीं होगी:

क) जहां बिक्री के लिए प्रस्तावित इक्विटी शेयर किसी विलय या समामेलन की योजना के अनुसार व्यवसाय और निवेशित पूंजी के बदले में अधिग्रहित किए गए थे, जो ऐसी योजना के अनुमोदन से पहले एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अस्तित्व में थे; या

ख) जहां बिक्री के लिए प्रस्तावित इक्विटी शेयर प्राधिकरण के साथ मसौदा पेशकश दस्तावेज दाखिल करने से कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए और निम्नांकित के अध्यक्षीन, धारित प्रतिभूतियों पर बोनस इश्यू के अधीन जारी किए गए थे:

(i) जिस वित्तीय वर्ष में मसौदा पेशकश दस्तावेज प्राधिकरण के साथ दाखिल किया गया है, उससे पहले के वित्तीय वर्ष के अंत में लेखा बहियों में विद्यमान मुक्त आरक्षित निधियों और शेयर प्रीमियम से जारी किए जा रहे इक्विटी शेयर; और

(ii) पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों या जारीकर्ता के अप्राप्त लाभों के उपयोग से जारी नहीं किए जा रहे इक्विटी शेयर।

34. प्रमुख प्रबंधक

जारीकर्ता प्रमुख प्रबंधक(कों) के परामर्श से इश्यू के लिए प्रमुख प्रबंधक(कों) तथा अन्य मध्यस्थों की नियुक्ति करेगा।

35. मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) से सैद्धांतिक स्वीकृति

(1) जारीकर्ता निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के सूचीबद्धता के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में आवेदन करेगा:

बशर्ते कि जहां आवेदन एक से अधिक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में किया जाएगा, वहां जारीकर्ता उनमें से किसी एक को नामित स्टॉक एक्सचेंज के रूप में चुनेगा।

(2) मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जारीकर्ता से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करेगा या आवेदन को अस्वीकार करेगा।

36. फास्ट ट्रेक अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश

(1) यदि जारीकर्ता निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगा, तो जारीकर्ता फास्ट ट्रेक रूट के माध्यम से अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश कर सकता है:

(क) जारीकर्ता के इक्विटी शेयर कम से कम अठारह माह की अवधि के लिए किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए गए हैं;

(ख) जारीकर्ता ने पिछले तीन वर्षों में प्राधिकरण और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट सभी विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है;

(ग) प्राधिकरण या किसी अन्य वित्तीय क्षेत्र विनियामक द्वारा जारीकर्ता या उसके प्रवर्तकों या नियंत्रक शेयरधारकों या पूर्णकालिक निदेशकों के विरुद्ध कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया है और न ही लंबित है;

- (घ) पिछले तीन वर्षों में जारीकर्ता या जारीकर्ता की किसी सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी (जिसका जारीकर्ता के समेकित खातों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता हो) के वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षकों द्वारा कोई प्रतिकूल राय, राय का अस्वीकरण, अर्हक राय नहीं दी गई है;
- (ङ) किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या अनुपालन अधिकारी द्वारा जारीकर्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली अनियमितताओं से संबंधित कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

स्पष्टीकरण: जहां जारीकर्ता तीन वर्ष से कम अवधि के लिए सूचीबद्ध है, वहां खंड (ख) और (घ) के अधीन अवधि की गणना प्रारंभिक सूचीबद्धता की तारीख से की जाएगी।

- (2) जारीकर्ता, प्रमुख प्रबंधक(कों) के माध्यम से, प्राधिकरण के पास लागू शुल्क के साथ पेशकश दस्तावेज दाखिल करेगा।
- (3) प्रमुख प्रबंधक(कों) को पेशकश दस्तावेज के साथ उचित परिश्रम प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- (4) जारीकर्ता एक साथ मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) के साथ पेशकश दस्तावेज दाखिल करेगा।
- (5) पेशकश दस्तावेज प्राधिकरण, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों), जारीकर्ता और इश्यू के प्रमुख प्रबंधक(कों) की वेबसाइटों पर होस्ट किया जाएगा।

37. फास्ट ट्रेक के बिना अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश

फास्ट ट्रेक अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश की शर्तों को पूरा न करने वाला जारीकर्ता, इस अध्याय के भाग क के अंतर्गत आरंभिक सार्वजनिक पेशकशों के लिए लागू तरीके से मसौदा पेशकश दस्तावेज दाखिल करके अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश कर सकता है।

38. अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश के लिए पेशकश दस्तावेज में प्रकटीकरण

- (1) अनुवर्ती पेशकश के लिए पेशकश दस्तावेज में सभी महत्वपूर्ण प्रकटीकरण शामिल होने चाहिए जो निवेशकों को सूचित निवेश निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए सत्य, सही और पर्याप्त हों।
- (2) इस विनियमन के अंतर्गत प्रकटीकरण की 'महत्वपूर्णता' के उद्देश्य से, जारीकर्ता, जहां भी लागू हो, पेशकश दस्तावेज में अपनी 'महत्वपूर्णता नीति' का विवरण प्रदान करेगा और पेशकश दस्तावेज दाखिल करने के बाद और सूचीबद्धता से पहले सभी महत्वपूर्ण जानकारी का प्रकटीकरण सुनिश्चित करेगा।
- (3) प्रमुख प्रबंधक उचित परिश्रम करेंगे और पेशकश दस्तावेज में प्रकटीकरण की महत्वपूर्णता, सत्यता और पर्याप्तता सहित मुद्दे के सभी पहलुओं के बारे में खुद को संतुष्ट करेंगे।
- (4) पेशकश दस्तावेज में सार्वजनिक पेशकश से संबंधित अपेक्षित प्रकटीकरण शामिल होंगे, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- (क) पेशकश दस्तावेज सारांश;
- (ख) जोखिम कारक;
- (ग) पेशकश विवरण का संक्षिप्त अवलोकन प्रदान करने वाला परिचय;
- (घ) सामान्य जानकारी;
- (ङ) पूंजी संरचना;

स्पष्टीकरण: पूंजी संरचना में प्रदत्त पूंजी का पांच प्रतिशत या उससे अधिक रखने वाले सभी शेयरधारकों का विवरण शामिल होगा;

(च) इश्यू का विवरण:

- (i) इश्यू के उद्देश्य;
- (ii) निधि की आवश्यकता;
- (iii) वित्तपोषण योजना;

- फ. व्यवसाय/परियोजना मूल्यांकन, यदि कोई हो;
- ब. निधि का परिनियोजन;
- भ. इश्यू मूल्य का आधार;
- (छ) हामीदारी;
- (ज) निवेशकों के लिए कर निहितार्थ;
- (झ) वित्तीय विवरण;
- (ञ) महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन;
- (ट) कानूनी और अन्य जानकारी:
- (i) लंबित महत्वपूर्ण मुकदमेबाजी और महत्वपूर्ण घटनाक्रम;
- (ii) लंबित महत्वपूर्ण सरकारी/नियामक अनुमोदन;
- (ठ) प्रमुख समूह एंटीटियों का ब्यौरा जिसमें उनका व्यवसाय भी शामिल है;
- (ड) अन्य विनियामक और वैधानिक प्रकटीकरण;
- (ढ) कोई अन्य महत्वपूर्ण प्रकटीकरण;

स्पष्टीकरण: जारीकर्ता स्टॉक एक्सचेंज पर हाल ही में किए गए प्रॉस्पेक्टस या अन्य प्रकटीकरण का संदर्भ प्रदान करके पेशकश दस्तावेज में प्रकटीकरण कर सकता है।

5. पेशकश दस्तावेज में मोटे अक्षरों में निम्नलिखित अस्वीकरण शामिल होगा:

"यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि आईएफएससीए के साथ पेशकश दाखिल करना रिकॉर्ड के उद्देश्य से है और किसी भी तरह से यह नहीं माना जाना चाहिए या यह नहीं माना जाना चाहिए कि आईएफएससीए द्वारा इसे अनुमोदन दे दी गई है या अनुमोदित किया गया है। आईएफएससीए जारीकर्ता की वित्तीय सुदृढ़ता या दिए गए कथनों या पेशकश दस्तावेज में व्यक्त विचारों की सत्यता के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। जारीकर्ता और प्रमुख प्रबंधक(कों) ने प्रमाणित किया है कि पेशकश दस्तावेज में किए गए प्रकटीकरण सत्य, सही और पर्याप्त हैं और आईएफएससीए (सूचीबद्धता) विनियम, 2024 के अनुरूप हैं। यह आवश्यकता निवेशकों को निवेश करने के लिए संसूचित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने के लिए है। जारीकर्ता पेशकश दस्तावेज में सभी प्रासंगिक जानकारी की शुद्धता, पर्याप्तता और प्रकटीकरण के लिए हमेशा उत्तरदायी होगा।

39. इश्यू प्रक्रिया

पेशकश का समय, मूल्य निर्धारण, पेशकश की अवधि, न्यूनतम सदस्यता, एंकर निवेशक, हामीदारी, अनुश्रवण अभिकरण, आवंटन, सूचीबद्धता, इश्यू-पत्र रिपोर्ट, लीड मैनेजर की अन्य उत्तरदायित्व और इस अध्याय के भाग क के अधीन आरंभिक सार्वजनिक पेशकशों के लिए प्रदान किए गए प्रोत्साहनों के भुगतान पर प्रतिबंध से संबंधित प्रावधान, इस अध्याय के अंतर्गत अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश पर भी लागू होंगे।

अध्याय IV: सार्वजनिक पेशकश के बिना निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता

40. सार्वजनिक पेशकश के बिना निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता

कोई जारीकर्ता प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीके से सार्वजनिक पेशकश किए बिना किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध कर सकता है।

अध्याय V: अन्य क्षेत्राधिकार में पहले से सूचीबद्ध निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता

41. सार्वजनिक पेशकश के बिना द्वितीयक सूचीबद्धता

कोई जारीकर्ता, जिसकी निर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ आईएफएससीए के बाहर किसी क्षेत्राधिकार में सूचीबद्ध हैं, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, सार्वजनिक पेशकश किए बिना, उन निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) पर सूचीबद्ध कर सकता है:

- (क) वह मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) द्वारा निर्दिष्ट तरीके से सूचीबद्धता आवेदन फ़ाइल करेगा; और
- (ख) वह मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) की सूचीबद्धता अपेक्षाओं और प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट ऐसी अन्य शर्तों का अनुपालन करेगा।

42. सार्वजनिक पेशकश के साथ सूचीबद्ध करना

- (1) कोई जारीकर्ता, जिसकी निर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ आईएफएससी के बाहर किसी क्षेत्राधिकार में सूचीबद्ध हैं, सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) में सूचीबद्ध कर सकता है।
- (2) लीड मैनेजर की नियुक्ति, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों से सैद्धांतिक अनुमोदन, पेशकश दस्तावेज दाखिल करना, पेशकश का समय, पेशकश दस्तावेज में प्रकटीकरण, आरक्षण, मूल्य निर्धारण, पेशकश अवधि, न्यूनतम सार्वजनिक पेशकश, न्यूनतम सदस्यता, एंकर निवेशक, हामीदारी, अनुश्रवण अभिकरण, आवंटन, सूचीबद्धता, इश्यू के बाद की रिपोर्ट, ग्रीन शू विकल्प के माध्यम से मूल्य स्थिरीकरण, प्रतिभूतियों का लॉकअप, लीड मैनेजर के अन्य उत्तरदायित्व और अध्याय III के भाग क के अंतर्गत आरंभिक सार्वजनिक पेशकशों के लिए प्रदान किए गए प्रोत्साहनों के भुगतान पर प्रतिबंध, सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से सूचीबद्ध करने पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे:
- स्पष्टीकरण: आरंभिक प्रकटीकरण के उद्देश्य से, जारीकर्ता हाल ही में किसी स्टॉक एक्सचेंज या किसी नियामक निकाय के साथ किए गए प्रॉस्पेक्टस या अन्य प्रकटीकरणों का संदर्भ प्रदान करके मसौदा पेशकश दस्तावेज में प्रकटीकरण प्रस्तुत कर सकता है।
- (3) आईएफएससी और भारत में दोहरी सूचीबद्धता वाली सार्वजनिक भारतीय कंपनी, प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अतिरिक्त विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी।

43. अर्हक संस्थान प्लेसमेंट

भारत में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध अपने इक्विटी शेयरों वाली सार्वजनिक भारतीय कंपनी को प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट तरीके से अर्हक संस्थान प्लेसमेंट करने की अनुमति दी जा सकती है।

अध्याय VI: विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनियों (एसपीएसी) की सूचीबद्धता

44. पात्रता

- (1) एसपीएसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) पर निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से पूंजी जुटाने के लिए पात्र है, केवल तभी जब:
- (क) आईपीओ से पहले लक्षित व्यावसायिक संयोजन की पहचान नहीं की गई हो;
- (ख) एसपीएसी में इन विनियमों के अनुरूप मोचन और परिसमापन के प्रावधान हैं; और
- (ग) एसपीएसी के प्रायोजक का एसपीएसी लेनदेन, व्यावसायिक संयोजन, निधि प्रबंधन या निवेश बैंकिंग कार्यकलापों में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और इसे पेशकश दस्तावेज में प्रकट किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, प्रायोजक का अर्थ एसपीएसी के गठन को प्रायोजित करने वाला व्यक्ति होगा और इसमें आईपीओ से पहले एसपीएसी की कोई निर्दिष्ट प्रतिभूति रखने वाले व्यक्ति शामिल होंगे।

- (2) एक एसपीएसी इन विनियमों के अधीन निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि जारीकर्ता या उसके किसी प्रायोजक को:
- (क) पूंजी बाजार तक पहुँचने से वंचित किया गया हो; या
- (ख) जानबूझकर चूक करने वाला; या
- (ग) भगोड़ा आर्थिक अपराधी।

45. आईपीओ प्रक्रिया

अध्याय III के भाग क के अधीन आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के लिए प्रदान किए गए प्रमुख प्रबंधक की नियुक्ति, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से सैद्धांतिक अनुमोदन और पेशकश दस्तावेज दाखिल करने से संबंधित उपबंध, एसपीएसी द्वारा आरंभिक सार्वजनिक पेशकश पर भी यथावश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

46. पेशकश का समय

प्राधिकरण द्वारा अवलोकन जारी करने की तारीख से बारह माह से अधिक की अवधि के भीतर जारीकर्ता द्वारा पेशकश दिया जाएगा:

बशर्ते कि यदि निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर पेशकश नहीं दिया जाएगा, तो नया मसौदा पेशकश दस्तावेज दाखिल किया जाएगा।

47. पेशकश दस्तावेज में प्रारंभिक प्रकटीकरण

- (1) पेशकश दस्तावेज में सभी महत्वपूर्ण प्रकटीकरण शामिल होंगे जो निवेशकों को संसूचित निवेश निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए सत्य, सही और पर्याप्त हैं।
- (2) इस विनियमन के अधीन प्रकटीकरण की 'महत्वपूर्णता' के उद्देश्य से, जारीकर्ता अपनी 'महत्वपूर्णता नीति' का विवरण, जहाँ भी लागू हो, पेशकश दस्तावेज में प्रदान करेगा और पेशकश दाखिल करने के बाद और सूचीबद्धता से पहले सभी महत्वपूर्ण जानकारी का प्रकटीकरण सुनिश्चित करेगा।
- (3) लीड मैनेजर उचित परिश्रम करेंगे और पेशकश दस्तावेज में प्रकटीकरण की महत्ता, सत्यता और पर्याप्तता सहित मुद्दे के सभी पहलुओं के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेंगे।
- (4) पेशकश दस्तावेज में निम्नांकित सहित सार्वजनिक पेशकश से संबंधित अपेक्षित प्रकटीकरण शामिल होंगे, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
 - क) पेशकश सारांश;
 - ख) जोखिम कारक
 - ग) पेशकश विवरण का संक्षिप्त अवलोकन प्रदान करने वाला परिचय
 - घ) सामान्य जानकारी
 - ङ) पूंजी संरचना
 - च) मोचन अधिकार
 - छ) परिसमापन
 - ज) इश्यू का विवरण:
 - i. इश्यू के उद्देश्य
 - ii. निधियों की आवश्यकता
 - झ) हामीदारी
 - ञ) निवेशकों के लिए कर निहितार्थ
 - ट) जारीकर्ता के बारे में:
 - i. संगठनात्मक संरचना
 - ii. प्रायोजकों और उनके ट्रेक रिकॉर्ड का विवरण;
 - iii. यदि लागू हो तो एसपीएसी का लक्षित व्यवसाय क्षेत्र या उसके व्यावसायिक संयोजन के लिए भौगोलिक क्षेत्र;

स्पष्टीकरण: हालाँकि, लक्षित व्यावसायिक संयोजन की पहचान आईपीओ से पहले नहीं की जाएगी और इस संबंध में एक घोषणा का प्रकटीकरण किया जाएगा।

- iv. व्यावसायिक संयोजन के पूरा होने की समय अवधि;
- v. व्यावसायिक संयोजन के मूल्यांकन में उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन पद्धति (या पद्धतियाँ), यदि ज्ञात हो;
- vi. प्रबंधन;
- vii. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और पारिश्रमिक;
- ठ) वित्तीय विवरण;
- ड) महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन;
- ढ) कानूनी और अन्य जानकारी:
 - i. लंबित महत्वपूर्ण मुकदमे और महत्वपूर्ण घटनाक्रम;
 - ii. लंबित महत्वपूर्ण सरकारी/नियामक अनुमोदन;
- ण) उनके व्यवसाय सहित प्रमुख समूह संस्थाओं का विवरण;
- प) अन्य नियामक और वैधानिक प्रकटीकरण;
- फ) कोई अन्य महत्वपूर्ण प्रकटीकरण।

48. इश्यू आकार

- (1) इश्यू का आकार पचास मिलियन अमेरिकी डॉलर से कम नहीं होगा या प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा-निर्दिष्ट कोई अन्य राशि होगी।
- (2) प्रायोजकों के पास इश्यू के बाद प्रदत्त पूंजी का कम से कम पंद्रह प्रतिशत (15%) और अधिकतम बीस प्रतिशत (20%) होगा;
- (3) आईपीओ से पहले, प्रायोजक के पास एसपीएसी में कुल सदस्यता (सभी प्रतिभूतियाँ) दस मिलियन अमेरिकी डॉलर या इश्यू आकार के कम से कम ढाई प्रतिशत (2.5%) के बराबर राशि होगी, जो भी कम हो; या प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य सीमा होगी।

49. मूल्य निर्धारण

इश्यू एक निश्चित मूल्य तंत्र के माध्यम से होगा और जारीकर्ता प्रमुख प्रबंधक(कों) के परामर्श से मूल्य निर्धारित करेगा।

50. पेशकश की अवधि

आरंभिक सार्वजनिक पेशकश को कम से कम एक कार्य दिवस और अधिकतम दस कार्य दिवसों के लिए खुला रखा जाएगा।

51. हामीदारी

- (1) निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का सार्वजनिक इश्यू हामीदार द्वारा अवलिखित किया जा सकता है और ऐसे मामले में हामीदारी व्यवस्थाओं के बारे में पर्याप्त प्रकटीकरण पेशकश दस्तावेज में किया जाएगा।
- (2) हामीदारी कमीशन का कम से कम पचास प्रतिशत (50%) व्यवसाय संयोजन के सफल समापन तक स्थगित किया जाएगा, और एस्करो खाते में जमा किया जाएगा।
- (3) परिसमापन के मामले में, हामीदार को एस्करो खाते में जमा किए गए स्थगित कमीशन पर कोई अधिकार नहीं होगा।

52. आवेदन और आवंटन

- (1) एसपीएसी के आरंभिक सार्वजनिक पेशकश दस्तावेज में न्यूनतम आवेदन आकार एक लाख अमेरिकी डॉलर होगा।
- (2) निवेशकों को आवंटन आनुपातिक आधार या विवेकाधीन आधार पर किया जाएगा, जैसा कि पेशकश दस्तावेज में बताया गया है।
- (3) जारीकर्ता और प्रमुख प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ आवंटित की जाएँ, और भुगतान और रिनिधि इश्यू के समापन की तारीख से पाँच कार्य दिवसों के भीतर पूरा हो जाए।

53. अन्य उपबंध

अध्याय III के भाग क के अधीन आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के लिए सूचीबद्धता, इश्यू के बाद की रिपोर्ट, प्रमुख प्रबंधक के अन्य उत्तरदायित्वों और प्रोत्साहनों के भुगतान पर प्रतिबंध से संबंधित उपबंध इस अध्याय के अधीन आरंभिक सार्वजनिक पेशकश पर भी लागू होंगे।

54. एसपीएसी विशिष्ट दायित्व

- (1) एसपीएसी यह सुनिश्चित करेगा कि आईपीओ की पूरी आय एसपीएसी के व्यावसायिक संयोजन के समापन तक एक स्वतंत्र संरक्षक द्वारा नियंत्रित ब्याज-असर वाले एस्करो खाते में रखी जाए।
- (2) एस्करो खाते में रखी गई आय को केवल अल्पकालिक निवेश ग्रेड लिक्विड इंस्ट्रुमेंट्स में निवेश किया जाएगा, जैसा कि पेशकश दस्तावेज में बताया गया है।
- (3) एस्करो खाते में रखी गई आय से प्राप्त ब्याज और अन्य आय एसपीएसी द्वारा केवल निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए निकाली जा सकती है:
 - (क) करों का भुगतान; और
 - (ख) प्रायोजकों के अलावा शेयरधारकों के विशेष संकल्प के माध्यम से पूर्व अनुमोदन के अधीन सामान्य कार्यशील पूंजी व्यय।
- (4) एसपीएसी प्रस्तावित व्यावसायिक संयोजन पर शेयरधारकों की स्वीकृति मांगेगा और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के साथ विस्तृत विवरणिका दाखिल करेगा जिसमें निम्नलिखित सहित सभी प्रासंगिक प्रकटीकरण होंगे:
 - (क) लक्ष्य कंपनी(कम्पनियों) के बारे में जानकारी में उद्योग और व्यवसाय का अवलोकन, संगठनात्मक संरचना, निदेशक मंडल, प्रबंधन और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी), प्रमुख शेयरधारक, महत्वपूर्ण शेयरधारक समझौते, कम से कम पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, कंपनी और उसके निदेशकों और केएमपी के विरुद्ध लंबित महत्वपूर्ण मुकदमे, संभावित हितों के टकराव और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होगी;
 - (ख) एंटिटियों के मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली सहित व्यावसायिक संयोजन लेनदेन के बारे में जानकारी;
 - (ग) व्यावसायिक संयोजन में शामिल प्रक्रिया और लेनदेन को पूरा करने के लिए आवश्यक विभिन्न विनियामक और वैधानिक अनुमोदन के बारे में जानकारी;
 - (घ) परिणामी कंपनी के बारे में जानकारी जो व्यावसायिक संयोजन के पूरा होने के बाद बनाई जाएगी; और
 - (ङ) मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों या प्राधिकरण द्वारा आवश्यक कोई अन्य जानकारी।
- (5) एसपीएसी प्रस्तावित व्यावसायिक संयोजन के लिए प्रायोजकों को छोड़कर अधिकांश शेयरधारकों से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा।
- (6) शेयरधारक (प्रायोजकों को छोड़कर) जिसने प्रस्तावित व्यावसायिक संयोजन के विरुद्ध मतदान किया है, उसके पास अपनी प्रतिभूतियों को एस्करो खाते में रखी गई कुल राशि (देय करों के शुद्ध) के आनुपातिक हिस्से में परिवर्तित करने का मोचन अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण: एसपीएसी के पास उन शेयरधारकों, जिन्होंने मतदान नहीं किया है, को मोचन अधिकार न देने का विकल्प हो सकता है।

- (7) एसपीएसी के नियंत्रण में परिवर्तन की स्थिति में, यह शेयरधारकों (प्रायोजकों को छोड़कर) को अपनी प्रतिभूतियों को एस्करो खाते में रखी गई कुल राशि (देय करों के शुद्ध) के आनुपातिक हिस्से में परिवर्तित करने के लिए मोचन विकल्प प्रदान करेगा।
- (8) एसपीएसी पेशकश दस्तावेज में बताई गई समयसीमा के भीतर व्यावसायिक संयोजन को पूरा करेगा, जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) में सूचीबद्ध होने की तारीख से छत्तीस माह से अधिक नहीं होगी।
- (9) जहां व्यवसाय संयोजन निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूरा नहीं होगा, वहां एस्करो खाते का परिसमापन किया जाएगा, तथा निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को पेशकश दस्तावेज में बताए गए तरीके से असूचीबद्ध किया जाएगा:

बशर्ते कि परिसमापन और असूचीबद्धता की स्थिति में प्रायोजक परिसमापन वितरण में भाग नहीं लेंगे।

- (10) कोई प्रायोजक व्यवसाय संयोजन के पूरा होने से पहले अपनी निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में से किसी को भी हस्तांतरित या बेच नहीं सकता है।
- (11) एसपीएसी यह सुनिश्चित करेगा कि व्यवसाय संयोजन का कुल उचित बाजार मूल्य एस्करो खाते में जमा राशि का कम से कम अस्सी प्रतिशत (80%) हो, जिसमें एस्करो में रखे गए आस्थगित हामीदारी कमीशन और एस्करो की गई निधि पर अर्जित आय पर देय कोई भी कर शामिल नहीं है।
- (12) एसपीएसी और प्रायोजक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजक या उनके किसी सहयोगी का व्यवसाय संयोजन के साथ कोई संबंधित पक्ष लेनदेन या संबंध नहीं है।
- (13) जहां आईपीओ में वारंट जारी किए गए हैं, एसपीएसी निम्नलिखित का अनुपालन करेगा:
 - (क) प्रत्येक इकाई में एक शेयर और एक से अधिक शेयर खरीद वारंट नहीं होंगे;
 - (ख) वारंट का प्रयोग मूल्य आईपीओ में पेश किए गए इक्विटी शेयरों की कीमत से कम नहीं होगा;
 - (ग) वारंट और इक्विटी शेयरों को पेशकश दस्तावेज में बताए गए विवरण के अनुसार मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर अलग-अलग कारोबार किया जा सकता है;
 - (घ) वारंट व्यवसाय संयोजन के पूरा होने से पहले प्रयोग योग्य नहीं होंगे;
 - (ङ.) एसपीएसी के परिसमापन के मामले में, वारंट समाप्त हो जाएंगे; और
 - (च) वारंट का परिसमापन या मोचन पर एस्करो खाते में पड़े धन पर कोई अधिकार नहीं होगा।
- (14) प्राधिकरण समय-समय पर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर एसपीएसी की सूचीबद्धता के संबंध में अतिरिक्त अपेक्षाओं को निर्दिष्ट कर सकता है।

55. निरंतर प्रकटीकरण आवश्यकताएँ

इन विनियमों के अध्याय XII के अंतर्गत सूचीबद्ध एंटीटियों के लिए लागू निरंतर प्रकटीकरण आवश्यकताएँ, यथावश्यक परिवर्तनों के साथ एसपीएसी पर भी लागू होंगी।

56. व्यावसायिक संयोजन के पश्चात

- (1) परिणामी एंटीटी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) को पूर्ण किए गए लेनदेन के बारे में विवरण तुरंत प्रकट करेगी।

स्पष्टीकरण: इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, परिणामी एंटीटी का अर्थ एसपीएसी द्वारा व्यावसायिक संयोजन के पूरा होने से उत्पन्न जारीकर्ता है।
- (2) परिणामी एंटीटी को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) पर सूचीबद्धता जारी रखने के लिए, इन विनियमों में निर्धारित सूचीबद्धता पात्रता मानदंडों को एक सौ अस्सी दिनों के भीतर पूरा करना होगा।

- (3) परिणामी एंटिटी इन विनियमों के अध्याय XII के अधीन निर्दिष्ट सूचीबद्धता दायित्वों और निरंतर प्रकटीकरण अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी।
- (4) परिणामी एंटिटी में एसपीएसी के प्रायोजकों की शेयरधारिता व्यावसायिक संयोजन के समापन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए लॉक हो जाएगी।
- (5) परिणामी एंटिटी के नियंत्रक शेयरधारकों, निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता व्यवसाय संयोजन के समापन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए लॉक रहेगी।

अध्याय VII: अधिकार इश्यू, अधिमान्य इश्यू और अर्हक संस्थान प्लेसमेंट

57. अधिकार इश्यू, अधिमान्य इश्यू और अर्हक संस्थान प्लेसमेंट

कोई सूचीबद्ध एंटिटी, प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुपालन के अधीन, निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के अधिकार इश्यू, अधिमान्य इश्यू या अर्हक संस्थान प्लेसमेंट कर सकती है।

अध्याय VIII: निक्षेपागार रसीदों की सूचीबद्धता

भाग क: पात्रता

58. पात्रता

आईएफएससी के बाहर निगमित कोई जारीकर्ता निक्षेपागार रसीदें जारी करने के लिए तभी पात्र होगा, यदि -

- (i) वह अपने गृह क्षेत्राधिकार में लागू कानूनों के अनुसार निक्षेपागार रसीदें जारी करने के लिए अधिकृत हो; और
- (ii) ऐसी निक्षेपागार रसीदों द्वारा दर्शाई गई अंतर्निहित प्रतिभूतियाँ डीमैट रूप में हों, पूरी तरह से भुगतान की गई हों और सभी देनदारियों से मुक्त हों।

भाग ख: निक्षेपागार रसीदों की सार्वजनिक पेशकश

59. पेशकश का आकार

निक्षेपागार रसीदों का इश्यू आकार सात लाख अमेरिकी डॉलर या प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य राशि से कम नहीं होगा।

60. मसौदा पेशकश दस्तावेज दाखिल करना

मसौदा पेशकश दस्तावेज को इन विनियमों के अध्याय III के भाग क के अध्याय आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के लिए पेशकश दस्तावेज दाखिल करने के लिए निर्दिष्ट विधि से दाखिल किया जाएगा।

61. पेशकश दस्तावेज में आरंभिक प्रकटीकरण

- (1) पेशकश दस्तावेज में सभी महत्वपूर्ण प्रकटीकरण शामिल होंगे जो निवेशकों को संसूचित निवेश निर्णय लेने में सक्षम सत्य, सही और पर्याप्त हैं।
- (2) इस विनियमन के अधीन प्रकटीकरण की 'महता' के उद्देश्य से, जारीकर्ता अपनी 'महता नीति' का विवरण, जहाँ भी लागू हो, पेशकश दस्तावेज में प्रदान करेगा और पेशकश दस्तावेज दाखिल करने के बाद और सूचीबद्धता से पहले सभी महत्वपूर्ण जानकारी का प्रकटीकरण सुनिश्चित करेगा।
- (3) मुख्य प्रबंधक उचित परिश्रम करेंगे और पेशकश दस्तावेज में प्रकटीकरण की महता, सत्यता और पर्याप्तता सहित इश्यू के सभी पहलुओं के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेंगे।
- (4) पेशकश दस्तावेज में सार्वजनिक पेशकश से संबंधित अपेक्षित प्रकटीकरण शामिल होंगे, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
 - (क) पेशकश दस्तावेज सारांश;
 - (ख) जोखिम कारक;
 - (ग) पेशकश विवरण का संक्षिप्त अवलोकन प्रदान करने वाला परिचय;

- (घ) सामान्य जानकारी;
- (ङ) पूंजी संरचना;
स्पष्टीकरण: पूंजी संरचना में पूर्व-इश्यू प्रदत्त पूंजी का पांच प्रतिशत या उससे अधिक रखने वाले सभी शेयरधारकों का विवरण शामिल होगा।
- (च) इश्यू का विवरण
- इश्यू के उद्देश्य;
 - निधियों की आवश्यकता;
 - वित्तपोषण योजना;
 - व्यवसाय/परियोजना मूल्यांकन, यदि कोई हो;
 - निधियों का परिनियोजन;
 - इश्यू मूल्य का आधार;
- (छ) अंतर्निहित प्रतिभूतियों से संबंधित प्रकटीकरण:
- अंतर्निहित प्रतिभूतियों के बारे में जानकारी;
 - निक्षेपागार रसीदों के बारे में जानकारी;
 - निक्षेपागार रसीद धारकों के अधिकार जिनमें लाभांश अधिकार, वोटिंग अधिकार आदि शामिल हैं;
 - डिपोजिटरी से संबंधित जानकारी;
- (ज) हामीदारी;
- (i) निवेशकों के लिए कर निहितार्थ;
- (झ) जारीकर्ता के बारे में:
- उद्योग विवरण;
 - व्यवसाय विवरण;
 - संगठनात्मक संरचना, प्रबंधन, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और पारिश्रमिक;
 - शेयरधारकों के समझौते और अन्य महत्वपूर्ण समझौते;
 - लाभांश नीति;
- (ञ) वित्तीय विवरण;
- (ट) महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन;
- (ठ) कानूनी और अन्य जानकारी;
- लंबित महत्वपूर्ण मुकदमे और महत्वपूर्ण घटनाक्रम;
 - लंबित महत्वपूर्ण सरकारी/नियामक अनुमोदन;
- (ड) उनके व्यवसाय सहित प्रमुख समूह एंटीटियों का विवरण;
- (ढ) अन्य नियामक और वैधानिक प्रकटीकरण;
- (ण) कोई अन्य महत्वपूर्ण प्रकटीकरण;
- स्पष्टीकरण: जहां जारीकर्ता की अंतर्निहित प्रतिभूतियां उसके गृह क्षेत्राधिकार में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, वहां जारीकर्ता ऐसे स्टॉक एक्सचेंज या किसी भी प्रासंगिक विनियामक निकाय को किए गए प्रासंगिक प्रॉस्पेक्टस या अन्य प्रकटीकरणों का संदर्भ प्रदान कर सकता है।

5. पेशकश दस्तावेज में जारीकर्ता की लेखापरीक्षित वित्तीय जानकारी कम से कम पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए होगी:
बशर्ते कि यदि जारीकर्ता ने अपने निगमन के बाद से तीन वर्ष पूरे नहीं किए हैं तो वित्तीय जानकारी कम अवधि के लिए प्रदान की जा सकती है:
बशर्ते यह भी कि पेशकश दस्तावेज में प्रदान किए गए नवीनतम वित्तीय विवरण बारह माह से अधिक पुराने नहीं होंगे।
6. जारीकर्ता अपने वित्तीय विवरणों को आईएफआरसी या यूएस जीएएपी या इंड एस या अपने गृह क्षेत्राधिकार में लागू अन्य लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार करेगा:
बशर्ते कि अपने गृह क्षेत्राधिकार (आईएफआरसी, यूएस जीएएपी और इंड एस के अलावा) के लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने वाले जारीकर्ता को आईएफआरसी के साथ उनका मिलान करना आवश्यक होगा।

62. मूल्य निर्धारण

जारीकर्ता लीड प्रबंधक(कों) के परामर्श से निश्चित मूल्य या बुक बिलिंग प्रक्रिया के माध्यम से निक्षेपागार रसीदों का मूल्य निर्धारित कर सकता है।

63. पेशकश की अवधि

निक्षेपागार रसीदों का आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कम से कम एक कार्य दिवस और अधिकतम दस कार्य दिवसों के लिए खुला रखा जाएगा।

64. न्यूनतम अभिदान

निक्षेपागार रसीदों की सूचीबद्धता की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब पेशकश में अभिदान सात लाख अमेरिकी डॉलर या प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य राशि से कम न हो।

65. आवंटन

जारीकर्ता और लीड प्रबंधक(कों) को यह सुनिश्चित करना होगा कि निक्षेपागार रसीदें आवंटित की जाएं और भुगतान और वापसी इश्यू के बंद होने की तारीख से पांच कार्य दिवसों के भीतर पूरा हो जाएं।

66. सूचीबद्धता

जारीकर्ता निक्षेपागार रसीदों को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) पर ऐसी अवधि के भीतर सूचीबद्ध करेगा, जैसा कि संबंधित मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

भाग ग: सार्वजनिक पेशकश के बिना द्वितीयक सूचीबद्धता

67. सार्वजनिक पेशकश के बिना द्वितीयक सूचीबद्धता

कोई जारीकर्ता, जिसकी निक्षेपागार रसीदें आईएफएससी के बाहर किसी क्षेत्राधिकार में सूचीबद्ध हैं, वह अपनी निक्षेपागार रसीदों को किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने के लिए ऐसे प्रारूप और तरीके से सूचीबद्धता आवेदन फ़ाइल कर सकता है, जैसा कि मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।

अध्याय IX: ऋण प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता

68. ऋण प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता

कोई जारीकर्ता अपनी ऋण प्रतिभूतियों को किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कर सकता है:

स्पष्टीकरण: किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में जारी और सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित ऋण प्रतिभूतियों को एकल आधार पर या जारी करने की श्रृंखला (मध्यम अवधि नोट कार्यक्रम सहित) के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है।

69. दस्तावेजों को दाखिल करना

- (1) कोई जारीकर्ता जो अपनी ऋण प्रतिभूतियों को किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने का इच्छुक है, वह सूचीबद्धता आवेदन को, पेशकश दस्तावेज या सूचना ज्ञापन, जैसा भी लागू हो, की

प्रति के साथ मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल करेगा।

- (2) जारीकर्ता लागू विनियामक शुल्क के साथ किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्धता आवेदन फ़ाइल करेगा और उसे प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से प्राधिकरण को प्रेषित किया जाएगा।

70. आरंभिक प्रकटीकरण

1. पेशकश दस्तावेज या सूचना ज्ञापन में, जहां भी लागू हो, सभी महत्वपूर्ण प्रकटीकरण शामिल होने चाहिए जो निवेशकों को सूचित निवेश निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए सत्य, सही और पर्याप्त हों।
2. जारीकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि पेशकश दस्तावेज या सूचना ज्ञापन में निम्नलिखित प्रकटीकरण किए जाएं:

क. जारीकर्ता प्रकटीकरण:

- i. सामान्य जानकारी;
- ii. जोखिम कारक;
- iii. जारीकर्ता के बारे में जानकारी;
- iv. व्यवसाय विवरण;
- v. संगठनात्मक संरचना;
- vi. प्रबंधन;
- vii. प्रमुख/नियंत्रक शेयरधारक;
- viii. लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण;
- ix. सांविधिक लेखा परीक्षक;
- x. महत्वपूर्ण लंबित मुकदमे और चूक;

ख. इश्यू से संबंधित प्रकटीकरण:

- i. ऋण प्रतिभूतियों का विवरण;
- ii. जोखिम कारक;
- iii. उन एक्सचेंजों की सूची जहां ऋण प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध होने का पेशकश है;
- iv. जारी करने की अधिकतम राशि (मध्यम अवधि के नोट कार्यक्रम या किशतों में जारी करने के मामले में);
- v. आय का उपयोग। (3) उप-विनियमन (2) में निर्दिष्ट प्रकटीकरण अपेक्षाओं के अतिरिक्त, जारीकर्ता ऐसी अन्य जानकारी भी प्रकट करेगा, जिसे मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

4. जहां जारीकर्ता जारी करने की श्रृंखला (मध्यम अवधि नोट कार्यक्रम सहित) के माध्यम से ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने का पेशकश करता है, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज ऐसे जारी करने की सूचीबद्धता और व्यापार के लिए अनुमोदन प्रदान कर सकता है।
5. जारीकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि मूल्य निर्धारण अनुपूरक, जहां भी लागू हो, सूचीबद्धता में प्रवेश से पहले मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) को प्रस्तुत किए जाएं।
6. जहां ऋण प्रतिभूतियां प्रतिभूति या संपार्श्विक द्वारा समर्थित हैं, जारीकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि प्रासंगिक विवरण पेशकश दस्तावेज या सूचना ज्ञापन में पर्याप्त रूप से प्रकट किए गए हैं।

7. एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, यदि जारीकर्ता द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर संतुष्ट है, तो प्रॉस्पेक्टस, शेल्फ प्रॉस्पेक्टस, पेशकश दस्तावेज या सूचना ज्ञापन में कुछ प्रकटीकरणों से छूट दे सकता है, जैसा भी लागू हो।

बशर्ते कि मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के पास ऐसी छूट देने के लिए आंतरिक नीति या दिशानिदेश होंगे।

71. निजी प्लेसमेंट के मामले में न्यूनतम सदस्यता

निजी प्लेसमेंट के मामले में निवेशक के लिए न्यूनतम सदस्यता राशि पेशकश दस्तावेज में बताई जाएगी।

72. क्रेडिट रेटिंग

- (1) जारीकर्ता किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित अपनी ऋण प्रतिभूतियों के लिए प्राधिकरण के साथ या किसी विदेशी क्षेत्राधिकार में नियामक के साथ रजिस्ट्रीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करेगा।

बशर्ते कि 01 अप्रैल, 2025 या प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य तारीख से, जारीकर्ता प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रीकृत कम से कम एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करेगा और किसी वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त रेटिंग एजेंसी से कोई अतिरिक्त क्रेडिट रेटिंग प्राप्त कर सकता है जो किसी विदेशी क्षेत्राधिकार में नियामक के साथ रजिस्ट्रीकृत हो।

- (2) जारीकर्ता ऋण प्रतिभूतियों को दी गई रेटिंग का विवरण प्रॉस्पेक्टस, शेल्फ प्रॉस्पेक्टस या सूचना ज्ञापन में, जैसा भी मामला हो, प्रकट करेगा।

73. सार्वजनिक इश्यू

मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर ऋण प्रतिभूतियों के सार्वजनिक इश्यू के संबंध में, जारीकर्ता को ट्रस्टी की नियुक्ति, डिबेंचर मोचन रिजर्व का निर्माण और प्राधिकरण या मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) द्वारा निर्दिष्ट अन्य अपेक्षाओं जैसी अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा।

74. छूट प्राप्त जारीकर्ता

यदि कोई मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज किसी जारीकर्ता द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर संतुष्ट हो जाता है, तो वह अपनी आंतरिक नीति या दिशानिदेशों के अनुसार, निम्नलिखित जारीकर्ताओं के लिए इस अध्याय या अध्याय X की कुछ अपेक्षाओं की प्रयोज्यता में छूट दे सकता है:

- (क) अधिराष्ट्रीय, बहुपक्षीय या वैधानिक संस्थान/संगठन/अभिकरण;
- (ख) ऐसी एंटीटी जिनकी प्रतिभूतियों की गारंटी किसी संप्रभु द्वारा अपरिवर्तनीय रूप से दी गई हो; और
- (ग) कोई अन्य संस्था जिसे प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

अध्याय X: पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) लेबल वाली ऋण प्रतिभूतियाँ

75. प्रयोज्यता

- (1) यह अध्याय पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) लेबल वाली ऋण प्रतिभूतियों पर लागू होगा, जिसमें "हरित", "सामाजिक", "स्थायित्व", "स्थायित्व से जुड़ी" ऋण प्रतिभूतियाँ या प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य ईएसजी लेबल वाली ऋण प्रतिभूतियाँ शामिल हैं, जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध होने का पेशकश है।

- (2) इस अध्याय के अधीन आवश्यकताएँ अध्याय IX में विस्तृत अपेक्षाओं के अतिरिक्त होंगी।

76. मान्यता प्राप्त मानक

- (1) ऋण प्रतिभूतियों को "हरित", "सामाजिक" या "स्थायित्व" के रूप में तभी लेबल किया जाएगा, जब ऐसी ऋण प्रतिभूतियों के जारी होने के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का उपयोग निम्नलिखित मान्यता प्राप्त

मानकों में से किसी के साथ संरेखित परियोजनाओं और/या परिसंपत्तियों के वित्तपोषण या पुनर्वित्तपोषण के लिए किया जाना प्रस्तावित हो:

- (क) अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार संघ (आईसीएमए) सिद्धांत/दिशानिदेश;
 - (ख) जलवायु बांड मानक;
 - (ग) आसियान मानक;
 - (घ) यूरोपीय संघ मानक;
 - (ङ) भारत में किसी सक्षम प्राधिकारी या वित्तीय क्षेत्र विनियामक द्वारा निर्दिष्ट कोई ढांचा या कार्यप्रणाली; या
 - (च) अन्य अंतरराष्ट्रीय मानक, जिनकी प्राधिकरण द्वारा मामले-दर-मामला आधार पर अनुमति दी जा सकती है।
- (2) ऋण प्रतिभूतियों को "स्थायित्व-संबद्ध" के रूप में लेबल किया जाएगा, यदि वे उप-विनियमन (1) के अधीन निर्दिष्ट किसी भी मान्यता प्राप्त मानक या प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य ऐसे योग्यता मानदंड के साथ संरेखित हैं।
- (3) जारीकर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र बाहरी समीक्षक नियुक्त करेगा कि ईएसजी लेबल वाली ऋण प्रतिभूतियाँ निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन में उप-विनियमन (1) में उल्लिखित किसी भी मान्यता प्राप्त मानक के साथ संरेखित हैं:
- (क) समीक्षक जारीकर्ता, उसके निदेशकों, वरिष्ठ प्रबंधन, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और सलाहकारों से स्वतंत्र होगा;
 - (ख) समीक्षक को इस तरह से पारिश्रमिक दिया जाएगा, जिससे हितों के किसी भी टकराव को रोका जा सके; और
 - (ग) समीक्षक के पास ईएसजी ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन करने में पर्याप्त विशेषज्ञता होनी चाहिए।
- (4) उप-विनियमन (3) में उल्लिखित स्वतंत्र बाह्य समीक्षक अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार संघ द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक पर विचार कर सकता है:
- (क) द्वितीय पक्ष की राय;
 - (ख) सत्यापन;
 - (ग) प्रमाणन;
 - (घ) स्कोरिंग/रेटिंग

स्पष्टीकरण: भारत या विदेशी क्षेत्राधिकार में प्राधिकरण या विनियामक के साथ रजिस्ट्रीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी या ईएसजी रेटिंग प्रदाता भी उप-विनियमन (3) में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन के अध्यधीन इन विनियमों के उद्देश्य के लिए बाह्य समीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए पात्र होगा।

- (5) जारीकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि स्वतंत्र बाह्य समीक्षक के बारे में विवरण पर्याप्त रूप से प्रकट किए गए हैं और निवेशकों के लिए आसानी से सुलभ हैं।

77. पेशकश दस्तावेज/सूचना ज्ञापन में अतिरिक्त प्रकटीकरण

- (1) जारीकर्ता पेशकश दस्तावेज या सूचना ज्ञापन, जैसा भी मामला हो, में ईएसजी लेबल वाली ऋण प्रतिभूतियों (स्थिरता-संबद्ध ऋण प्रतिभूतियों को छोड़कर) के संबंध में निम्नलिखित अतिरिक्त प्रकटीकरण करेगा:

- (क) ऋण प्रतिभूतियों के इश्यू के ईएसजी उद्देश्यों के बारे में पर वक्तव्य;

- (ख) परियोजना(ओं) और/या परिसंपत्ति(ओं) के मूल्यांकन और चयन के लिए जारीकर्ता द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का विवरण;
- (ग) परियोजना(ओं) और/या परिसंपत्ति(ओं) के विवरण सहित इश्यू की आय का प्रस्तावित उपयोग; और
- (घ) इश्यू की आय के परिनियोजन पर नज़र रखने के लिए नियोजित की जाने वाली प्रणालियों और प्रक्रियाओं का विवरण।
- (2) जारीकर्ता पेशकश दस्तावेज या सूचना ज्ञापन, जैसा भी मामला हो, में स्थिरता-संबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में निम्नलिखित अतिरिक्त प्रकटीकरण करेगा:
- (क) जारीकर्ता स्थिरता-संबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के इश्यू के औचित्य और जारीकर्ता की समग्र स्थिरता और व्यावसायिक कार्यनीति के साथ संगतता का प्रकटीकरण करेगा।
- (ख) जारीकर्ता प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार पूर्व में जारी और बाद में जारी दायित्वों, जिनके साथ प्रतिभूतियाँ संरेखित हैं, का पालन करेगा। उदाहरण के लिए, जहां ऋण प्रतिभूतियाँ आईसीएमए स्थिरता-संबद्ध बॉन्ड सिद्धांतों (2024) के साथ संरेखित हैं, पांच मुख्य घटकों से संबंधित दिशानिदेशों - प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों का चयन, स्थिरता प्रदर्शन लक्ष्यों का अंशांकन, बॉन्ड विशेषताएँ, रिपोर्टिंग और सत्यापन का संपूर्ण प्रकटीकरण और निरंतर दायित्वों का पालन किया जाएगा।

78. अतिरिक्त सतत प्रकटीकरण आवश्यकताएँ

- (1) जारीकर्ता, ईएसजी लेबल वाले ऋण प्रतिभूतियों (स्थिरता-संबद्ध प्रतिभूतियों को छोड़कर) के संबंध में, आय के पूर्ण उपयोग तक, कम से कम वार्षिक आधार पर, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को निम्नलिखित अतिरिक्त प्रकटीकरण प्रदान करेगा:
- (क) इश्यू की आय का उपयोग;
- (ख) आवंटन: उन परियोजनाओं और/या परिसंपत्तियों की सूची, जिनमें ऋण प्रतिभूतियों की आय आवंटित/निवेशित की गई है, जिसमें ऐसी परियोजनाओं और/या परिसंपत्तियों का संक्षिप्त विवरण और वितरित की गई राशि शामिल है:
- स्पष्टीकरण: जहां गोपनीयता समझौतों के फलस्वरूप विशिष्ट परियोजनाओं और/या परिसंपत्तियों के बारे में विवरण के प्रकटीकरण पर प्रतिबंध है, वहां जानकारी सामान्य शब्दों में या समेकित पोर्टफोलियो के आधार पर प्रस्तुत की जाएगी; और
- (ग) प्रभाव:
- i) गुणात्मक प्रदर्शन संकेतक और, जहाँ संभव हो, परियोजना(ओं) और/या परिसंपत्ति(ओं) के अपेक्षित/प्राप्त ईएसजी प्रभाव के मात्रात्मक प्रदर्शन उपाय।
- (ii) जहाँ मात्रात्मक लाभ/प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है, तो उक्त तथ्य को ईएसजी पर लाभ/प्रभाव का पता न लगाने के कारणों के साथ उचित रूप से प्रकट किया जाएगा।
- (iii) प्रदर्शन संकेतकों और मेट्रिक्स की तैयारी में उपयोग की जाने वाली विधियों और प्रमुख अंतर्निहित मान्यताओं का प्रकटीकरण किया जाएगा।
- (2) स्थिरता-लिंक्ड ऋण प्रतिभूतियों के जारीकर्ता मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) को कम से कम वार्षिक आधार पर, और इसके अतिरिक्त स्थिरता प्रदर्शन लक्ष्यों (एसपीटी) के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए प्रासंगिक किसी भी तारीख या अवधि के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त प्रकटीकरण प्रदान करेंगे, जिससे ऋण प्रतिभूतियों की वित्तीय या संरचनात्मक विशेषताओं का संभावित समायोजन हो सकता है:
- (क) चयनित प्रमुख प्रदर्शन संकेतक(कों) के प्रदर्शन पर अद्यतन जानकारी, जिसमें प्रासंगिक होने पर आधार रेखाएँ शामिल हैं;

- (ख) कोई भी सूचना जो निवेशकों को एसपीटी की महत्वाकांक्षा के स्तर की निगरानी करने में सक्षम बनाती है; और
- (ग) स्वतंत्र बाहरी समीक्षक द्वारा सत्यापन रिपोर्ट जिसमें एसपीटी के विरुद्ध प्रदर्शन और संबंधित प्रभाव, तथा ऋण प्रतिभूतियों की वित्तीय और/या संरचनात्मक विशेषताओं पर ऐसे प्रभाव के समय को रेखांकित किया गया हो।

अध्याय XI: अन्य वित्तीय उत्पादों की सूचीबद्धता

79. निधि और निवेश ट्रस्ट की सूचीबद्धता

कोई जारीकर्ता आईएफएससीए (निधि प्रबंधन) विनियम, 2022 के अनुसार किसी निधि या निवेश ट्रस्ट को किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कर सकता है।

80. वाणिज्यिक पत्रों की सूचीबद्धता

कोई जारीकर्ता प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीके से और ऐसी शर्तों के अधीन किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में वाणिज्यिक पत्र सूचीबद्ध कर सकता है।

81. जमा प्रमाणपत्रों की सूचीबद्धता

कोई जारीकर्ता प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीके से और ऐसी शर्तों के अधीन किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में जमा प्रमाणपत्र सूचीबद्ध कर सकता है।

82. अन्य वित्तीय उत्पादों की सूचीबद्धता

जारीकर्ता ऐसे अन्य वित्तीय उत्पादों को किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट तरीके से और शर्तों के अधीन सूचीबद्ध कर सकता है।

अध्याय XII: सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ

भाग क: सामान्य दायित्व

83. प्रयोज्यता

इस अध्याय के भाग क के उपबंध इन विनियमों के अधीन मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) पर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर लागू होंगे।

84. प्रकटीकरण और दायित्वों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत

सूचीबद्ध एंटीटी निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार इन विनियमों के अंतर्गत प्रकटीकरण करेगी और अपने दायित्वों का पालन करेगी:

- क) वित्तीय प्रकटीकरण के लिए लागू लेखांकन मानकों के अनुसार सूचना तैयार और प्रकट की जाएगी;
- ख) सूचीबद्ध एंटीटी सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय विवरणों की तैयारी में लागू लेखांकन मानकों को अक्षरशः लागू करेगी, और यह भी सुनिश्चित करेगी कि वार्षिक लेखा परीक्षा एक स्वतंत्र और योग्य लेखा परीक्षक द्वारा की जाती है;
- ग) सूचीबद्ध एंटीटी गलत बयानबाजी से बचेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) और निवेशकों को प्रदान की गई जानकारी भ्रामक नहीं हो;
- घ) सूचीबद्ध एंटीटी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) और निवेशकों को पर्याप्त और समय पर जानकारी प्रदान करेगी;
- ङ) सूचीबद्ध एंटीटी यह सुनिश्चित करेगी कि इन विनियमों और इसके अधीन जारी परिपत्रों के उपबंधों के अधीन किए गए प्रसार पर्याप्त, सटीक, स्पष्ट, समय पर और सरल भाषा में प्रस्तुत किए गए हैं;
- च) सूचीबद्ध एंटीटी यह सुनिश्चित करेगी कि सूचना प्रसारित करने के लिए चैनल निवेशकों द्वारा प्रासंगिक सूचना तक समान, समयबद्ध और लागत कुशल पहुंच सुकर हो;

- छ) सूचीबद्ध एंटीटी के निदेशक कंपनी के उद्देश्यों को समग्र रूप से अपने सदस्यों के लाभ के लिए और सूचीबद्ध एंटीटी, उसके कर्मचारियों, शेयरधारकों, समाज और पर्यावरण की सुरक्षा के सर्वोत्तम हितों में बढ़ावा देने के लिए सद्भावनापूर्वक कार्य करेंगे।
- ज) सूचीबद्ध एंटीटी अपने गृह क्षेत्राधिकार के सभी लागू कानूनों के साथ-साथ प्रतिभूति कानूनों और प्राधिकरण और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) द्वारा निर्दिष्ट अन्य अपेक्षाओं का भी पालन करेगी। झ) सूचीबद्ध एंटीटी निर्दिष्ट प्रकटीकरण करेगी और सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने दायित्वों का अक्षरशः पालन करेगी।
- झ) सूचीबद्ध एंटीटी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रासंगिक फाइलिंग, रिपोर्ट, विवरण, दस्तावेज और सूचना निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर विधिवत फाइल की गई है और इसमें अपेक्षित जानकारी शामिल है।
- ञ) सूचीबद्ध एंटीटी यह सुनिश्चित करेगी कि आवधिक फाइलिंग, रिपोर्ट, विवरण, दस्तावेजों में ऐसी जानकारी हो जो निवेशकों को किसी सूचीबद्ध एंटीटी के प्रदर्शन को समय-समय पर ट्रैक करने में सक्षम बनाए तथा निवेशकों को किसी सूचीबद्ध एंटीटी की वर्तमान स्थिति का आकलन करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान करे। इसमें व्यवसाय, वित्तीय प्रदर्शन, प्रबंधन आदि पर सभी महत्वपूर्ण अपडेट शामिल होंगे।

85. अनुपालन का सामान्य दायित्व

सूचीबद्ध एंटीटी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, निदेशक, प्रवर्तक, नियंत्रक शेयरधारक या इससे संबंधित कोई अन्य व्यक्ति इन विनियमों के अधीन उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों या दायित्वों का अनुपालन करें।

86. अनुपालन अधिकारी और दायित्व

- (1) सूचीबद्ध एंटीटी एक योग्य कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी:
बशर्ते कि जहां एंटीटी भारत के बाहर निगमित है, वहां कंपनी सचिव या समकक्ष को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
- (2) सूचीबद्ध एंटीटी का अनुपालन अधिकारी निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा-
- (क) इन विनियमों के अधीन लागू विनियामक दायित्वों के साथ अक्षरशः और भावना से अनुरूपता सुनिश्चित करना;
- (ख) प्राधिकरण, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) और निक्षेपागारों के साथ समन्वय करना तथा इन प्राधिकरणों के नियमों, विनियमों और अन्य निदेशों के अनुपालन के संबंध में उन्हें यथा-निर्दिष्ट रिपोर्ट करना; और
- (ग) यह सुनिश्चित करना कि इन विनियमों के अधीन फाइल की गई सूचना, विवरण और रिपोर्ट की शुद्धता, प्रामाणिकता और व्यापकता सुनिश्चित करने के लिए सही प्रक्रियाओं का पालन किया गया है।

भाग ख: मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर प्राथमिक सूचीबद्धता के रूप में सूचीबद्ध निर्दिष्ट प्रतिभूतियों वाली एंटीटीज

87. महत्वपूर्ण या मूल्य संवेदनशील जानकारी

- (1) सूचीबद्ध एंटीटी को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को अपने या अपनी किसी सहायक कंपनी या सहयोगी से संबंधित किसी भी घटना या जानकारी का तुरंत प्रकटीकरण करना होगा, जो सूचीबद्ध एंटीटी के निदेशक मंडल की राय में महत्वपूर्ण या मूल्य संवेदनशील है।

स्पष्टीकरण 1: सूचीबद्ध एंटीटी को घटनाओं/सूचना की महत्ता के निर्धारण के लिए निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करना होगा:

- (क) किसी घटना या सूचना की चूक, जिसके परिणामस्वरूप पहले से ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध घटना या सूचना में रुकावट या परिवर्तन होने की संभावना है;

- (ख) किसी घटना या सूचना की चूक, जिसके परिणामस्वरूप बाद में प्रकाश में आने पर महत्वपूर्ण बाजार प्रतिक्रिया होने की संभावना है; या
- (ग) जहां उप-खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट मानदंड लागू नहीं होते हैं, वहां किसी घटना/सूचना को महत्वपूर्ण माना जा सकता है, यदि सूचीबद्ध एंटीटी के निदेशक मंडल की राय में, घटना/सूचना महत्वपूर्ण मानी जाती है।

स्पष्टीकरण 2: इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, तुरंत का अभिप्राय: तत्काल लेकिन चौबीस घंटे से अधिक देरी से नहीं।

- (2) सूचीबद्ध एंटीटी इन विनियमों में निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर महत्ता के निर्धारण के लिए नीति तैयार करेगी, जिसे उसके निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाएगा, जिसका प्रकटीकरण उसकी वेबसाइट पर किया जाएगा।

88. ज्ञापन या एसोसिएशन के लेखों में संशोधन

सूचीबद्ध एंटीटी अपने संवैधानिक दस्तावेजों जैसे ज्ञापन या एसोसिएशन के लेखों या किसी अन्य समान दस्तावेज, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, में किसी भी संशोधन को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (जों) को तुरंत प्रकट करेगी।

89. बोर्ड बैठक के बारे में सूचना

- (1) सूचीबद्ध एंटीटी निदेशक मंडल की बैठक के बारे में पूर्व सूचना देगी तथा निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसी के संबंध में निदेशक मंडल की बैठक के परिणाम को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को तुरंत बताएगी:

- (क) लाभांश;
- (ख) प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद;
- (ग) निधि जुटाने या पूंजी में परिवर्तन के संबंध में निर्णय;
- (घ) वित्तीय परिणाम;
- (ङ) स्टॉक एक्सचेंज से सूचीबद्ध एंटीटी द्वारा स्वैच्छिक असूचीबद्धता पर निर्णय;
- (च) कोई भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक घटना जैसे कि अधिग्रहण, विभाजन, परिसंपत्तियों/ व्यवसायों/ कंपनियों की बिक्री या खरीद; तथा
- (छ) महत्वपूर्ण मुकदमेबाजी।

- (2) उप-विनियमन (1) के अधीन आवश्यक सूचना, सूचना की तारीख तथा बैठक की तारीख को छोड़कर, कम से कम दो कार्य दिवस पहले दी जाएगी।

90. वार्षिक और असाधारण आम बैठकें

सूचीबद्ध एंटीटी वार्षिक और असाधारण आम बैठकों की कार्यवाही को, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, तुरंत मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को बताएगी।

91. निदेशक, केएमपी, लेखा परीक्षक या अनुपालन अधिकारी में परिवर्तन

- (1) सूचीबद्ध एंटीटी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षक या अनुपालन अधिकारी में किसी भी परिवर्तन को तुरंत मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को करेगी।
- (2) सूचीबद्ध एंटीटी के लेखा परीक्षक के त्यागपत्र की स्थिति में, उक्त लेखा परीक्षक द्वारा दिए गए त्यागपत्र के विस्तृत कारणों को सूचीबद्ध एंटीटी द्वारा यथाशीघ्र मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को प्रकट किया जाएगा, लेकिन लेखा परीक्षक से ऐसे कारणों की प्राप्ति के एक कार्य दिवस से अधिक नहीं।
- (3) किसी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या अनुपालन अधिकारी के त्यागपत्र की स्थिति में, ऐसा व्यक्ति यदि किसी अनियमितता के बारे में जानता है, जिसका सूचीबद्ध एंटीटी पर, वित्तीय रिपोर्टिंग सहित,

भौतिक प्रभाव पड़ेगा, तो यथाशीघ्र, लेकिन एक कार्यदिवस से अधिक देरी से नहीं, लिखित रूप में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को सूचित करेगा।

92. लेखा परीक्षक द्वारा प्रतिकूल राय

सूचीबद्ध एंटीटी, निम्नलिखित के वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षक द्वारा दी गई किसी भी प्रतिकूल राय, राय के अस्वीकरण, अर्हक राय को तुरंत मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को प्रकट करेगी -

- i. सूचीबद्ध एंटीटी; या
- ii. सूचीबद्ध एंटीटी की किसी भी सहायक कंपनी या सहयोगी, यदि प्रतिकूल राय, राय के अस्वीकरण, योग्य राय का सूचीबद्ध एंटीटी के समेकित खातों पर भौतिक प्रभाव पड़ता है।

93. जांच

- (1) प्राधिकरण या मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज किसी सूचीबद्ध एंटीटी से उसके मामलों की समीक्षा या जांच करने तथा प्राधिकरण, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज और उसकी लेखा परीक्षा समिति को अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट करने के लिए एक सक्षम व्यक्ति को नियुक्त करने की अपेक्षा कर सकता है।
- (2) सूचीबद्ध एंटीटी यह सुनिश्चित करेगी कि उप-विनियम (1) में उल्लिखित व्यक्ति की नियुक्ति और ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्कर्षों के संबंध में कोई भी जानकारी सार्वजनिक प्रसार के लिए मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को तुरंत प्रदान की जाएगी।

94. ऋणभार

- (1) सूचीबद्ध एंटीटी के प्रवर्तक और नियंत्रक शेयरधारक, सूचीबद्ध एंटीटी द्वारा निर्मित या लागू या जारी की गई किसी भी निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के ऋणभार का विवरण, ऐसे निर्माण या लागू या जारी, जैसा भी मामला हो, किए जाने के दो कार्य दिवसों के भीतर प्रकट करेंगे:
 - (क) मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज; और
 - (ख) सूचीबद्ध एंटीटी।
- (2) सूचीबद्ध एंटीटी यह सुनिश्चित करेगी कि उप-विनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त प्रकटीकरणों को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) को तुरंत प्रकट किया जाए।

95. शेयरधारिता पैटर्न

सूचीबद्ध एंटीटी अपने शेयरधारिता पैटर्न को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) को, ऐसे प्रारूप और तरीके से प्रस्तुत करेगी जैसा कि प्राधिकरण या मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) द्वारा तिमाही आधार पर, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के अंत से पंद्रह कार्य दिवसों के भीतर निर्दिष्ट किया जा सकता है।

96. वित्तीय विवरण

- (1) सूचीबद्ध एंटीटी अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन के तुरंत बाद मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) को पूरे वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित एकल और समेकित वित्तीय विवरणों का प्रकटीकरण करेगी, लेकिन किसी भी स्थिति में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह से अधिक समय बाद नहीं।
- (2) सूचीबद्ध एंटीटी अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन के तुरंत बाद, लेकिन किसी भी स्थिति में प्रत्येक तिमाही के अंत के बाद पैंतालीस दिनों के बाद नहीं, अपने वित्तीय वर्ष की पहली तीन तिमाहियों के वित्तीय विवरणों को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) को प्रकट करेगी।
- (3) सूचीबद्ध एंटीटी अपने वित्तीय विवरणों को आईएफआरसी या यूएस जीएएपी या इंड एएस या अपने गृह क्षेत्राधिकार में लागू अन्य लेखा मानकों के अनुसार तैयार करेगी:

बशर्ते कि अपने गृह क्षेत्राधिकार (आईएफआरसी, यूएस जीएएपी और इंड एएस के अलावा) के लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने वाली सूचीबद्ध एंटीटी को आईएफआरसी के साथ उनका मिलान करना आवश्यक होगा।

97. वार्षिक रिपोर्ट

- (1) सूचीबद्ध एंटीटी वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) को प्रस्तुत करेगी, और अपनी वेबसाइट पर वार्षिक रिपोर्ट भी प्रकाशित करेगी।
- (2) वार्षिक रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - (क) लेखापरीक्षित अद्वितीय और समेकित वित्तीय विवरण;
 - (ख) निदेशकों की रिपोर्ट;
 - (ग) प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट;
 - (घ) कारपोरेट प्रशासन प्रथाएँ;
 - (ङ.) स्थिरता रिपोर्ट, यदि लागू हो; और
 - (च) निगमन के अधिकार क्षेत्र के कानूनों में निर्दिष्ट अनिवार्य अपेक्षाएं।

98. विचलन या भिन्नता का विवरण

- (1) सूचीबद्ध एंटीटी सार्वजनिक इश्यू के लिए तिमाही आधार पर पेशकश दस्तावेज में बताए गए उद्देश्यों से प्राप्त आय के उपयोग में विचलन का विवरण (यदि कोई हो, तो अपने पेशकश दस्तावेज में किए गए निधियों के अनुमानित उपयोग के बीच श्रेणीवार भिन्नता को दर्शाते हुए) मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत करेगी।
- (2) उप-विनियमन (1) में निर्दिष्ट विवरण तब तक दिया जाना जारी रहेगा जब तक कि इश्यू आय का पूर्ण उपयोग नहीं हो जाएगा या जिस उद्देश्य के लिए ये आय जुटाई गई थी वह प्राप्त नहीं होगा।
- (3) उप-विनियमन (1) में निर्दिष्ट विवरण, लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा के तुरंत बाद, लेकिन तिमाही के अंत से पैंतालीस दिनों के बाद नहीं, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (4) सूचीबद्ध एंटीटी वार्षिक रिपोर्ट में निदेशकों की रिपोर्ट में उप-विनियमन (1) में निर्दिष्ट भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगी।

99. कारपोरेट प्रशासन

- (1) सूचीबद्ध एंटीटी अपने निगमन के अधिकार क्षेत्र के कानूनों द्वारा निर्दिष्ट तरीके से अपनी वार्षिक रिपोर्ट में अपनी कारपोरेट प्रशासन प्रथाओं का वर्णन करेगी।
- (2) सूचीबद्ध एंटीटी प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट कारपोरेट प्रशासन मानदंडों का भी अनुपालन करेगी।

100. स्थिरता रिपोर्ट

- (1) सूचीबद्ध एंटीटी वित्तीय वर्ष के लिए पर्यावरण, सामाजिक और शासन कारकों के संबंध में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) को एक स्थिरता रिपोर्ट का प्रकटीकरण करेगी, जो उसके वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह बाद नहीं होगी:
बशर्ते कि यह उप-विनियमन 50 मिलियन अमरीकी डॉलर से कम के बाजार पूंजीकरण वाली सूचीबद्ध एंटीटियों पर लागू नहीं होगा।
- (2) उप-विनियमन (1) में निर्दिष्ट स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित के आधार पर तैयार की जाएगी:
 - (क) वैश्विक रिपोर्टिंग पहल, अंतरराष्ट्रीय स्थिरता मानक बोर्ड, जलवायु-संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण पर टास्क फोर्स जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत रिपोर्टिंग मानक;
 - (ख) व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग; या
 - (ग) कोई अन्य मानक जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

101. कारपोरेट क्रियाएँ

- (1) सूचीबद्ध एंटीटी किसी भी प्रस्तावित कारपोरेट क्रिया जैसे स्टॉक विभाजन, समेकन, लाभांश, बोनस मुद्दे या इसी तरह की घटनाओं के बारे में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को पहले से सूचित करेगी।

- (2) सूचीबद्ध एंटीटी, जहाँ भी लागू हो, ऐसी कारपोरेट कार्रवाई के लिए रिकॉर्ड तारीख की सूचना रिकॉर्ड तारीख के उद्देश्य को निर्दिष्ट करते हुए कम से कम तीन कार्य दिवस पहले मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को देगी।

102. शेयरधारकों की बैठकें और मतदान

- (1) सूचीबद्ध एंटीटी अपने शेयरधारकों को सभी शेयरधारकों के प्रस्तावों के संबंध में दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करेगी।
- (2) सूचीबद्ध एंटीटी अपनी आम बैठक के समापन की तारीख से दो कार्य दिवसों के भीतर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को मतदान परिणाम प्रस्तुत करेगी।
- (3) सूचीबद्ध एंटीटी सभी मामलों में प्रतिभूतियों के धारकों को प्रतिनिधि प्ररूप भेजेगी, जिसमें उल्लेख होगा कि धारक प्रत्येक पेशकश के पक्ष में या उसके विरुद्ध मतदान कर सकता है।
- (4) सूचीबद्ध एंटीटी अपने सभी शेयरधारकों को वार्षिक आम बैठकों की कार्यवाही का इकतरफा लाइव वेबकास्ट प्रदान करेगी।

103. व्हिसल-ब्लोअर तंत्र

सूचीबद्ध एंटीटी निदेशकों, कर्मचारियों और अन्य लोगों के लिए व्हिसल-ब्लोअर तंत्र स्थापित करेगी ताकि वे वास्तविक सरोकारों की रिपोर्ट कर सकें, साथ ही ऐसे तंत्र का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के उत्पीड़न के प्रति पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करें।

104. वेबसाइट

सूचीबद्ध एंटीटी कार्यात्मक वेबसाइट बनाएगी जिसमें एंटीटी के बारे में बुनियादी जानकारी होगी जिसमें उसके व्यवसाय, निदेशक मंडल, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों, अनुपालन अधिकारी, वित्तीय विवरण, शिकायत निवारण के लिए ई-मेल पता और वार्षिक रिपोर्ट के बारे में विवरण शामिल होंगे।

105. मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) द्वारा प्रसार

मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) को यह सुनिश्चित करना होगा कि सूचीबद्ध एंटीटियों द्वारा किए गए प्रकटीकरण तुरंत उनकी वेबसाइटों पर प्रसारित किए जाएं।

भाग ग: निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की द्वितीयक सूची

106. निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की द्वितीयक सूची वाली संस्थाओं द्वारा प्रकटीकरण

मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की द्वितीयक सूची वाले जारीकर्ता को निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा:

- क) यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को उसके गृह एक्सचेंज पर सूचीबद्ध किया जाना जारी रहे और ऐसे एक्सचेंज तथा गृह विनियामक की सूची तथा अन्य नियमों का पालन किया जाए;
- ख) यह मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) को अंग्रेजी में सभी प्रकटीकरण जारी करेगा तथा साथ ही अपने गृह एक्सचेंज तथा गृह विनियामक को भी जारी करेगा, जहां इसकी प्राथमिक सूची है; तथा
- ग) यह प्राधिकरण या मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) द्वारा निर्दिष्ट अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

भाग घ - मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) में सूचीबद्ध निक्षेपागार रसीदें रखने वाली कंपनियों के लिए सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं

107. वित्तीय विवरण

- (1) सूचीबद्ध एंटीटी अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन के तुरंत बाद मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) को पूरे वित्तीय वर्ष के लिए ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों का प्रकटीकरण करेगी, लेकिन किसी भी स्थिति में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह बाद नहीं।

- (2) सूचीबद्ध एंटीटी अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन के तुरंत बाद मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) को अपने वित्तीय वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में से प्रत्येक के लिए वित्तीय विवरणों का प्रकटीकरण करेगी, लेकिन यह किसी भी स्थिति में प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पैंतालीस दिनों बाद नहीं होना चाहिए।
- (3) सूचीबद्ध एंटीटी अपने वित्तीय विवरण आईएफआरसी या यूएस जीएएपी या इंड एस या अपने गृह क्षेत्राधिकार में लागू अन्य लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार करेगी:

वशर्ते कि अपने गृह क्षेत्राधिकार (आईएफआरसी, यूएस जीएएपी और इंड एस के अलावा) के लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने वाली सूचीबद्ध एंटीटी को आईएफआरसी के साथ इसका मिलान करना आवश्यक होगा।

108. भौतिक या मूल्य संवेदनशील घटनाएँ

- (1) सूचीबद्ध एंटीटी को अपने या अपनी किसी सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी से संबंधित किसी भी घटना या सूचना का तुरंत मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को प्रकटीकरण करना होगा, जो सूचीबद्ध एंटीटी के निदेशक मंडल की राय में महत्वपूर्ण या मूल्य संवेदी होगा।

स्पष्टीकरण 1: सूचीबद्ध एंटीटी घटनाओं/सूचना की महत्ता के निर्धारण के लिए निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करेगी:

- (क) किसी घटना या सूचना की चूक, जिसके परिणामस्वरूप पहले से ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध घटना या सूचना में रुकावट या परिवर्तन होने की संभावना है;
 - (ख) किसी घटना या सूचना की चूक, जिसके परिणामस्वरूप बाद में उक्त चूक के प्रकाश में आने पर महत्वपूर्ण बाजार प्रतिक्रिया होने की संभावना है; या
 - (ग) जहां उप-खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट मानदंड लागू नहीं होते हैं, वहां किसी घटना/सूचना को महत्वपूर्ण माना जाएगा, यदि सूचीबद्ध एंटीटी के निदेशक मंडल की राय में, घटना/सूचना को महत्वपूर्ण माना जाता है।
- (2) सूचीबद्ध एंटीटी इन विनियमों में निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर भौतिकता के निर्धारण के लिए एक नीति तैयार करेगी, जिसे उसके निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाएगा, जिसका प्रकटीकरण उसकी वेबसाइट पर किया जाएगा।

109. शेयरधारिता पैटर्न

सूचीबद्ध एंटीटी अपने शेयरधारिता पैटर्न को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) को, प्राधिकरण द्वारा या ऐसे मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में, प्रत्येक तिमाही के अंत से पंद्रह कार्य दिवसों के भीतर, तिमाही आधार पर प्रस्तुत करेगी।

110. कारपोरेट प्रशासन

1. सूचीबद्ध एंटीटी अपने वार्षिक रिपोर्ट में अपने कारपोरेट प्रशासन प्रथाओं का वर्णन अपने गृह क्षेत्राधिकार में प्रासंगिक कानूनों द्वारा निर्दिष्ट तरीके से करेगी।
2. सूचीबद्ध एंटीटी प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट कारपोरेट प्रशासन मानदंडों का भी पालन करेगी।

111. निक्षेपागार बैंक का परिवर्तन

- (1) सूचीबद्ध एंटीटी अपने निक्षेपागार बैंक को बदलने से पहले मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) से पूर्व अनुमोदन लेगी।
- (2) सूचीबद्ध एंटीटी निक्षेपागार बैंक में किसी भी परिवर्तन को ऐसे परिवर्तन के चौबीस घंटे के भीतर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) को प्रकट करेगी।

112. कारपोरेट कार्रवाई

- (1) सूचीबद्ध एंटीटी निक्षेपागार रसीदों या अंतर्निहित प्रतिभूतियों से संबंधित किसी भी प्रस्तावित कारपोरेट कार्रवाई के बारे में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) को अग्रिम रूप से सूचित करेगी।
- (2) सूचीबद्ध एंटीटी, जहां भी लागू हो, रिकॉर्ड करने की तारीख के उद्देश्य को निर्दिष्ट करते हुए, कम से कम तीन कार्य दिवस पहले मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) को रिकॉर्ड करने की तारीख की सूचना देगी।

113. अन्य अनुपालन

सूचीबद्ध एंटीटी निम्नलिखित अतिरिक्त अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी:

- क) जहां अंतर्निहित निर्दिष्ट प्रतिभूतियां उसके गृह एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, वह ऐसे एक्सचेंज और गृह विनियामक की सूचीबद्धता और अन्य नियमों का पालन करेगी;
- ख) वह मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) को अंग्रेजी में सभी प्रकटीकरण जारी करेगी, साथ ही अपने गृह एक्सचेंज या गृह विनियामक, जहां उसकी प्राथमिक सूचीबद्धता है, को भी जारी करेगी,; और
- ग) यह प्राधिकरण या मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) द्वारा निर्दिष्ट अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

114. मतदान अधिकार

निक्षेपागार रसीद धारकों के मतदान अधिकारों का प्रयोग निक्षेपागार समझौते के अनुसार किया जाएगा।

115. मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) द्वारा प्रसार

मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) को यह सुनिश्चित करना होगा कि सूचीबद्ध एंटीटियों द्वारा किए गए प्रकटीकरण तुरंत उनकी वेबसाइटों पर प्रसारित किए जाएं।

भाग ड. - ऋण प्रतिभूतियों के लिए सूचीबद्धता दायित्व और निरंतर प्रकटीकरण आवश्यकताएँ

116. महत्वपूर्ण या मूल्य संवेदी घटनाएँ

- (1) जारीकर्ता मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) को सभी घटनाओं का तुरंत प्रकटीकरण करेगा जो महत्वपूर्ण या मूल्य संवेदी हैं।
- (2) जारीकर्ता मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) को निम्नलिखित घटनाओं का तुरंत प्रकटीकरण करेगा:
 - (क) ऋण प्रतिभूतियों का कोई मोचन या रद्दीकरण;
 - (ख) सिवाय इसके कि ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज की कोई निश्चित दर हो किसी भी ब्याज भुगतान का विवरण;
 - (ग) प्रयोग में लाई गई कोई बायबैक या पुट बैक ऑप्शन;
 - (घ) मूलधन और/या ब्याज राशि के भुगतान में कोई विलम्ब; और
 - (ड.) इश्यू के नियमों और शर्तों में कोई संशोधन।

117. वित्तीय विवरण

- (1) जारीकर्ता अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन के तुरंत बाद मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) को पूरे वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रकट करेगा, लेकिन ऐसा किसी भी स्थिति में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह से अधिक समय के बाद नहीं होना चाहिए।
- (2) जारीकर्ता अपने वित्तीय विवरण आईएफआरसी या यूएस जीएएपी या इंड एस या अपने गृह क्षेत्राधिकार में लागू अन्य लेखा मानकों के अनुसार तैयार करेगा:

बशर्ते कि अपने गृह क्षेत्राधिकार (आईएफआरसी, यूएस जीएएपी और इंड एस के अलावा) के लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने वाले जारीकर्ता को आईएफआरसी के साथ उसका मिलान करना आवश्यक होगा।

118. वार्षिक रिपोर्ट

जारीकर्ता मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) को वार्षिक रिपोर्ट के अंतिम रूप देने के तुरंत बाद उसकी एक प्रति प्रस्तुत करेगा, लेकिन ऐसा किसी भी स्थिति में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह से अधिक समय के बाद नहीं होना चाहिये।

119. क्रेडिट रेटिंग में संशोधन

जारीकर्ता को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को ऐसे एक्सचेंजों में सूचीबद्ध अपनी ऋण प्रतिभूतियों की क्रेडिट रेटिंग में किसी भी संशोधन का तुरंत प्रकटीकरण करना होगा।

120. रिकॉर्ड करने की तारीख

जारीकर्ता को ऋण प्रतिभूतियों के धारकों के लिए प्रासंगिक रिकॉर्ड करने की तारीख का समयबद्ध तरीके से प्रकटीकरण करना होगा।

121. छूट प्राप्त जारीकर्ता

यदि मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जारीकर्ता द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर संतुष्ट हो जाता है, तो वह अपनी आंतरिक नीति या दिशानिदेशों के अनुसार, निम्नलिखित जारीकर्ताओं के लिए इस अध्याय की कुछ अपेक्षाओं की प्रयोज्यता में छूट दे सकता है:

- (क) अधिराष्ट्रीय, बहुपक्षीय या वैधानिक संस्थान/संगठन/एजेंसियाँ; और
- (ख) ऐसी एंटीटियाँ जिनकी प्रतिभूतियों की गारंटी किसी संप्रभु द्वारा अपरिवर्तनीय रूप से दी गई हो; और
- (सी) कोई अन्य एंटीटी जिसे प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया गया हो।

अध्याय XIII: व्यापार की अनुमति**122. व्यापार की अनुमति**

मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से जारीकर्ता की भागीदारी के बिना प्रतिभूतियों के व्यापार की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दे सकता है,:

- (क) प्रतिभूतियों का ऐसा व्यापार उन अधिकार क्षेत्रों के लागू कानूनों के अनुरूप है जिनमें प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध हैं; और
- (ख) मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(स) व्यापारों का समाशोधन और निपटान सुनिश्चित करेंगे।

अध्याय XIV: विविध**123. सूचीबद्धता समझौता**

मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(स) पर अपनी प्रतिभूतियों और अनुमत वित्तीय उत्पादों को सूचीबद्ध करने की इच्छुक इकाई ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ ऐसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट रूप और तरीके से सूचीबद्धता समझौता निष्पादित करेगी।

124. सूची में प्रवेश से इनकार

मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, अपने विवेक पर, प्रतिभूतियों या अनुमत वित्तीय उत्पादों को सूचीबद्ध करने के लिए प्रवेश के लिए आवेदन को अस्वीकार कर सकता है, यदि वह समझता है कि-

- (क) ऐसी प्रतिभूतियों या अनुमत वित्तीय उत्पादों को सूचीबद्ध करना निवेशकों के हितों के लिए हानिकारक होगा; या
- (ख) जारीकर्ता प्राधिकरण या मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट किसी आवश्यकता का अनुपालन नहीं कर रहा है या नहीं करेगा।

125. निलंबन

(1) मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज प्रतिभूतियों या अनुमत वित्तीय उत्पादों के व्यापार को निलंबित कर सकता है, जहां ऐसा प्रतीत होता है कि:

- (क) जारीकर्ता प्राधिकरण या मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट विनियामक उपबंधों का अनुपालन नहीं कर रहा है;
- (ख) जारीकर्ता को किसी अन्य एक्सचेंज द्वारा अपनी प्रतिभूतियों के व्यापार के लिए निलंबित कर दिया गया है; या
- (ग) निलंबन उसके बाजार के व्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
- (2) मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, यदि यह समझता है कि निलंबन अब आवश्यक नहीं है, उन प्रतिभूतियों के व्यापार को बहाल कर सकता है जिन्हें निलंबित कर दिया गया है,

126. स्वैच्छिक असूचीबद्धता

मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज सूचीबद्ध एंटीटी से अनुरोध प्राप्त होने पर, प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीके से और ऐसी शर्तों के अधीन प्रतिभूतियों को असूचीकृत कर सकता है।

127. अनिवार्य असूचीबद्धता

मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारीकर्ता की प्रतिभूतियों या अनुमत वित्तीय उत्पादों को अनिवार्य रूप से असूचीकृत कर सकता है:

- (क) प्रतिभूतियां या अनुमत वित्तीय उत्पाद छह माह से अधिक की अवधि के लिए निलंबित रहे हैं;
- (ख) प्रतिभूतियों या अनुमत वित्तीय उत्पादों को किसी अन्य एक्सचेंज द्वारा अनिवार्य रूप से असूचीकृत किया गया है;
- (ग) जहां एक्सचेंज को विश्वास है कि ऐसी विशेष परिस्थितियां हैं जिनके लिए प्रतिभूतियों या अनुमत वित्तीय उत्पादों को असूचीकृत करने की आवश्यकता है; या
- (घ) इसे प्राधिकरण या किसी अन्य प्रासंगिक प्राधिकरण या न्यायिक अधिकार वाले किसी न्यायालय द्वारा ऐसा करने का निदेश दिया गया है।

128. सूचना प्रस्तुत करना

जारीकर्ता प्राधिकरण या मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रतिभूति बाजार से संबंधित मांगी गई सभी सूचना प्रस्तुत करेगा।

129. विनियमों के सख्त प्रवर्तन से छूट/ढील देने की शक्ति

- (1) प्राधिकरण, निवेशकों के हित में या आईएफएससी में वित्तीय बाजार के विकास के लिए, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, इन विनियमों की किसी भी आवश्यकता के सख्त प्रवर्तन से छूट/ढील दे सकता है।
- (2) उप-विनियम (1) के अधीन छूट/ढील मांगने के लिए, प्राधिकरण के पास आवेदन फाइल किया जाएगा, जिसमें वे विवरण और आधार देने होंगे जिन पर ऐसी छूट/ढील मांगी गई है।
- (3) उप-विनियम (2) के अधीन संदर्भित आवेदन के साथ प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट गैर-वापसी योग्य शुल्क संलग्न किया जाएगा।

130. मानदंड, प्रक्रियाएं निर्दिष्ट करने, स्पष्टीकरण जारी करने और कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

- (1) प्राधिकरण इन विनियमों और इसके आनुषंगिक मामलों के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए, परिपत्रों या दिशानिर्देशों या निदेशों के माध्यम से मानदंड, प्रक्रियाएं, प्रक्रियाएं, अतिरिक्त आवश्यकताएं आदि निर्दिष्ट कर सकता है।
- (2) विनियम 80, 81, 82 और 126 के अधीन अपेक्षाओं को प्राधिकरण की बैठक में सार्वजनिक परामर्श और अनुमोदन के बाद निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- (3) प्राधिकरण इन विनियमों के आवेदन या व्याख्या में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, मार्गदर्शन नोट या परिपत्रों के माध्यम से स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।

131. निरसन और व्यावृत्तियाँ

1. इन विनियमों के प्रारंभ होने पर और उसके बाद से, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (प्रतिभूतियों का इश्यू और सूचीबद्धता) विनियम, 2021 समाप्त हो जाएँगे।
2. उप-विनियम (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी, इन विनियमों के प्रारंभ होने से पूर्व उप-विनियम (1) में उल्लिखित विनियमों के अंतर्गत की गई किया गया कोई कार्य या की गई कोई भी कार्रवाई इन विनियमों के संगत उपबंधों के अंतर्गत की गई या आरम्भ की गई मानी जाएगी।

के. राजारामन, अध्यक्ष
[विज्ञापन-III/4/असा./444/2024-25]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY**NOTIFICATION**

Gandhinagar, the 20th August 2024

International Financial Services Centres Authority (Listing) Regulations, 2024

IFSCA/GN/2024/006.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 read with sub-section (1) of Section 12 and sub-section (1) of Section 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019), read with Section 30, Section 11A and Section 28C of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations, namely:-

CHAPTER I: PRELIMINARY**1. Short title and commencement**

- (1) **These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Listing) Regulations, 2024.**
- (2) **They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.**

2. Objective

These regulations provide the regulatory framework for listing of specified securities, debt securities, depository receipts and other permitted financial products on the recognised stock exchanges in the International Financial Services Centres in India.

3. Definitions

- (1) **In these regulations, unless the context otherwise requires, the terms defined herein shall bear the meanings assigned to them below, and their cognate expressions and variations shall be construed accordingly, -**
 - (a) “Act” means the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);
 - (b) “Banking Unit” means a unit licensed or permitted by the Authority to undertake permissible activities under International Financial Services Centres Authority (Banking) Regulations, 2020;
 - (c) “business combination” means a merger or amalgamation or acquisition of shares or assets of one or more companies having business operations by a Special Purpose Acquisition Company;
 - (d) “certificate of deposit” means a negotiable, unsecured money market instrument issued in dematerialised form or as a Usance Promissory Note against funds deposited at a Banking Unit for a maturity period upto one year;
 - (e) “commercial paper” means an unsecured money market instrument issued in the form of promissory note;
 - (f) “control” shall include the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions exercisable by a person or persons acting individually or in concert, directly or

indirectly, including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements or in any other manner;

- (g) “controlling shareholder” shall include a person who has control over the affairs of the issuer, directly or indirectly whether as a shareholder, director or otherwise;
- (h) “convertible debt instrument” means an instrument which creates or acknowledges indebtedness and is convertible into equity shares of the issuer at a later date with or without the option of the holder of the instrument, whether constituting a charge on the assets of the issuer or not;
- (i) “convertible preference shares” means preference shares which can be converted into a predetermined number of ordinary shares usually after a specified date or upon the occurrence of certain events;
- (j) “convertible securities” means securities which are convertible into or exchangeable with equity shares of the issuer at a later date, with or without the option of the holder of such securities and includes convertible debt instruments and convertible preference shares;
- (k) “debt securities” means non-convertible debt securities which create or acknowledge indebtedness and includes debentures, notes and bonds;
- (l) “depository receipt (DR)” means a negotiable financial instrument representing underlying securities of an issuer in another jurisdiction;
- (m) “designated stock exchange” means a recognised stock exchange chosen by the issuer on which the securities or any other permitted financial product is listed or proposed to be listed for the purpose of a particular issue of securities or a financial product under these regulations;
- (n) "Foreign Jurisdiction" means a country, other than India, whose securities market regulator is a signatory to International Organization of Securities Commission’s Multilateral Memorandum of Understanding or a signatory to a bilateral Memorandum of Understanding with the Authority, and which is not identified in the public statement of Financial Action Task Force as:
 - (i) a jurisdiction having a strategic Anti-Money Laundering or Combating the Financing of Terrorism deficiencies to which counter measures apply; or
 - (ii) a jurisdiction that has not made sufficient progress in addressing the deficiencies or has not committed to an action plan developed with the Financial Action Task Force to address the deficiencies;
- (o) “follow-on public offer (FPO)” or “further public offer” means an offer of specified securities by a Listed Entity to the public for subscription and includes an offer for sale of specified securities to the public by any existing holder of such specified securities in a listed issuer;
- (p) “green shoe option” means an option of allotting specified securities in excess of the specified shares offered in the public issue as a post-listing price stabilizing mechanism;
- (q) "group entity" means an entity of a business group that consists of a parent company or of any other type of legal person exercising control over the rest of the group, together with branches and/or subsidiaries;
- (r) “IFSCA” or “Authority” means the International Financial Services Centres Authority established under sub-section (1) of section 4 of the Act;
- (s) “information memorandum” means a document that provides investors with information about the issuer and the securities in connection with an application for listing of securities and includes an offering memorandum or an offering circular;
- (t) “initial public offer (IPO)” means an offer of specified securities by an unlisted issuer to the public for subscription and includes an offer for sale of specified securities to the public by any existing holder of such specified securities in an unlisted issuer;
- (u) “issuer” means an entity which makes or proposes to make or has made an issue of specified securities or debt securities or depository receipts or commercial paper or certificates of deposit or any other permitted financial products and intends to list on a recognised stock exchange under these regulations;

- (v) "International Financial Services Centre (IFSC)" shall have the same meaning as assigned to it under clause (g) of sub-section (1) of Section 3 of the Act;
- (w) "key managerial personnel", in relation to a company incorporated in India, shall have the same meaning as assigned to it under clause (51) of section 2 of the Companies Act, 2013, and in relation to a company incorporated outside India shall mean:
- (i) the chief executive officer or the managing director or the manager;
 - (ii) the company secretary or the corporate secretary;
 - (iii) a whole-time director;
 - (iv) the chief financial officer; and
 - (v) such other officer as may be designated as key managerial personnel by the Board of the company;
- (x) "lead manager" means an investment banker registered with the Authority and appointed by the issuer to manage the issue and in case of a book built issue, the lead manager(s) appointed by the issuer shall act as the book running lead manager(s) for the purposes of book building;
- (y) "Listed Entity" means an entity whose specified securities or debt securities or depository receipts or any other permitted financial products are listed on a recognised stock exchange under these regulations;
- (z) "offer document" includes a red herring prospectus, prospectus, shelf prospectus, letter of offer, tranche prospectus, placement memorandum, as applicable;
- (aa) "promoter" shall have the same meaning as assigned to it under clause (69) of section 2 of the Companies Act, 2013:
- Explanation:* The references to "promoter" under these regulations shall apply only in respect of companies incorporated under the Companies Act, 2013;
- (bb) "qualified institutions placement" means issue of specified securities to qualified institutional buyers on a private placement basis and includes an offer for sale of specified securities by the promoters or controlling shareholders on a private placement basis;
- (cc) "recognised stock exchange" means a stock exchange recognised by the Authority;
- (dd) "securities", for the purposes of these regulations, shall mean specified securities, debt securities and depository receipts listed or proposed to be listed on a recognised stock exchange;
- (ee) "Special Purpose Acquisition Company (SPAC)" means a company which does not have any operating business and has been formed with the primary objective to effect a business combination;
- (ff) "specified securities" means equity shares and convertible securities;
- (gg) "Superior Right equity shares" or "SR equity shares" means such class of equity shares of an issuer which grants their holders voting rights superior to the ordinary equity shares issued by that issuer;
- (hh) "underwriter" means a person who engages in the business of underwriting of an issue of securities of a body corporate.
- (2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act, the Companies Act, 2013, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, the Depositories Act, 1996, or any rules or regulations made thereunder shall have the same meanings as respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations made thereunder or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

4. Applicability

These regulations shall apply to:

- (a) an initial public offer of specified securities by an unlisted entity;
- (b) a follow-on public offer of specified securities by a Listed Entity;

- (c) an initial public offer of specified securities by a Special Purpose Acquisition Company;
- (d) a rights issue or a preferential issue or a qualified institutions placement of specified securities by a Listed Entity;
- (e) issuance and listing of depository receipts by an entity;
- (f) issue and listing of debt securities by an entity;
- (g) secondary listing of securities by an entity;
- (h) listing of Commercial Paper or Certificates of Deposit or other financial products as permitted by the Authority.

CHAPTER II: GENERAL CONDITIONS

5. General Principles

The underlying principles for an issuer proposing to list its securities or any other permitted financial product on the recognised stock exchange(s) are as under:

- (a) There should be true, correct and adequate disclosure of material information in the offer document to enable the investors to take an informed decision.
- (b) There should be full, accurate and timely disclosure of financial results, risk and other non-financial information which may be material for investors to take an informed decision;
- (c) All holders shall be treated in a fair and equitable manner;
- (d) The directors of an issuer shall ensure to act in the best interest of all stakeholders.

6. General Eligibility Criteria

- (1) An issuer shall be eligible to list its securities or any other permitted financial product on a recognised stock exchange subject to the following conditions:
 - (a) the issuer is incorporated or set up either in an IFSC or in India or in a Foreign Jurisdiction, in accordance with the relevant laws of its home jurisdiction;
 - (b) the issuer operates in conformity with its constitution; and
 - (c) the issuer is eligible to issue such securities or other financial products, that are proposed to be listed on the recognised stock exchange, in conformity with the relevant laws of its home jurisdiction.

Provided that a public Indian company proposing to list its equity shares on a recognised stock exchange shall also be required to meet the eligibility criteria provided under Schedule XI of the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 and the Companies (Listing of equity shares in permissible jurisdictions) Rules, 2024.

Explanation: The following entities shall also be eligible to list its debt securities on a recognised stock exchange:

- (a) a supranational or a multilateral or a statutory institution;
 - (b) a municipality or any similar body; and
 - (c) an entity which offers or proposes to offer sovereign debt securities.
- (2) An issuer shall not be eligible to list its securities if the issuer or any of its promoters or controlling shareholders or directors or the existing shareholders offering shares in the issue is -
 - (a) debarred from accessing the capital market; or
 - (b) a wilful defaulter; or
 - (c) a fugitive economic offender.

Explanation: For the purpose of these regulations, 'wilful defaulter' or 'fugitive economic offender', by whatever name called, means a person who is categorized as such, as per relevant laws of its home jurisdiction.

7. Dematerialised Form

The securities and other permitted financial products listed or proposed to be listed on a recognised stock exchange shall be freely transferable and held in dematerialised form:

Provided that debt securities and such other financial products may also be held with an international central securities depository.

8. Currency

The securities and other permitted financial products shall be denominated in a specified foreign currency for listing and trading on a recognised stock exchange:

Explanation 1: for the purpose of these regulations, specified foreign currency shall mean the currency specified in the First Schedule of the International Financial Services Centres Authority (Banking) Regulations, 2020 or any other regulation notified by the Authority.

Explanation 2: For the purpose of these regulations, reference to USD shall mean an equivalent amount in the currency in which such securities are issued.

CHAPTER III: PUBLIC OFFER OF SPECIFIED SECURITIES (IPO AND FPO)**PART A: INITIAL PUBLIC OFFER****9. Eligibility criteria**

An issuer shall be eligible to make an initial public offer of specified securities, only if:

- (a) the issuer has an operating revenue, based on consolidated audited accounts, of at least USD twenty million in the last financial year or averaged over the last three financial years; or
- (b) the issuer has a pre-tax profit, based on consolidated audited accounts, of at least USD one million in the last financial year or averaged over the last three financial years; or
- (c) The issuer has a post issue market capitalization of at least USD twenty five million; or
- (d) It qualifies under any other eligibility criteria specified by the Authority.

Explanation: “Financial year” for the purposes of these regulations shall mean financial year followed by the issuer in accordance with the applicable laws of its home jurisdiction.

10. SR Equity Shares

An issuer, which has issued SR equity shares, shall be allowed to make an initial public offer of its ordinary shares for listing on a recognised stock exchange, subject to the conditions that:

- (a) The issue of SR equity shares had been authorised by a resolution passed at a general meeting of the shareholders of the issuer; and
- (b) The SR equity shares have been held for a period of at least three months prior to the filing of the draft offer document.

11. Offer for Sale

- (1) In case of an offer for sale, the specified securities must have been held by the existing holders for a period of at least one year prior to the date of filing of the draft offer document:

Provided that in case equity shares received on conversion are being offered for sale, the holding period of convertible securities or depository receipts, as the case may be, and the holding period of resultant equity shares, together, shall be considered for the purpose of calculation of the period of one year.

Explanation: Where equity shares arising out of conversion are being offered for sale, such conversion should be completed prior to filing of the offer document and full disclosures of the terms of conversion should be made in the draft offer document.

- (2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), the requirement of holding equity shares for a period of one year shall not apply:

- (a) Where the equity shares offered for sale were acquired pursuant to any scheme of merger or amalgamation in lieu of business and invested capital which had been in existence for a period of more than one year prior to approval of such scheme; or
- (b) Where the equity shares offered for sale were issued under a bonus issue on securities held for a period of at least one year prior to the filing of the draft offer document with the Authority, and also subject to the following:
 - (i) such equity shares being issued out of free reserves and share premium existing in the books of account as at the end of the financial year preceding the financial year in which the draft offer document is filed with the Authority; and
 - (ii) such equity shares not being issued by utilisation of revaluation reserves or unrealized profits of the issuer.

12. Lead manager

The issuer shall appoint lead manager(s) to the issue and other intermediaries in consultation with the lead manager(s).

13. In-principle approval from recognised stock exchange(s)

- (1) The issuer shall file an application with a recognised stock exchange seeking in-principle approval for listing of specified securities:

Provided that where the application is made to more than one recognised stock exchange, the issuer shall choose one of them as the designated stock exchange.

- (2) The recognised stock exchange shall grant an in-principle approval or reject the application within fifteen days from the date of receipt of complete application from the issuer.

14. Filing of Offer Document

- (1) Where size of the proposed issue is USD fifty million or below,
 - (a) the issuer, through the lead manager(s), shall file a draft offer document along with applicable fee with the Authority;
 - (b) the lead manager(s) shall also submit a due diligence certificate along with the draft offer document;
 - (c) the draft offer document shall be hosted on the websites of the Authority, the recognised stock exchange(s) where the specified securities are proposed to be listed, the issuer and the lead manager(s) of the issue.
- (2) Where size of the proposed issue is more than USD fifty million,
 - (a) the issuer, through the lead manager(s), shall file a draft offer document along with applicable fee with the Authority;
 - (b) the lead manager(s) shall also submit a due diligence certificate along with the draft offer document;
 - (c) the draft offer document shall be hosted on the websites of the Authority, the recognised stock exchange(s) where the specified securities are proposed to be listed, the issuer and the lead manager(s) for seven working days, inviting comments from public;
 - (d) the lead manager(s) shall file with the Authority details of material comments received by them or by the issuer from the public on the draft offer document during such period and the consequential changes, if any, that are proposed to be made pursuant thereto, in the draft offer document;
 - (e) the Authority may issue observations, if any, on the draft offer document within twenty-one working days from the later of the following dates:
 - (i) the date of receipt of the draft offer document; or
 - (ii) the date of receipt of satisfactory reply from the issuer and/or the lead manager(s) where the Authority has sought any clarification or additional information from them; or

- (iii) the date of receipt of clarification or information from any regulator or agency, where the Authority has sought any clarification or information from such regulator or agency; or
- (iv) the date of receipt of a copy of in-principle approval given by the recognised stock exchange(s).
- (f) the issuer shall carry out changes advised by the Authority, if any, in the draft offer document;
- (g) the issuer shall, through the lead manager(s), file the updated offer document with the Authority and the recognised stock exchange(s) prior to going ahead with the issue.

15. Offer Timing

The offer shall be made by the issuer within a period of not more than twelve months from the date of issuance of observations by the Authority:

Provided that if the proposed size of the issue is USD fifty million or below, the period of twelve months shall be from the date of receipt of offer document by the Authority:

Provided further that if the offer is not made within the specified time period, a fresh draft offer document shall be filed with the Authority and the recognised stock exchange(s).

16. Disclosures in Offer Document

- (1) The offer document shall contain all material disclosures which are true, correct and adequate to enable the investors to take an informed investment decision.
- (2) For the purpose of 'materiality' of disclosure under this regulation, the issuer shall provide the details of its 'materiality policy', wherever applicable, in the offer document and ensure the disclosure of all material information post filing of offer document and prior to listing.
- (3) The lead manager(s) shall exercise due diligence and satisfy themselves about all aspects of the issue including the materiality, veracity and adequacy of disclosures in the offer document.
- (4) The offer document shall contain the requisite disclosures relating to the public offer, including the following:
 - (a) Offer Document Summary;
 - (b) Risk factors;
 - (c) Introduction providing a brief overview of the offer details;
 - (d) General information;
 - (e) Capital Structure;

Explanation: Capital structure shall include details of all shareholders holding five per cent or more of the pre-issue paid-up capital.

 - (f) Particulars of the Issue:
 - i. Objects of the Issue;
 - ii. Requirement of Funds;
 - iii. Funding Plan;
 - iv. Business/Project Appraisal, if any;
 - v. Deployment of Funds;
 - vi. Basis of Issue Price;
 - (g) Underwriting;
 - (h) Tax implications for investors;
 - (i) About the Issuer:
 - i. Industry Description;

- ii. Business Description;
 - iii. Organisational structure, Management, Key Managerial Personnel and Remuneration;
 - iv. Shareholders' Agreements and Other material Agreements;
 - v. Dividend Policy;
- (j) Financial Statements;
 - (k) Material Related Party Transactions;
 - (l) Legal and Other Information:
 - i. Outstanding material litigation and material developments;
 - ii. Pending material Government/Regulatory approvals;
 - (m) Details of major group entities including their business;
 - (n) Other regulatory and statutory disclosures;
 - (o) Any other material disclosures.
- (5) Disclaimer: The offer document shall contain the following disclaimer in bold:
- “It is to be distinctly understood that filing of the offer document with IFSCA is for the purpose of record and should not in any way be deemed or construed that the same has been cleared or approved by IFSCA. IFSCA does not take any responsibility either for the financial soundness of the issuer or for the correctness of the statements made or opinions expressed in the offer document. The issuer and the lead manager (s) have certified that the disclosures made in the offer document are true, correct and adequate and are in conformity with the IFSCA (Listing) Regulations, 2024. This requirement is to facilitate investors to take an informed decision for making investment. The Issuer shall at all times be responsible for the correctness, adequacy and disclosure of all relevant information in the offer document.”*
- (6) Audited financial information of the issuer for at least last three financial years shall be disclosed in the offer document:
- Provided that* where the issuer has been in existence for less than three years, audited financial information shall be provided for such period of existence:
- Provided further* that where financial information is provided for part of a financial year such financial information can be limited reviewed.
- (7) Notwithstanding sub-regulation (6), if the issuer has been in existence for less than one year, financial information provided shall be audited.
- (8) Financial information provided in the offer document shall not be older than one hundred and thirty five days.
- (9) The issuer shall prepare its financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards ('IFRS') or US generally accepted accounting principles (US GAAP) or Indian Accounting Standards (Ind AS) or other accounting standards as may be applicable in its home jurisdiction:
- Provided that* an issuer preparing financial statements as per the accounting standards of its home jurisdiction (other than IFRS, US GAAP and Ind AS) shall be required to reconcile the same with IFRS.

17. Reservations

The issuer may choose to make reservations out of the issue size in favour of the following categories of persons and the same shall suitably be disclosed in the offer document:

- (a) employees;
- (b) directors; and
- (c) shareholders (other than controlling shareholders) of its group entities which are listed.

18. Pricing

The issuer shall determine pricing, in consultation with the lead manager(s), either through fixed price or book building process and shall suitably disclose the same in the offer document:

Provided that in case of listing of equity shares by a public Indian company, the issuer shall also comply with the requirements prescribed under schedule XI of the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019.

19. Offer period

The initial public offer shall be kept open for at least one working day and not more than ten working days:

Provided that in case the issuer has made a simultaneous offer in any other jurisdiction, the offer period may be for same period as applicable in the other jurisdiction.

20. Minimum public offer

(1) Where the issuer is a company incorporated in India, including in an IFSC, such issuer shall comply with the minimum offer and allotment to public and minimum public shareholding norms prescribed under the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957.

(2) Where the issuer is a company incorporated outside India, the minimum offer and allotment to public shall be at least ten per cent. of the post issue capital and such issuer shall also maintain the minimum public shareholding of ten per cent. of the post issue capital on a continuous basis.

21. Minimum subscription

An offer shall be considered successful only if the minimum subscription as disclosed in the offer document is received:

Provided that the concept of minimum subscription shall apply only to fresh issue of specified securities and not for the Offer for Sale component of the public offer.

22. Anchor Investor

The issuer may offer a portion of the issue size for subscription by an anchor investor, by providing relevant disclosures in the offer document such as details of anchor investor, proposed maximum limit of allotment to anchor investor, lockup (if any), pricing etc.

23. Underwriting

A public issue of specified securities may be underwritten by an underwriter and in such a case, adequate disclosures regarding underwriting arrangements shall be disclosed in the offer document.

24. Monitoring Agency

(1) The issuer may choose to appoint a credit rating agency registered with the Authority or a globally recognised credit rating agency which is registered with a regulator in India or a regulator in a Foreign Jurisdiction, as a monitoring agency for monitoring the use of proceeds of the issue.

(2) Where a monitoring agency has been appointed, the issuer shall, within forty five days from the end of each quarter, publicly disseminate the report of the monitoring agency by uploading the same on its website as well as submitting the same to the recognised stock exchange(s) on which its specified securities are listed.

25. Allotment

(1) Allotment to investors shall be on proportionate basis or discretionary basis as decided by the issuer in consultation with the lead manager(s) and disclosed in the offer document.

(2) The issuer and lead manager(s) shall ensure that the specified securities are allotted and the payments and refunds are completed within five working days from the date of closing of the issue.

26. Listing

The issuer shall list its specified securities on the recognised stock exchange(s) within such period, as specified by the recognised stock exchange(s):

Provided that in case the issuer has made a simultaneous offer in any other jurisdiction, the specified securities shall be listed on the same date.

27. Post-issue report

The issuer, through the lead manager(s), shall file a post-issue report with the recognised stock exchange(s) giving details including relating to number, value and percentage of all applications received, allotments made, basis of allotment, subscription, details of credit of specified securities, details relating to payments and refunds, and the date of filing of listing application, within ten working days from the date of closing of the issue.

28. Price stabilisation through green shoe option

- (1) An issuer may provide a green shoe option for stabilising the post listing price of its specified securities, subject to the following conditions:
 - (a) the draft offer document contains all material disclosures about the green shoe option;
 - (b) the issuer has appointed an investment banker or a broker dealer registered with the Authority as a stabilising agent, who shall be responsible for the price stabilisation process;
 - (c) the maximum number of specified securities that may be borrowed from pre-issue shareholders for the purpose of allotment or allocation of specified securities shall not exceed 15% of the total issue size.
- (2) The price stabilisation process shall be available for a period not exceeding ninety days from the date of obtaining trading permission from the recognised stock exchange(s) in respect of the specified securities allotted in the public issue.
- (3) The stabilising agent shall open a special account, distinct from the issue account, with a Banking Unit for crediting the monies received from the applicants against the over-allotment and a special account with a depository participant for crediting specified securities to be bought from the market during the stabilisation period out of the monies credited in the special bank account.
- (4) The specified securities bought from the market shall be returned to the pre-issue shareholders promptly and not later than two working days after the end of the stabilization period.
- (5) On expiry of the stabilisation period, if the stabilising agent has not been able to buy specified securities from the market to the extent of such securities over-allotted, the issuer shall allot specified securities at issue price to the extent of the shortfall within five working days of the closure of the stabilisation period and such specified securities shall be returned to the pre-issue shareholders by the stabilising agent in lieu of the specified securities borrowed from them and the demat account with the depository participant shall be closed thereafter.
- (6) The issuer shall make a listing application in respect of the further specified securities allotted under sub-regulation (5), to all the recognised stock exchanges where the specified securities allotted in the public issue are listed.
- (7) Any monies left in the special bank account after remittance of monies to the issuer and deduction of expenses incurred by the stabilising agent for the stabilisation process shall be transferred to the pre-issue shareholders who lent their specified securities towards the green shoe option, and the special bank account shall be closed soon thereafter.

29. Lockup of securities

- (1) The pre-issue shareholding of promoters and controlling shareholders of the issuer shall be locked-up for a period of one hundred and eighty days from the date of allotment in the initial public offer:

Provided that the lockup provisions shall not apply with respect to the specified securities lent to stabilising agent for the purpose of green shoe option, during the period starting from the date of lending of such specified securities and ending on the date on which they are returned to the lender.
- (2) The shareholding of the SR Equity Shares shall be locked-up after the initial public offering, until the later of:
 - a) their conversion to ordinary shares; and
 - b) One year from the date of allotment in the initial public offer.

- (3) The specified securities that are locked-up may be pledged as a collateral security:

Provided that such lockup shall continue pursuant to the invocation of the pledge and the transferee shall not be eligible to transfer the specified securities till the lockup period stipulated in these regulations has expired.

30. Other responsibilities of lead manager

- (1) The lead manager(s) shall prepare a schedule, listing the activity-wise allocation of responsibilities relating to the issue, the name of the lead manager(s) responsible for each set of activities or sub-activities, and disclose the same in the offer document.
- (2) A lead manager shall be designated for coordinating with the Authority and shall be responsible for ensuring that all intermediaries fulfil their obligations and functions as specified in their agreements with the issuer.
- (3) The responsibilities of the lead manager(s) shall continue for all pre and post-issue activities related to the issue.

31. Prohibition on payment of incentives

Any person connected with the issue shall not offer or receive any incentive, whether direct or indirect, in any manner, whether in cash or kind or services or otherwise to or from any person for making an application in the public offer, except for fees or commission for services rendered in relation to the issue.

PART B: FOLLOW-ON PUBLIC OFFER

32. Applicability

A Listed Entity may make a follow-on public offer of specified securities in the manner provided in these regulations.

33. Offer for sale

- (1) In case of an offer for sale, the specified securities must have been held by the existing holders for a period of at least one year prior to the date of filing of the draft offer document:

Provided that in case equity shares received on conversion are being offered for sale, the holding period of convertible securities or depository receipts, as the case may be, and the holding period of resultant equity shares together shall be considered for the purpose of calculation of the period of one year.

Explanation: Where equity shares arising out of conversion are being offered for sale, such conversion should be completed prior to filing of the offer document and full disclosures of the terms of conversion should be made in the draft offer document.

- (2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), the requirement of holding equity shares for a period of one year shall not apply:
- a) Where the equity shares offered for sale were acquired pursuant to any scheme of merger or amalgamation in lieu of business and invested capital which had been in existence for a period of more than one year prior to approval of such scheme; or
- b) Where the equity shares offered for sale were issued under a bonus issue on securities held for a period of at least one year prior to the filing of the draft offer document with the Authority, and also subject to the following:
- (i) such equity shares being issued out of free reserves and share premium existing in the books of account as at the end of the financial year preceding the financial year in which the draft offer document is filed with the Authority; and
- (ii) such equity shares not being issued by utilisation of revaluation reserves or unrealized profits of the issuer.

34. Lead manager

The issuer shall appoint lead manager(s) to the issue and other intermediaries in consultation with the lead manager(s).

35. In-principle approval from recognised stock exchange(s)

- (1) The issuer shall file an application with a recognised stock exchange seeking in-principle approval for listing of specified securities:

Provided that where the application is made to more than one recognised stock exchange, the issuer shall choose one of them as the designated stock exchange.

- (2) The recognised stock exchange shall grant an in-principle approval or reject the application within fifteen days from the date of receipt of complete application from the issuer.

36. Fast track follow-on public offer

- (1) An issuer may make follow-on public offer through the fast track route, if the issuer satisfies the following conditions:
 - (a) equity shares of the issuer have been listed on a recognised stock exchange for a period of at least eighteen months;
 - (b) issuer has complied with all the regulatory requirements specified by the Authority and the recognised stock exchange(s) in the preceding three years;
 - (c) no show-cause notice has been issued and pending against the issuer or its promoters or controlling shareholders or whole-time directors by the Authority or any other financial sector regulator;
 - (d) there is no adverse opinion, disclaimer of opinion, qualified opinion by the auditors on the financial statements of the issuer, or any of the issuer's subsidiaries or associates (having a material impact on the issuer's consolidated accounts), in the preceding three years;
 - (e) there has not been any disclosure relating to irregularities having a material impact on the issuer, by any director, key managerial personnel or compliance officer.

Explanation: Where the issuer is listed for a period of less than three years, the period under clause (b) and (d) shall be calculated from the date of initial listing.

- (2) The issuer, through the lead manager(s), shall file the offer document along with applicable fee with the Authority.
- (3) The lead manager(s) shall also submit a due diligence certificate along with the offer document.
- (4) The issuer shall simultaneously file the offer document with the recognised stock exchange(s).
- (5) The offer document shall be hosted on the websites of the Authority, the recognised stock exchange(s), the issuer and the lead manager(s) of the issue.

37. Follow-on public offer without fast track

The issuer not meeting the conditions for a fast track follow-on public offer, may make follow-on public offer by filing the draft offer document in the same manner as applicable for Initial Public Offers under PART A of this Chapter.

38. Disclosures in the offer document for a follow-on public offer

- (1) The offer document for a follow-on offer shall contain all material disclosures which are true, correct and adequate to enable the investors to take an informed investment decision.
- (2) For the purpose of 'materiality' of disclosure under this regulation, the issuer shall provide the details of its 'materiality policy', wherever applicable, in the offer document and ensure the disclosure of all material information post filing of offer document and prior to listing.
- (3) The lead manager(s) shall exercise due diligence and satisfy themselves about all aspects of the issue including the materiality, veracity and adequacy of disclosures in the offer document.
- (4) The offer document shall contain the requisite disclosures relating to the public offer, including the following:
 - (a) Offer Document Summary;
 - (b) Risk factors;
 - (c) Introduction providing a brief overview of the offer details;
 - (d) General information;

(e) Capital Structure;

Explanation: Capital structure shall include details of all shareholders holding five per cent. or more of the paid-up capital;

(f) Particulars of the Issue:

- i. Objects of the Issue;
- ii. Requirement of Funds;
- iii. Funding Plan;
- iv. Business/Project Appraisal, if any;
- v. Deployment of Funds;
- vi. Basis of Issue Price;

(g) Underwriting;

(h) Tax implications for investors;

(i) Financial Statements;

(j) Material Related Party Transactions;

(k) Legal and Other Information:

- i. Outstanding material litigation and material developments;
- ii. Pending material Government/Regulatory approvals;

(l) Details of major group entities including their business;

(m) Other regulatory and statutory disclosures;

(n) Any other material disclosures;

Explanation: The issuer may submit the disclosures in offer document by providing references to a recent prospectus or other disclosures made on a stock exchange.

(5) The offer document shall contain the following disclaimer in bold:

“It is to be distinctly understood that filing of the offer document with IFSCA is for the purpose of record and should not in any way be deemed or construed that the same has been cleared or approved by IFSCA. IFSCA does not take any responsibility either for the financial soundness of the issuer or for the correctness of the statements made or opinions expressed in the offer document. The issuer and the lead manager (s) have certified that the disclosures made in the offer document are true, correct and adequate and are in conformity with the IFSCA (Listing) Regulations, 2024. This requirement is to facilitate investors to take an informed decision for making investment. The Issuer shall at all times be responsible for the correctness, adequacy and disclosure of all relevant information in the offer document.”

39. Issue Process

The provisions relating to offer timing, pricing, offer period, minimum subscription, anchor investor, underwriting, monitoring agency, allotment, listing, post-issue report, other responsibilities of lead manager and prohibition on payment of incentives provided for Initial Public Offers under PART A of this Chapter shall *mutatis mutandis* apply to follow-on public offer under this Chapter.

CHAPTER IV: LISTING OF SPECIFIED SECURITIES WITHOUT PUBLIC OFFER**40. Listing of specified securities without public offer**

An issuer may list its specified securities on a recognised stock exchange without making public offer in the manner as may be specified by the Authority.

CHAPTER V: LISTING OF SPECIFIED SECURITIES ALREADY LISTED IN OTHER JURISDICTION**41. Secondary Listing without public offer**

An issuer, having its specified securities listed in a jurisdiction outside IFSC, may list those specified securities on a recognised stock exchange(s), without making public offer, subject to the following conditions:

- (a) It shall file listing application, in the manner specified by the recognised stock exchange(s); and
- (b) It shall comply with the listing requirements of the recognised stock exchange(s) and such other conditions as may be specified by the Authority.

42. Listing with public offer

- (1) An issuer, having its specified securities listed in a jurisdiction outside IFSC, may list the specified securities on a recognised stock exchange(s) through a public offer.
- (2) The provisions relating to appointment of lead manager, in-principle approval from recognised stock exchanges, filing of offer document, offer timing, disclosures in offer document, reservations, pricing, offer period, minimum public offer, minimum subscription, anchor investor, underwriting, monitoring agency, allotment, listing, post-issue report, price stabilisation through green shoe option, lockup of securities, other responsibilities of lead manager and prohibition on payment of incentives provided for Initial Public Offers under PART A of Chapter III shall *mutatis mutandis* apply to listing by way of public offer:

Explanation: For the purpose of initial disclosures, the issuer may submit the disclosures in draft offer document by providing references to a recent prospectus or other disclosures made with any stock exchange or any regulatory body.

- (3) A public Indian company, with dual listing in IFSC and in India, shall comply with the additional regulatory requirements as may be specified by the Authority.

43. Qualified Institutions Placements

A public Indian company having its equity shares listed on a stock exchange in India may be permitted to make a qualified institutions placement in the manner as may be specified by the Authority from time to time.

CHAPTER VI: LISTING OF SPECIAL PURPOSE ACQUISITION COMPANIES (SPAC)

44. Eligibility

- (1) A SPAC is eligible to raise capital through initial public offer of specified securities on the recognised stock exchange(s), only where:
 - (a) the target business combination has not been identified prior to the IPO;
 - (b) The SPAC has the provisions for redemption and liquidation in line with these Regulations; and
 - (c) The sponsor of the SPAC has a good track record in SPAC transactions, business combinations, fund management or investment banking activities and the same shall be disclosed in the offer document.

Explanation: For the purpose of this chapter, sponsor shall mean a person sponsoring the formation of the SPAC and shall include persons holding any specified securities of the SPAC prior to the IPO.

- (2) A SPAC shall not be eligible to list specified securities under these regulations if the issuer or any of its sponsors is:
 - (a) debarred from accessing the capital market; or
 - (b) a wilful defaulter; or
 - (c) a fugitive economic offender.

45. IPO Process

The provisions relating to appointment of lead manager, in-principle approval from recognised stock exchange(s) and filing of offer document provided for Initial Public Offers under PART A of Chapter III shall *mutatis mutandis* apply to initial public offer by a SPAC.

46. Offer Timing

The offer shall be made by the issuer within a period of not more than twelve months from the date of issuance of observations by the Authority:

Provided that if the offer is not made within the specified time period, a fresh draft offer document shall be filed.

47. Initial disclosures in the Offer Document

- (1) The offer document shall contain all material disclosures which are true, correct and adequate to enable the investors to take an informed investment decision.
- (2) For the purpose of 'materiality' of disclosure under this regulation, the issuer shall provide the details of its 'materiality policy', wherever applicable, in the offer document and ensure the disclosure of all material information post filing of offer document and prior to listing
- (3) The lead manager(s) shall exercise due diligence and satisfy themselves about all aspects of the issue including the materiality, veracity and adequacy of disclosures in the offer document.
- (4) The offer document shall contain the requisite disclosures relating to the public offer, including the following:
 - a) Offer Document Summary;
 - b) Risk factors;
 - c) Introduction providing a brief overview of the offer details;
 - d) General information;
 - e) Capital Structure;
 - f) Redemption Rights;
 - g) Liquidation;
 - h) Particulars of the Issue:
 - i. Objects of the Issue;
 - ii. Requirement of Funds;
 - i) Underwriting;
 - j) Tax implications for investors;
 - k) About the Issuer:
 - i. Organisational structure;
 - ii. Details of sponsors and their track record;
 - iii. The SPAC's target business sector or geographic area for its business combination, if applicable;

Explanation: However, the target business combination shall not be identified prior to the IPO and a declaration in this regard shall be disclosed.
 - iv. Time period for completion of the business combination;
 - v. The valuation method(s) intended to be used in valuing the business combination, if known;
 - vi. Management;
 - vii. Key Managerial Personnel and Remuneration;
 - l) Financial Statements;
 - m) Material Related Party Transactions;
 - n) Legal and Other Information:
 - i. Outstanding material litigation and material developments;
 - ii. Pending material Government/Regulatory approvals;
 - o) Details of major group entities including their business;
 - p) Other regulatory and statutory disclosures;

- q) Any other material disclosures.

48. Issue size

- (1) The issue shall be of size not less than USD fifty million or any other amount as may be specified by the Authority from time to time.
- (2) The sponsors shall hold at least fifteen per cent. (15%) and not more than twenty per cent. (20%) of the post issue paid up capital;
- (3) Prior to an IPO, the sponsor shall have aggregate subscription (all securities) in the SPAC amounting to USD ten million or an amount equivalent to at least two and half per cent. (2.5%) of the issue size, whichever is lower; or any other threshold as may be specified by the Authority.

49. Pricing

The issue shall be through a fixed price mechanism and the issuer shall determine the price in consultation with the lead manager(s).

50. Offer period

The initial public offer shall be kept open for at least one working day and not more than ten working days.

51. Underwriting

- (1) A public issue of specified securities may be underwritten by an underwriter and in such a case adequate disclosure regarding underwriting arrangements shall be made in the offer document.
- (2) At least fifty per cent. (50%) of the underwriting commission shall be deferred until successful completion of the business combination, and shall be deposited in the escrow account.
- (3) In case of liquidation, the underwriter shall have no right on the deferred commission deposited in the escrow account.

52. Application and Allotment

- (1) The minimum application size in an initial public offer of SPAC shall be USD one hundred thousand.
- (2) Allotment to investors shall be on proportionate basis or discretionary basis, as disclosed in the offer document.
- (3) The issuer and lead manager(s) shall ensure that the specified securities are allotted, and the payments and refunds are completed within five working days from the date of closing of the issue.

53. Other provisions

The provisions relating to listing, post-issue report, other responsibilities of lead manager and prohibition on payment of incentives provided for Initial Public Offers under PART A of Chapter III shall *mutatis mutandis* apply to initial public offer under this Chapter.

54. SPAC specific obligations

- (1) The SPAC shall ensure that the entire proceeds of the IPO are kept in an interest-bearing escrow account controlled by an independent custodian until consummation of the SPAC's business combination.
- (2) The proceeds kept in the escrow account shall be invested only in short-term investment grade liquid instruments, as disclosed in the offer document.
- (3) The interest and other income derived from the proceeds placed in the escrow account may be withdrawn by the SPAC only for the following purposes:
 - (a) Payment of taxes; and
 - (b) General working capital expenses subject to prior approval by way of special resolution of the shareholders other than sponsors.
- (4) The SPAC shall seek shareholders' approval on the proposed business combination and shall file a detailed prospectus with the recognised stock exchange(s) containing all relevant disclosures including the following:

- (a) Information about the target company(ies) shall include overview of industry and business, organisational structure, board of directors, management and key managerial personnel (KMPs), major shareholders, material shareholders' agreements, audited financial statements for at least previous three financial years, outstanding material litigations against the company and its directors and KMPs, potential conflicts of interest and other material information;
 - (b) Information about the business combination transaction including valuation of the entities and the methodologies used for valuation;
 - (c) Information about the process involved in the business combination and the various regulatory and statutory approvals required for completion of the transaction;
 - (d) Information about the resultant company that would be formed after completion of the business combination; and
 - (e) Any other information as may be required by the recognised stock exchange(s) or the Authority.
- (5) The SPAC shall seek prior approval from majority of shareholders other than sponsors, for the proposed business combination.
 - (6) A shareholder (other than sponsors) who has voted against the proposed business combination, shall have the redemption right for converting his securities into a *pro rata* portion of the aggregate amount held in the escrow account (net of taxes payable).

Explanation: A SPAC may have the option to not afford the redemption right to the shareholders who have not voted.

- (7) In the event of change in control of the SPAC, it shall provide the redemption option to the shareholders (other than sponsors) for converting their securities into a *pro rata* portion of the aggregate amount held in the escrow account (net of taxes payable).
- (8) The SPAC shall complete the business combination within the timeline disclosed in the offer document, which shall not exceed thirty six months from the date of listing on the recognised stock exchange(s).
- (9) Where the business combination is not completed within the specified time frame, the escrow account shall be liquidated, and specified securities shall be delisted in the manner as disclosed in the offer document:

Provided that, in the event of liquidation and delisting, the sponsors shall not participate in the liquidation distribution.

- (10) A sponsor shall not transfer or sell any of his specified securities prior to the completion of a business combination.
- (11) The SPAC shall ensure that the businesses combination has an aggregate fair market value of at least eighty per cent. (80%) of the amount deposited in the escrow account, excluding deferred underwriting commissions held in escrow plus any taxes payable on the income earned on the escrowed funds.
- (12) The SPAC and the sponsors shall ensure that there is no related party transaction or connection of sponsor or any of their associates with the business combination.
- (13) Where warrants have been issued in the IPO, the SPAC shall comply with the following:
 - (a) Each unit shall consist of one share and not more than one share purchase warrants;
 - (b) The exercise price of the warrants shall not be lower than the price of the equity shares offered in the IPO;
 - (c) The warrants and the equity shares may be traded separately on the recognised stock exchanges, as per the details disclosed in the offer document;
 - (d) The warrants shall not be exercisable prior to the completion of the business combination;
 - (e) In case of liquidation of SPAC, the warrants shall expire; and
 - (f) The warrants shall not have any entitlement to the funds lying in the escrow account upon liquidation or redemption.

(14) The Authority may, from time to time, specify additional requirements regarding listing of SPACs on the recognised stock exchange(s).

55. Continuous disclosure requirements

The continuous disclosure requirements applicable for Listed Entities as specified under Chapter XII of these regulations shall *mutatis mutandis* apply to a SPAC.

56. Post business combination

(1) The resultant entity shall immediately disclose details regarding the completed transaction to the recognised stock exchange(s).

Explanation: For the purpose of this chapter, the resultant entity means the issuer resulting from the completion of the business combination by the SPAC.

(2) The resultant entity shall be required to meet the listing eligibility criteria set out in these regulations within one hundred and eighty days, in order to continue listing on the recognised stock exchange(s).

(3) The resultant entity shall comply with the listing obligations and continuous disclosure requirements specified under Chapter XII of these regulations.

(4) The shareholding of the sponsors of the SPAC in the resultant entity shall be locked up for a period of one year from the date of closing of the business combination.

(5) The shareholding of the controlling shareholders, directors and key managerial personnel of the resultant entity shall be locked up for a period of one year from the date of closing of the business combination.

CHAPTER VII: RIGHTS ISSUE, PREFERENTIAL ISSUE AND QUALIFIED INSTITUTIONS PLACEMENT

57. Rights Issue, Preferential Issue and Qualified Institutions Placement

A Listed Entity may make rights issues, preferential issues or qualified institutions placement of specified securities, subject to compliance with the requirements that may be specified by the Authority.

CHAPTER VIII: LISTING OF DEPOSITORY RECEIPTS

PART A: ELIGIBILITY

58. Eligibility

An issuer incorporated outside an IFSC shall be eligible to make an issue of depository receipts only if -

- (i) It is authorised to issue depository receipts as per the applicable laws of its home jurisdiction; and
- (ii) The underlying securities represented by such depository receipts is in dematerialised form, fully paid and free from all encumbrances.

PART B: PUBLIC OFFER OF DEPOSITORY RECEIPTS

59. Offer size

The issue of depository receipts shall be of size not less than USD seven hundred thousand, or any other amount as may be specified by the Authority.

60. Filing of Draft Offer Document

The filing of draft offer document shall be in the manner as specified for filing of offer document for initial public offer under PART A of Chapter III of these Regulations.

61. Initial disclosures in the Offer Document

(1) The offer document shall contain all material disclosures which are true, correct and adequate to enable the investors to take an informed investment decision.

(2) For the purpose of 'materiality' of disclosure under this regulation, the issuer shall provide the details of its 'materiality policy', wherever applicable, in the offer document and ensure the disclosure of all material information post filing of offer document and prior to listing.

- (3) The lead manager(s) shall exercise due diligence and satisfy themselves about all aspects of the issue including the materiality, veracity and adequacy of disclosures in the offer document.
- (4) The offer document shall contain the requisite disclosures relating to the public offer, including the following:

- (a) Offer Document Summary;
- (b) Risk factors;
- (c) Introduction providing a brief overview of the offer details;
- (d) General information;
- (e) Capital Structure;

Explanation: Capital structure shall include details of all shareholders holding five per cent or more of the pre-issue paid-up capital.

- (f) Particulars of the Issue

- i. Objects of the Issue;
- ii. Requirement of Funds;
- iii. Funding Plan;
- iv. Business/Project Appraisal, if any;
- v. Deployment of Funds;
- vi. Basis of Issue Price;

- (g) Disclosures related to underlying securities:

- i. Information about the underlying securities;
- ii. Information about the depository receipts;
- iii. Rights of the depository receipt holders including dividend rights, voting rights etc.;
- iv. Information relating to the depository;

- (h) Underwriting;

- (i) Tax Implications for investors;

- (j) About the Issuer:

- i. Industry Description;
- ii. Business Description;
- iii. Organisational structure, Management, Key Managerial Personnel and Remuneration;
- iv. Shareholders' Agreements and Other material Agreements;
- v. Dividend Policy;

- (k) Financial Statements;

- (l) Material Related Party Transactions;

- (m) Legal and Other Information;

- i. Outstanding material litigation and material developments;
- ii. Pending material Government/Regulatory approvals;

- (n) Details of major group entities including their business;

- (o) Other regulatory and statutory disclosures;

(p) Any other material disclosures;

Explanation: where the underlying securities of the issuer are listed on the stock exchange in its home jurisdiction, the issuer may provide reference to the relevant prospectus or other disclosures made to such stock exchange or to any relevant regulatory body.

(5) The audited financial information of the issuer in the offer document shall be for at least last three financial years:

Provided that the financial information may be provided for a lesser period if the issuer has not completed three years since its incorporation:

Provided further that the latest financial statements provided in the offer document shall not be more than twelve months old.

(6) The issuer shall prepare its financial statements in accordance with IFRS or US GAAP or Ind AS or other accounting standards as applicable in its home jurisdiction:

Provided that an issuer preparing financial statements as per the accounting standards of its home jurisdiction (other than IFRS, US GAAP and Ind AS) shall be required to reconcile the same with IFRS.

62. Pricing

The issuer may determine price of the depository receipts in consultation with the lead manager(s) through fixed price or book building process.

63. Offer period

The initial public offer of depository receipts shall be kept open for at least one working day and not more than ten working days.

64. Minimum subscription

The listing of depository receipts shall be permitted only if the subscription in the offer is not less than USD seven hundred thousand or any other amount as may be specified by the Authority.

65. Allotment

The issuer and lead manager(s) shall ensure that the depository receipts are allotted, and the payments and refunds are completed within five working days from the date of closure of the issue.

66. Listing

The issuer shall list the depository receipts on the recognised stock exchange(s) within such period, as may be specified by the concerned recognised stock exchange.

PART C: SECONDARY LISTING WITHOUT PUBLIC OFFER

67. Secondary Listing without Public Offer

An issuer, having its depository receipts listed in a jurisdiction outside IFSC, may list its depository receipts on a recognised stock exchange by filing the listing application in such form and manner as may be specified by the recognised stock exchange(s).

CHAPTER IX: LISTING OF DEBT SECURITIES

68. Listing of Debt Securities

An issuer may list its debt securities on a recognised stock exchange:

Explanation: The debt securities proposed to be issued and listed on a recognised stock exchange may be offered on a standalone basis or through a series of issuances (including medium term note programme).

69. Filing of documents

(1) The issuer desirous of listing its debt securities on a recognised stock exchange shall file the listing application along with a copy of the offer document or information memorandum, as applicable, with the recognised stock exchange in accordance with the requirements specified by the recognised stock exchange.

- (2) The issuer shall file the listing application with a recognised stock exchange along with applicable regulatory fee and the same shall be remitted to the Authority in the manner specified by the Authority.

70. Initial Disclosures

- (1) The offer document or information memorandum, as applicable, shall contain all material disclosures which are true, correct and adequate to enable the investors to take an informed investment decision.
- (2) The issuer shall ensure that the following disclosures are made in the offer document or information memorandum:
- a. Issuer Disclosures:
 - i. General information;
 - ii. Risk Factors;
 - iii. Information about the issuer;
 - iv. Business description;
 - v. Organisational structure;
 - vi. Management;
 - vii. Major / controlling shareholders;
 - viii. Audited Financial Statements;
 - ix. Statutory auditor;
 - x. Material outstanding litigations and defaults;
 - b. Issue related disclosures:
 - i. Details of debt securities;
 - ii. Risk factors;
 - iii. List of exchanges where the debt securities are listed or proposed to be listed;
 - iv. Maximum amount of issuance (in case of medium term notes programme or issuance in tranches);
 - v. Use of proceeds.
- (3) In addition to the disclosure requirements specified in sub-regulation (2), the issuer shall also disclose such other information as may be specified by the recognised stock exchange(s).
- (4) Where the issuer proposes to issue the debt securities through series of issuances, (including medium term notes programme), the recognised stock exchange may grant approval for listing and trading of such issuance.
- (5) The issuer shall ensure that the pricing supplements, wherever applicable, are submitted to the recognised stock exchange(s) before admission to listing.
- (6) Where the debt securities are backed by security or a collateral, the issuer shall ensure that the relevant details are adequately disclosed in the offer document or information memorandum.
- (7) A recognised stock exchange may, if satisfied on the basis of an application made by an issuer, give exemption from certain disclosures in the prospectus, shelf prospectus, offer document or information memorandum, as applicable.

Provided that the recognised stock exchange shall have an internal policy or guidelines for granting such exemptions.

71. Minimum subscription in case of private placement

The minimum subscription amount for an investor in case of private placement shall be disclosed in the offer document.

72. Credit Rating

- (1) The issuer shall obtain credit rating for its debt securities proposed to be listed on a recognised stock exchange from a credit rating agency registered either with the Authority or with a regulator in a Foreign Jurisdiction.

Provided that from April 01, 2025 or such other date as may be specified by the Authority, the issuer shall obtain a credit rating from at least one credit rating agency registered with the Authority and may obtain any additional credit rating(s) from a globally recognised rating agency which is registered with a regulator in a Foreign Jurisdiction.

- (2) The issuer shall disclose details of the ratings, assigned to the debt securities, in the prospectus, shelf prospectus or information memorandum, as the case may be.

73. Public Issue

In respect of a public issue of debt securities on a recognised stock exchange, the issuer shall comply with requirements such as appointment of trustee, creation of debenture redemption reserve and such other requirements as may be specified by the Authority or the recognised stock exchange(s).

74. Exempt Issuers

A recognised stock exchange may, if satisfied on the basis of an application made by an issuer, relax the applicability of certain requirements of this chapter or chapter X, as the case may be, in accordance with its internal policy or guidelines, for the following issuers:

- (a) Supranational, multilateral or statutory institutions /organisations /agencies;
- (b) Entities whose securities are irrevocably guaranteed by a Sovereign; and
- (c) Any other entity as may be specified by the Authority.

CHAPTER X: ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) LABELLED DEBT SECURITIES**75. Applicability**

- (1) This chapter shall apply to Environmental, Social and Governance (ESG) labelled debt securities including “green”, “social”, “sustainability”, “sustainability linked” debt securities or any other ESG labelled debt securities as may be specified by the Authority, which is listed or proposed to be listed on a recognised stock exchange.
- (2) The requirements under this chapter shall be in addition to the requirements detailed in Chapter IX.

76. Recognised Standards

- (1) The debt securities shall be labelled as “green”, “social” or “sustainability” only if the funds raised through the issuance of such debt securities are proposed to be utilised for financing or refinancing projects and/or assets aligned with any of the following recognised standards:
 - (a) International Capital Market Association (ICMA) Principles / Guidelines;
 - (b) Climate Bonds Standard;
 - (c) ASEAN Standards;
 - (d) European Union Standards;
 - (e) Any framework or methodology specified by a competent authority or a financial sector regulator in India; or
 - (f) Other international standards as may be permitted by the Authority on case-by-case basis.
- (2) The debt securities shall be labelled as “sustainability-linked” if they are aligned with any of the recognised standards specified under sub-regulation (1) or any other such qualifying criteria as may be specified by the Authority.
- (3) The issuer shall appoint an independent external reviewer to ascertain that the ESG labelled debt securities are in alignment with any of the recognised standards mentioned at sub-regulation (1), in compliance with the following conditions:

- (a) The reviewer shall be independent of the issuer, its directors, senior management, key managerial personnel and advisers;
 - (b) The reviewer shall be remunerated in a way that prevents any conflicts of interest; and
 - (c) The reviewer shall have sufficient expertise in assessing ESG debt securities.
- (4) The independent external reviewer mentioned at sub-regulation (3) may take one or more of the following forms recommended by International Capital Market Association:
- (a) Second Party Opinion;
 - (b) Verification;
 - (c) Certification;
 - (d) Scoring / Rating.

Explanation: A credit rating agency or an ESG rating provider registered with the Authority or a regulator in India or a Foreign Jurisdiction shall also be eligible to act as an external reviewer for the purpose of these regulations subject to compliance with conditions mentioned at sub-regulation (3).

- (5) The issuer shall ensure that the details regarding the independent external reviewer are adequately disclosed and easily accessible to the investors.

77. Additional disclosures in Offer document / Information Memorandum

- (1) The issuer shall make the following additional disclosures in the offer document or information memorandum, as the case may be, in respect of ESG labelled debt securities (other than sustainability-linked debt securities):
 - (a) A statement on ESG objectives of the issue of debt securities;
 - (b) Details of process followed by the issuer for evaluating and selecting the project(s) and/or asset(s);
 - (c) Proposed use of the proceeds of the issue including details of the project(s) and/or asset(s); and
 - (d) Details of the systems and procedures to be employed for tracking the deployment of the proceeds of the issue.
- (2) The issuer shall make the following additional disclosures in the offer document or information memorandum, as the case may be, in respect of sustainability-linked debt securities:
 - (a) The issuer shall disclose the rationale for issuance of sustainability-linked debt securities and consistency with issuers' overall sustainability and business strategy.
 - (b) The issuer shall adhere to pre-issuance and post-issuance obligations in accordance with the relevant international standards that the securities are aligned with.

For example, where the debt securities are aligned with ICMA Sustainability-Linked Bond Principles (2024), the guidelines related to five core components - Selection of Key Performance Indicators, Calibration of Sustainability Performance Targets, Bond characteristics, Reporting and Verification shall be followed for all the disclosures and continuous obligations.

78. Additional Continuous Disclosure Requirements

- (1) The issuer shall provide the following additional disclosures to the recognised stock exchange(s), at least on an annual basis, until full utilisation of the proceeds, in respect of ESG labelled debt securities (other than sustainability-linked debt securities):
 - (a) Utilisation of proceeds of the issue;
 - (b) *Allocation:* List of project(s) and/or asset(s) to which proceeds of the debt securities have been allocated/invested, including a brief description of such project(s) and/or asset(s), and the amounts disbursed:

Explanation: Where confidentiality agreements restrict the disclosure of details about specific project(s) and/or asset(s), the information shall be presented in generic terms or on an aggregated portfolio basis; and

(c) *Impact:*

- (i) Qualitative performance indicators and, where feasible, quantitative performance measures of the expected/achieved ESG impact of the project(s) and/or asset(s).
 - (ii) Where the quantitative benefits/impact cannot be ascertained, then the said fact may be appropriately disclosed along with the reasons for non-ascertainment of the benefits/impact on the ESG.
 - (iii) The methods and the key underlying assumptions used in preparation of the performance indicators and metrics shall be disclosed.
- (2) The issuer of sustainability-linked debt securities shall provide the following additional disclosures to the recognised stock exchange(s), at least on an annual basis, and additionally for any date or period relevant for assessing the performance of Sustainability Performance Targets (SPT) which may lead to a potential adjustment of the debt securities' financial or structural characteristics:
- (a) up-to-date information on the performance of the selected Key Performance Indicator(s), including baselines where relevant;
 - (b) any information enabling investors to monitor the level of ambition of the SPTs; and
 - (c) a verification report by an independent external reviewer outlining the performance against the SPTs and the related impact, and timing of such impact, on the debt securities' financial and/or structural characteristics.

CHAPTER XI: LISTING OF OTHER FINANCIAL PRODUCTS

79. Listing of Funds and Investment Trusts

An issuer may list a fund or an investment trust on a recognised stock exchange in terms of IFSCA (Fund Management) Regulations, 2022.

80. Listing of Commercial Papers

An issuer may list commercial paper on a recognised stock exchange in such manner and subject to such conditions as may be specified by the Authority.

81. Listing of Certificates of Deposit

An issuer may list certificate of deposit on a recognised stock exchange in such manner and subject to such conditions as may be specified by the Authority.

82. Listing of other financial products

An issuer may list such other financial product on a recognised stock exchange in such manner and subject to such conditions as may be specified by the Authority.

CHAPTER XII: LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS

PART A: GENERAL OBLIGATIONS

83. Applicability

The provisions of PART A of this Chapter shall apply to the securities listed on the recognised stock exchange(s) under these regulations.

84. Principles governing disclosures and obligations

The Listed Entity shall make disclosures and abide by its obligations under these regulations in accordance with the following principles:

- a) Information shall be prepared and disclosed in accordance with applicable accounting standards for financial disclosure;
- b) The Listed Entity shall implement the applicable accounting standards in letter and spirit in the preparation of financial statements taking into consideration the interest of all stakeholders, and shall also ensure that the annual audit is conducted by an independent and qualified auditor;
- c) The Listed Entity shall refrain from misrepresentation and ensure that the information provided to recognised stock exchange(s) and investors is not misleading;
- d) The Listed Entity shall provide adequate and timely information to recognised stock exchange(s) and investors;
- e) The Listed Entity shall ensure that disseminations made under the provisions of these regulations and circulars issued thereunder, are adequate, accurate, explicit, timely and presented in a simple language;
- f) The Listed Entity shall ensure that the channels for disseminating information provides for equal, timely and cost efficient access to relevant information by investors;
- g) The directors of the Listed Entity shall act in good faith in order to promote the objects of the company for the benefit of its members as a whole, and in the best interests of the Listed Entity, its employees, the shareholders, the society and for the protection of environment.
- h) The Listed Entity shall abide by all applicable laws of its home jurisdiction as well as securities laws and also such other requirements as may be specified by the Authority and the recognised stock exchange(s).
- i) The Listed Entity shall make the specified disclosures and follow its obligations in letter and spirit taking into consideration the interest of all stakeholders.
- j) The Listed Entity shall ensure that the relevant filings, reports, statements, documents and information are duly filed within the specified timelines and contain requisite information.
- k) The Listed Entity shall ensure that periodic filings, reports, statements, documents shall contain information that shall enable investors to track the performance of a Listed Entity over a period of time and shall provide sufficient information to enable investors to assess the current status of a Listed Entity. It shall include all material updates on the business, financial performance, management, etc.

85. General obligation of compliance

The Listed Entity shall ensure that key managerial personnel, directors, promoters, controlling shareholders or any other person dealing with it comply with responsibilities or obligations as assigned to them under these regulations.

86. Compliance Officer and Obligations

- (1) A Listed Entity shall appoint a qualified company secretary as the compliance officer:

Provided that where the entity is incorporated outside India, a company secretary or equivalent shall be appointed as compliance officer.

- (2) The compliance officer of the Listed Entity shall be responsible for-

- (a) ensuring conformity with the applicable regulatory obligations under these regulations, in letter and spirit;
- (b) co-ordination with and reporting to the Authority, recognised stock exchange(s) and depositories with respect to compliance with rules, regulations and other directives of these authorities in such manner as may be specified; and
- (c) ensuring that the correct procedures are followed to ensure the correctness, authenticity and comprehensiveness of the information, statements and reports filed under these regulations.

PART B: ENTITIES WITH SPECIFIED SECURITIES LISTED ON RECOGNISED STOCK EXCHANGES AS A PRIMARY LISTING**87. Material or Price Sensitive Information**

- (1) The Listed Entity shall immediately make disclosure to the recognised stock exchange(s) of any event or information concerning it or any of its subsidiaries or associates which, in the opinion of the board of directors of the Listed Entity, is material or price sensitive.

Explanation 1: The Listed Entity shall consider the following criteria for determination of materiality of events/ information:

- (a) the omission of an event or information, which is likely to result in discontinuity or alteration of event or information already available publicly;
- (b) the omission of an event or information which is likely to result in significant market reaction if the said omission came to light at a later date; or
- (c) where the criteria specified in sub-clauses (a) and (b) are not applicable, an event/information may be treated as being material if in the opinion of the board of directors of Listed Entity, the event / information is considered material.

Explanation 2: For the purpose of these regulations, immediately shall mean promptly but not later than twenty four hours.

- (2) The Listed Entity shall frame a policy for determination of materiality, based on criteria specified in these regulations, duly approved by its board of directors, which shall be disclosed on its website.

88. Amendment to Memorandum or Articles of Association

The Listed Entity shall immediately disclose to the recognised stock exchange (s) any amendment to its constitutional documents viz. memorandum or articles of association or any other similar document, by whatever name called.

89. Intimation about Board Meeting

- (1) The Listed Entity shall give prior intimation about the meeting of the board of directors and immediately disclose outcome of the meeting of the board of directors, to the recognised stock exchange(s) in respect of any of the following proposals:

- (a) dividends;
- (b) buyback of securities;
- (c) decision with respect to fund raising or change in capital;
- (d) financial results;
- (e) decision on voluntary delisting by the Listed Entity from stock exchange(s);
- (f) any material business event such as acquisition, demerger, sale or purchase of assets/ businesses/ companies; and
- (g) material litigation.

- (2) The intimation required under sub-regulation (1) shall be given at least two working days in advance, excluding the date of the intimation and date of the meeting.

90. Annual and Extraordinary General Meetings

The Listed Entity shall immediately disclose to the recognised stock exchange(s) the proceedings of Annual and extraordinary general meetings, by whatever name called.

91. Change in Director, KMP, Auditor or Compliance Officer

- (1) The Listed Entity shall immediately disclose to the recognised stock exchange(s) any change in director, key managerial personnel, auditor or Compliance Officer.

- (2) In case of a resignation of the auditor of the Listed Entity, detailed reasons for resignation of auditor, as given by the said auditor, shall be disclosed by the Listed Entity to the recognised stock exchange(s) as soon as possible but not later than one working day of receipt of such reasons from the auditor.
- (3) In the case of a resignation of any director, key managerial personnel or compliance officer, such person shall inform to the recognised stock exchange(s), in writing if he is aware of any irregularities which would have a material impact on the Listed Entity, including financial reporting, as soon as possible but not later than one working day.

92. Adverse opinion by auditor

The Listed Entity shall immediately disclose to the recognised stock exchange(s) any adverse opinion, disclaimer of opinion, qualified opinion by the auditor on the financial statements of, -

- i. the Listed Entity; or
- ii. any of the Listed Entity's subsidiaries or associates, if the adverse opinion, disclaimer of opinion, qualified opinion has a material impact on the consolidated accounts of the Listed Entity.

93. Investigation

- (1) The Authority or a recognised stock exchange may require a Listed Entity to appoint a competent person to review or investigate its affairs and report its findings to the Authority, recognised stock exchange(s) and its Audit Committee.
- (2) The Listed Entity shall ensure that any information with respect to appointment of person as mentioned in sub regulation (1) and findings by such person, shall be immediately disclosed to the recognised stock exchange(s) for public dissemination.

94. Encumbrances

- (1) The promoters and the controlling shareholders of the Listed Entity shall disclose details of any encumbrance of specified securities of the Listed Entity created or invoked or released, within two working days of such creation or invocation or release, as the case may be, to:
 - (a) The recognised stock exchange (s); and
 - (b) The Listed Entity.
- (2) The Listed Entity shall ensure that the disclosures received under sub-regulation (1) are immediately disclosed to the recognised stock exchange(s).

95. Shareholding Pattern

The Listed Entity shall submit its shareholding pattern to the recognised stock exchange(s), in such form and manner as may be specified by the Authority or the recognised stock exchange(s) on a quarterly basis, within fifteen working days from the end of each quarter.

96. Financial Statements

- (1) The Listed Entity shall disclose the audited standalone and consolidated financial statements for the full financial year to the recognised stock exchange(s) immediately after the approval of its board of directors, but in any event not later than three months of the end of financial year.
- (2) The Listed Entity shall disclose the financial statements for each of the first three quarters of its financial year to the recognised stock exchange(s) immediately after the approval of its board of directors, but in any event not later than forty five days after the end of each quarter.
- (3) The Listed Entity shall prepare its financial statements in accordance with IFRS or US GAAP or Ind AS or other accounting standards as applicable in its home jurisdiction:

Provided that a Listed Entity preparing financial statements as per the accounting standards of its home jurisdiction (other than IFRS, US GAAP and Ind AS) shall be required to reconcile the same with IFRS.

97. Annual Report

- (1) The Listed Entity shall submit the annual report to the recognised stock exchange(s) immediately after the finalisation of the same, and also publish the annual report on its website.

- (2) The annual report shall contain the following:
 - (a) Audited standalone and consolidated financial statements;
 - (b) Directors report;
 - (c) Management discussion and analysis report;
 - (d) Corporate Governance practices;
 - (e) Sustainability Report, if applicable; and
 - (f) Mandatory requirements as specified in the laws of the jurisdiction of incorporation.

98. Statement of deviation(s) or variation(s)

- (1) The Listed Entity shall submit to the recognised stock exchange(s) the statement(s) of deviation (indicating category wise variation between projected utilisation of funds made by it in its offer document), if any, in the use of proceeds from the objects stated in the offer document on a quarterly basis for public issue.
- (2) The statement(s) specified in sub-regulation (1), shall be continued to be given till such time the issue proceeds have been fully utilised or the purpose for which these proceeds were raised has been achieved.
- (3) The statement(s) specified in sub-regulation (1), shall be submitted to the recognised stock exchange(s) immediately after review by the audit committee but not later than forty five days from the end of quarter.
- (4) The Listed Entity shall furnish an explanation for the variation specified in sub-regulation (1), in the directors' report in the annual report.

99. Corporate Governance

- (1) The Listed Entity shall describe its corporate governance practices in its annual report in the manner specified by the laws of the jurisdiction of its incorporation.
- (2) The Listed Entity shall also comply with the corporate governance norms as may be specified by the Authority.

100. Sustainability Report

- (1) The Listed Entity shall disclose to the recognised stock exchange(s) a sustainability report with respect to environmental, social and governance factors for financial year, no later than six months after the end of its financial year:

Provided that this sub-regulation shall not apply to the Listed Entities having market capitalisation of less than USD 50 million.

- (2) The sustainability report specified in sub-regulation (1) shall be prepared based on:
 - (a) internationally accepted reporting standards such as Global Reporting Initiative, International Sustainability Standards Board, Task Force on Climate-related Financial Disclosures;
 - (b) Business Responsibility and Sustainability Reporting; or
 - (c) any other standards that may be specified by the Authority.

101. Corporate actions

- (1) The Listed Entity shall inform the recognised stock exchange(s) in advance of any proposed corporate actions such as stock split, consolidation, dividend, bonus issues or similar events.
- (2) The Listed Entity shall give notice of the record date for such corporate action to the recognised stock exchange(s), wherever applicable at least three working days in advance, specifying the purpose of the record date.

102. Meetings of shareholders and voting

- (1) The Listed Entity shall provide the remote e-voting facility to its shareholders in respect of all shareholders' resolutions.
- (2) The Listed Entity shall submit the voting results to the recognised stock exchange(s), within two working days from the date of conclusion of its General Meeting.

- (3) The Listed Entity shall send proxy forms to holders of the securities in all cases, mentioning that a holder may vote either for or against each resolution.
- (4) The Listed Entity shall provide one-way live webcast of the proceedings of the annual general meetings to all its shareholders.

103. Whistle-blower mechanism

The Listed Entity shall establish a whistle-blower mechanism for directors, employees and others to report genuine concerns while ensuring adequate safeguards against victimisation of persons who use such mechanism.

104. Website

The Listed Entity shall maintain a functional website that contains basic information about the entity including details about its business, board of directors, key managerial personnel, compliance officer, financial statements, e-mail address for grievance redressal and annual reports.

105. Dissemination by recognised stock exchange(s)

The recognised stock exchange(s) shall ensure that the disclosures made by the Listed Entities are immediately disseminated on their websites.

PART C: SECONDARY LISTING OF SPECIFIED SECURITIES

106. Disclosure by entities with secondary listing of specified securities

The issuer with secondary listing of specified securities on a recognised stock exchange shall comply with the following requirements:

- a) It shall ensure that the specified securities are continued to be listed on its home exchange and abide by the listing and other rules of such exchange and home regulator;
- b) It shall release all disclosures in English to the recognised stock exchange(s) simultaneously with their release to its home exchange and home regulator where it has a primary listing; and
- c) It shall comply with such other requirements as may be specified by the Authority or recognised stock exchange(s).

PART D - LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS FOR COMPANIES HAVING DEPOSITORY RECEIPTS LISTED ON RECOGNISED STOCK EXCHANGE (S)

107. Financial Statements

- (1) The Listed Entity shall disclose the audited financial statements for the full financial year to the recognised stock exchange(s) immediately after the approval of its board of directors, but in any event not later than three months of the end of financial year.
- (2) The Listed Entity shall disclose the financial statements for each of the first three quarters of its financial year to the recognised stock exchange(s) immediately after the approval of its board of directors, but in any event not later than forty five days after the end of each quarter.
- (3) The Listed Entity shall prepare its financial statements in accordance with IFRS or US GAAP or Ind AS or other accounting standards as applicable in its home jurisdiction:

Provided that a Listed Entity preparing financial statements as per the accounting standards of its home jurisdiction (other than IFRS, US GAAP and Ind AS) shall be required to reconcile the same with IFRS.

108. Material or price sensitive events

- (1) The Listed Entity shall immediately make disclosure to the recognised stock exchange(s) of any event or information concerning it or any of its subsidiaries or associates which, in the opinion of the board of directors of the Listed Entity, is material or price sensitive.

Explanation 1: The Listed Entity shall consider the following criteria for determination of materiality of events/ information:

- (a) the omission of an event or information, which is likely to result in discontinuity or alteration of event or information already available publicly;
 - (b) the omission of an event or information which is likely to result in significant market reaction if the said omission came to light at a later date; or
 - (c) where the criteria specified in sub-clauses (a) and (b) are not applicable, an event/information may be treated as being material if in the opinion of the board of directors of Listed Entity, the event / information is considered material.
- (2) The Listed Entity shall frame a policy for determination of materiality based on criteria specified in these regulations, duly approved by its board of directors, which shall be disclosed on its website.

109. Shareholding pattern

The Listed Entity shall submit its shareholding pattern to the recognised stock exchange(s), in the format specified by the Authority or by such recognised stock exchange(s) on a quarterly basis, within fifteen working days from the end of each quarter.

110. Corporate Governance

- (1) The Listed Entity shall describe its corporate governance practices in its annual report in the manner specified by the relevant laws in its home jurisdiction.
- (2) The Listed Entity shall also comply with the corporate governance norms as may be specified by the Authority.

111. Change of depository bank

- (1) The Listed Entity shall take prior approval of the recognised stock exchange(s) before changing its depository bank.
- (2) The Listed Entity shall disclose any change of depository bank to the recognised stock exchange(s) within twenty four hours of such change.

112. Corporate actions

- (1) The Listed Entity shall inform the recognised stock exchange(s) in advance of any proposed corporate action pertaining to the depository receipts or the underlying securities.
- (2) The Listed Entity shall give notice of the record date to the recognised stock exchange(s), wherever applicable, at least three working days in advance, specifying the purpose of the record date.

113. Other compliances

The Listed Entity shall comply with following additional requirements:

- a) Where the underlying specified securities are listed on its home exchange, it shall abide by the listing and other rules of such exchange and home regulator;
- b) It shall release all disclosures in English to the recognised stock exchange(s) simultaneously with their release to its home exchange or home regulator where it has a primary listing; and
- c) It shall comply with such other requirements as may be specified by the Authority or recognised stock exchange(s).

114. Voting Rights

The voting rights of the depository receipts holders shall be exercised in accordance with the depository agreement.

115. Dissemination by recognised stock exchange(s)

The recognised stock exchange(s) shall ensure that the disclosures made by the Listed Entities are immediately disseminated on their websites.

PART E - LISTING OBLIGATIONS AND CONTINUOUS DISCLOSURE REQUIREMENTS FOR DEBT SECURITIES

116. Material or price sensitive events

- (1) The issuer shall immediately disclose to the recognised stock exchange(s) all events which are material or price sensitive.
- (2) The issuer shall immediately disclose to the recognised stock exchange(s) the following events:
 - (a) any redemption or cancellation of the debt securities;
 - (b) details of any interest payment(s), except where the debt securities are having fixed rate;
 - (c) any buy back or put option exercised;
 - (d) any delay in payment of principal and/or interest amount; and
 - (e) any modification in terms and conditions of the issue.

117. Financial Statements

- (1) The issuer shall disclose the audited financial statements for the full financial year to the recognised stock exchange(s) immediately after the approval of its board of directors, but in any event not later than three months of the end of financial year.
- (2) The issuer shall prepare its financial statements in accordance with IFRS or US GAAP or Ind AS or other accounting standards as applicable in its home jurisdiction:

Provided that an issuer preparing financial statements as per the accounting standards of its home jurisdiction (other than IFRS, US GAAP and Ind AS) shall be required to reconcile the same with IFRS.

118. Annual Report

The issuer shall submit to the recognised stock exchange(s) a copy of the annual report immediately after the finalisation of the same, but in any event not later than six months of the end of financial year.

119. Revision in Credit Rating

The issuer shall immediately disclose to the recognised stock exchange(s) any revision in the credit rating of its debt securities listed on such exchange(s).

120. Record Date

The issuer shall disclose the record date relevant to the holders of debt securities in a timely manner.

121. Exempt Issuers

A recognised stock exchange may, if satisfied on the basis of an application made by an issuer, relax the applicability of certain requirements of this chapter, in accordance with its internal policy or guidelines, for the following issuers:

- (a) Supranational, multilateral or statutory institutions /organizations /agencies; and
- (b) Entities whose securities are irrevocably guaranteed by a Sovereign; and
- (c) Any other entity as may be specified by the Authority from time to time.

CHAPTER XIII: PERMITTED TO TRADE

122. Permitted to Trade

A recognised stock exchange may with prior approval of the Authority permit trading of securities without the involvement of the issuer, subject to the following conditions:

- (a) Such trading of securities is in conformity with the applicable laws of the jurisdictions in which the securities are listed; and
- (b) The recognised stock exchange(s) shall ensure clearing and settlement of the trades.

CHAPTER XIV: MISCELLANEOUS**123. Listing agreement**

The entity desirous of listing its securities and permitted financial products on the recognised stock exchange(s) shall execute a listing agreement with such stock exchange, in such form and manner as specified by such stock exchange.

124. Refusal of admission to list

A recognised stock exchange may, at its discretion, reject an application for admission to list securities or permitted financial products, if it considers that-

- (a) listing of such securities or permitted financial products would be detrimental to investors' interests; or
- (b) the issuer does not comply or will not comply with any requirement specified by the Authority or the recognised stock exchange.

125. Suspension

(1) A recognised stock exchange may suspend the trading of securities or permitted financial products where it appears that:

- (a) the issuer is in non-compliance with the regulatory provisions specified by the Authority or the recognised stock exchange;
- (b) the issuer has been suspended for trading of its securities by any other exchange; or
- (c) the suspension is required for ensuring orderly operation of its market.

(2) A recognised stock exchange may restore trading of securities that have been suspended if it considers that the suspension is no longer required.

126. Voluntary Delisting

A recognised stock exchange may delist securities, on receipt of the request from the Listed Entity, in such manner and subject to such conditions as may be specified by the Authority.

127. Compulsory Delisting

A recognised stock exchange may compulsorily delist securities or permitted financial products of the issuer under the following conditions:

- (a) The securities or permitted financial products have remained suspended for a period of more than six months;
- (b) the securities or permitted financial products have been compulsorily delisted by another exchange;
- (c) where the exchange is satisfied that there are special circumstances that require delisting of the securities or permitted financial products; or
- (d) it is directed to do so by the Authority or any other relevant authority or any court having jurisdiction in the matter.

128. Submission of information

The issuer shall submit all information sought by the Authority or the recognised stock exchange(s) relating to securities market.

129. Power to exempt/ relax strict enforcement of the regulations

- (1) The Authority may, for reasons to be recorded in writing, in the interest of investors or for the development of the financial market in IFSC, exempt/ relax the strict enforcement of any requirement of these regulations.
- (2) For seeking exemption/ relaxation under sub-regulation (1), an application, giving details and the grounds on which such exemption/ relaxation has been sought, shall be filed with the Authority.
- (3) The application referred to under sub-regulation (2) shall be accompanied by such non-refundable fee as may be specified by the Authority.

130. Power to specify norms, procedures, issue clarifications and remove difficulties

- (1) For the purposes of implementation of these regulations and matters incidental thereto, the Authority may specify norms, procedures, processes, additional requirements, etc. by way of circulars or guidelines or directions.
- (2) The requirements under regulations 80, 81, 82 and 126 may be specified after public consultation and approval in a meeting of the Authority.
- (3) In order to remove any difficulties in the application or interpretation of these regulations, the Authority may issue clarifications through guidance notes or circulars.

131. Repeal and Savings

- (1) On and from the commencement of these regulations, the International Financial Services Centres Authority (Issuance and Listing of Securities) Regulations, 2021 shall stand superseded.
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), anything done or any action taken or purported to have been taken under the regulations mentioned in sub-regulation (1), before the commencement of these regulations shall be deemed to have been done or taken or commenced under the corresponding provisions of these regulations.

K. RAJARAMAN, Chairperson
[ADVT.-III/4/Exty./444/2024-25]